स्थापना वर्ष-2016

निबंधन सं.- 519/17-18

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति

9 वाँ महाधिवेशन

दिनांक- 29-30 नवम्बर 2025

स्थान- कॉन्स्टिटयूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

न्याय पाने वाले, न्याय देने वाले एवं न्याय दिलाने वाले की समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल...

स्मारिका

स्थापना वर्ष- 2016 निबंधन सं.- 519/17-18

राष्ट्रीय पदाधिकारीगण

राष्ट्रीय अध्यक्ष
धर्मनाथ प्रसाद यादव
पूर्व वाइस चेयरमैन
बिहार स्टेट बार काउंसिल

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
रणविजय सिंह
अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
रशिक बिहारी सिंह (बिहार)
अविनाश कु. शर्मा (दिल्ली)
समरेन्द्र कुमार झा (दिल्ली)

राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री
इन्द्रदेव प्रसाद

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
विमल कुमार विमल

राष्ट्रीय महामंत्री
सत्य प्रकाश तिवारी

राष्ट्रीय संगठन मंत्री
राज कुमार राजेश

राष्ट्रीयसहायक मंत्री
प्रवीण कुमार भटनागर (उ.प्र.)
शुभांगी पांडेय (बिहार)

कार्यकारिणी सदस्य
शिव नारायण सिंह (राँची)
पंकज कुमार (बिहार)
सत्यविजय सिंह (हरियाणा)
हरजीत अरोड़ा (आगरा)
पृथ्वीराज यदुवंशी (मधेपुरा)
रामनारायण सिंह (दिल्ली)
डॉ० मधुसूदन राय (बिहार)
भरत झा (झारखंड)
देवेंद्र सिंह यादव (उ.प्र.)
डॉ. ओम प्रकाश शर्मा (पंजाब)
श्री वियुराज (तमिलनाडु)
सुरेश कुमाऊ (प. बंगाल)
बीरि सिंह सिनसिनवार (राज.)
दीप्ति सोनवानी (महाराष्ट्र)

बिहार प्रदेश पदाधिकारीगण

अध्यक्ष
धर्मनाथ प्रसाद यादव

कार्यकारी अध्यक्ष
रणविजय सिंह

उपाध्यक्ष
अरुण श्रीवास्तव
अरुण कुमार कुशवाहा
राम संदेश राय
शंभू शरण शर्मा
कुलदीप नारायण दुबे

महामंत्री
डॉ मधुसूदन राय

संगठन मंत्री
शिवानंद गिरि

सह–संगठन मंत्री
डॉ ओमप्रकाश जमुआर
मो0 नदीम अख्तर
दीपक प्रसाद सिन्हा

संयुक्त मंत्री
गणेश राम

सहायक मंत्री
कुमार रुपेश
जितेंद्र कुमार
तेजिस्विता राधा

कोषाध्यक्ष
श्वेता कुमारी

कार्यकारिणी सदस्य सह पदेन प्रमंडलीय अध्यक्ष
विमल चंद्र सिंह (सारण)
उमेश प्रसाद सिंह (तिरहुत)
मंटु कु. यादव (पटना)
रामअवतार कबीरपंथी (भागलपुर)
रामलखन यादव (कोशी)
रतन कुमार रतन (मगध)
रत्नेश राज मंडल (दरभंगा)
हेमंत कुमार (पूर्णिया)
राजनीति प्र. सिंह (मुंगेर)

दिल्ली प्रदेश पदाधिकारीगण

रामनारायण सिंह, अध्यक्ष
रवि कुमार, महामंत्री
उमेश शर्मा, संयुक्त महामंत्री
राजीव कुमार, अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ
दीपरंजन कुमार, महामंत्री युवा प्रकोष्ठ
शनि कुमार, कोषाध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ

पटना हाईकोर्ट पदाधिकारीगण

सतेन्द्र राय, अध्यक्ष
अनिश चन्द्रा, महामंत्री
प्रमोद कु. यादव, संयुक्त सचिव
हरिमोहन मिश्रा, कोषाध्यक्ष
निरज कुमार, अध्यक्ष, युवा कोषांग
साकेत कुमार झा, महामंत्री, युवा कोषांग
मो॰ तौकिर अजहर, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक कोषांग
पूजा अर्या, अध्यक्ष, महिला कोषांग

न्यायाधीश कोषांग / न्यायर्थी कोषांग

दामोदर प्रसाद, (पूर्व न्यायधीश), अध्यक्ष न्यायाधीश कोषांग
प्रो. प्रेम कुमार, अध्यक्ष न्यायर्थी कोषांग
दीपक कुमार, महामंत्री, न्यायर्थी कोषांग

प्रधान संपादक
धर्मनाथ प्रसाद यादव

संपादक
रणविजय सिंह

सह संपादक
शिवानंद गिरि
डॉ0 ओमप्रकाश जमुआर
नितीश कुमार सिंह
शुभांगी पांडेय

कार्यालय

चैम्बर न. 165, द्वितीय तल
बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल भवन
पटना - 800001
अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ
सम्पर्क सूत्र : 9576293206, 9334612716

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति

स्मारिका

विषय-सूची

1.	शुभकामना संदेश	5-16
2.	अधिवक्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की उदासीनता	17-37
3.	सम्पादक की कलम से.......	38
4.	'Strong Advocates, Strong Judiciary'	39-40
5.	समाज के विकास में अधिवक्ताओं की भूमिका एवं दशा-दिशा का अवलोकन ।	40-42
6.	The Problems and Challenges of the District Judiciary in India	43-45
7.	भाषायी प्रावधानों के अभाव में अधिकांश नागरिकों के कानूनी अधिकारों का हनन	46-48
8.	अधिवक्ता संरक्षण की आवश्यकता	49-50
9.	कानून चले, न्याय के पल्ले	51-53
10.	न्यायतंत्र में बदलाव की जरूरत	54
11.	अधिवक्ताओं के कल्याण के प्रति सरकारी रवैये में अपेक्षित संवेदनशीलता की कमी	55
12.	सरकार की नीतिगत चुप्पी और बार काउंसिल की निष्क्रियता....	56
13.	न्यायालय और न्याय में दूरी क्यों बढ़ रही है?	57
14.	सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्टों के जजों की नियुक्तियों में आरक्षण...	58
15.	विधि व्यवसाय : एक पवित्र एवं आदर्श व्यवसाय है	59-62
16.	बिहार में नए अधिवक्ताओं की हालत बद से बदतर - जिम्मेवार कौन ?	63-64
17.	कोशी प्रमंडल के अधिावक्ता सुविधाविहीन...	65-66
18.	कानून की शिक्षा क्यों जरूरी?	66
19.	The Evolving Essence of Litigation...	67-68
20.	प्रमुख कार्यक्रमों की मधुर स्मृति	70-71
22.	मीडिया के नजरों में	75-78

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति
की

प्रस्तावना (Preamble)

अधिवक्ताओं के कल्याण के प्रति
सरकारों की उदासीनता
एवं हमारी शीर्ष संस्था की चुप्पी के
विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन

न्याय पाने वाले, न्याय देने वाले
एवं न्याय दिलाने वाले की
समस्याओं के समाधान की दिशा
में पहल

Justice P. B. Bajanthri
Chief Justice
Patna High Court

154, Chhajjubagh, Patna - 800001
Tel No. 0612-2504758 (0)
0612-2222200 (R)

सत्यमेव जयते

Message

Respected Sir,

I am deeply honoured to receive the invitation to participate in the Two- day national conference scheduled on 29th & 30th November 2025 at the Constitution Club of India, New Delhi.

It gives me great pleasure to extend my best wishes to the Akhil Bhartiya Adhivakta Kalyan Samiti, Patna and all the participants for the successful organization of the National Conference and the publication of souvenir in the said conference. This event will provide a valuable platform for deliberation on critical subjects such as legal aid and assistance to lawyers, which are essential for strengthening access to justice and enhancing the legal professions service to society.

I am confident that the proposed conference will yield meaningful insights and contribute significantly to the welfare of the legal community and the public at large. I am sure the upcoming souvenir will include various legal subject matters which will help lawyers in their legal profession and create a sense of belongingness towards their professional pursuits.

On this occasion, I extend my best wishes to the organizers and all the participants associated with National Conference and publication of Souvenir.

Justice P.B. Bajanthri
Chief Justice

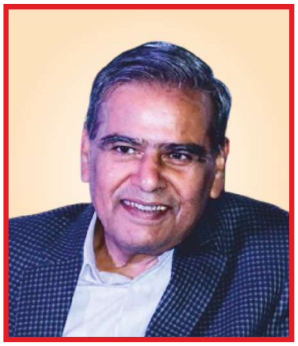

शुभकामना संदेश

यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति अपना नौवां महाधिवेशन आगामी 29–30 नवम्बर 2025 को कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में मना रहा है।

सम्मेलन में संगठन की उपलब्धियों पर सार्थक चर्चा होगी। अधिवक्तागण अपनी बुद्धि, ज्ञान, विवेक एवं जानकारी के आधार पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी बातें प्रस्तुत करने की क्षमता के आधार पर गंभीर मामलों का हाल भी ढूंढ लेते हैं। आशा है आम गरीब जनता तक सस्ते एवं सुलभ रूप से विधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी गंभीरता से विचार होगा।

मैं महाधिवेशन के आयोजन तथा इस अवसर पर स्मारिका के सफल प्रकाशन हेतु अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।

राजेन्द्र प्रसाद
पूर्व न्यायाधीश, पटना हाईकोर्ट

Message

I am glad to know that Akhil Bhartiya Adhivakta Kalyan Samiti is going to publish a Souvenir on the occasion of its 9th National Conference scheduled to be held on 29-30 November, 2025 at Constitution Club, New Delhi.

I have utmost pleasure in sending my best wishes for the success of conference. I do hope that through the seminar & its fruitful Academic discussions, it will enhance and sharpen your capability. I extend my heartiest congratulations to all participants on this occasion.

I wish the souvenir a grand success .

Hemant Kumar Srivastava
Former Judge, Patna High Court

Message

I am pleased to learn that All India Advocate Welfare Samiti is holding its 9th Annual conference on 29th & 30th Nov 2025 and also publishing its souvenir to commemorate this occasion.

I hope the Samiti will fight for fulfillment of its demands under the presidentship of my good friend Mr. Dharmnath Prasad Yadav. I feel sorry for not attending the conference due to some of my pre-engagement.

I wish the conference a grand success.

Shio Narayan Singh
Former District Judge (Retd.)

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के 9 वाँ महाधिवेशन
में आए सभी प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

श्रीमती वीणा कुमारी जायसवाल
अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय

श्री उपेंद्र प्रसाद
अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय

C/49 हाउसिंग कॉलोनी लोहिया नगर कंकड़बाग, पटना 20 मो0- 9386012112

पदमश्री आचार्य चन्दना ॐ **वीरायतन, राजगृह**

शुभकामना संदेश

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति,

सस्नेह धर्मस्वस्ति!

न्याय नीति से सम्पन्न उन्नतिशील समाज का संरक्षक कोई हो सकता है तो वह है उपर परमात्मा और धरती पर अधिवक्ता। इतना बड़ा दायित्त्व अपने ज्ञान और ऋतम्भरा प्रज्ञा से वह अर्जित करता है और दक्षतापूर्वक उसका निर्वहन करता है।

न्यायनिष्ठ यशस्वी सफलता के लिए अध्यात्म के व्यासपीठ से सदैव मेरे आशीर्वाद आपके साथ है।

हार्दिक आशीर्वाद के साथ!

आचार्य चन्दनाश्री

पदमश्री आचार्य चन्दना

Message

It is a matter of great pleasure that Akhil Bhartiya Adihvakta Kalyan Samiti is going to organise its 9th National Conference of the Samiti at Constitution Club of India, New Delhi on 29-30th November 2025. I am very much pleased to know that the subject for discussion and also aims and objects of Samiti' to be selected are very much important to establish the system of judiciary so that the people may not loss their faith upon judiciary, because At present judiciary is one of the most important pillars of democracy which is to be loved and believed by the people of India.

Specially I am thankful to the National President of Samiti namely Dharamnath Prasad Yadav who is trying to reform the judicial system as well as to solve the problems arising out of judicial system for maintaining the faith of the people of India.

Hence I myself and on the behalf of my institution wish to grand success of the conference.

Arun Shrivastava
Advocate, High Court, Patna
Director of Bihar Institute of Law, Patna

Telephone :- 06344-220018
Mob. No.- 9431422586

विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान

BISHWANATH SINGH INSTITUTE OF LEGAL STUDIES
LALDARWAJA, MUNGER
(Affiliated to Munger University & BCI)
Estd. - 1983

Ref : P/10/25 Date 16/10/2025

शुभकामना संदेश

अधिवक्तागण सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समरूपता के वैसे सूत्रधार हैं, जो देश में विधि का शासन कायम करने में अभिन्न भूमिका अदा करते हैं। विधि द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था में न्याय के मंदिर के रूप में स्थापित न्यायपालिका की न्यायिक प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों को समानता के साथ न्याय दिलाने में इनके कर्त्तव्य एवं निष्ठा को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है, परन्तु विडम्बना यह है कि अधिवक्ताओं के कल्याण पर शासन व्यवस्था की निगाहें कम ही पहुँच पाती हैं।

अतः हम सभी शुक्रगुजार हैं, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के सार्थक प्रयासों का, जिसके अन्तर्गत समय–समय पर अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु शासन–व्यवस्था का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है।

असीम शुभकामनाओं के साथ महाधिवेशन का साक्षी बनने की विनम्र स्वीकृति!

डॉ० राजेश कुमार मिश्रा
प्राचार्य

Message

Heartfelt Gratitude and best wishes for the success of the All India Advocate's Welfare Committee.

It is with immense pleasure I came to know that two day Annual Convention of All India Advocate's Welfare Committee is to held on 29th to 30th November, 2025 in the Constitution Club of India, New Delhi. Myself on behalf of Ambedkar Law College wishes heartfelt gratitude for the invitation and wishes for the success of the Convention.

Yours Faithfully,

Dr. Kaushal Kumar Giri
Chairman
Ambedkar Group of Institutions, Patna

शुभकामना संदेश

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के वार्षिक महाधिवेशन की सफलता के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं ।

अत्यन्त हर्ष के साथ मुझे ज्ञात हुआ कि अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का 2 दिवसीय वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 29–30 नवम्बर 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इस महाधिवेशन की सफलता के लिए मैं अम्बेदकर लॉ कॉलेज की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

डॉ सुभाष चन्द्र यादव
प्रधानाचार्य, अम्बेदकर लॉ कॉलेज,
छितनावां, दानापुर, पटना।

शुभकामना संदेश

यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति अपना 9वाँ दो दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन, कान्स्टिटयुशन क्लब, नई दिल्ली में दिनांक 29–30 नवम्बर 2025 को मनाने जा रहा है। इससे भी अधिक प्रसन्नता इस बात से हुई कि उक्त अवसर पर समिति की ओर से प्रकाशित स्मारिका का विमोचन मुख्य अतिथि द्वारा किया जाएगा।

मैं उक्त महाधिवेशन की पुर्ण सफलता के लिए गुरूदेव महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि इस समारोह की सफलता के लिए अपना आशीष देते रहें।

डॉ. अजीत कुमार
पतंजलि वरीष्ठ राज्य प्रभारी बिहार झारखंड

Message

Greetings and Congratulations to the entire team of Akhil Bharatiya Adhivakta Kalyan Samiti!

On the occasion of the 9th National Conference being held in New Delhi, I extend my heartfelt best wishes to each one of you. This gathering is not merely an event — it stands as a reaffirmation of our shared commitment to the welfare of the legal fraternity, the spirit of social service, and the advancement of research and education among advocates.

All the activities and initiatives being undertaken under the banner of the Samiti will undoubtedly contribute to the common good and to the professional as well as personal enrichment of the legal community.

I take this opportunity to convey my special appreciation to our visionary founder, Mr. Dharmnath Yadav, whose dedication and guidance have transformed this movement into a nationwide mission of welfare, unity, and service.

My best wishes to the Management Committee and all members of the Samiti for the continued success of this noble endeavour.

With Warm Regards,

Adv. Ravi Kumar
Riyadh, Saudi Arabia
Founder, KanoonPlus.com

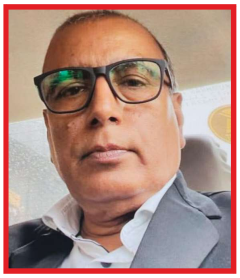

Message

It gives me immense pleasure to learn that the Akhil Bhartiya Adhivakta Kalyan Samiti is organizing its 9th National Conference on November 29th & 30th, 2025, at the prestigious Constitution Club, New Delhi, and is publishing a Souvenir to commemorate this significant occasion.

I extend my heartfelt congratulations to all the distinguished participants, organizers, and contributors who have come together to celebrate the spirit of legal fraternity and academic excellence. Such conferences serve as vital platforms for meaningful dialogue, intellectual enrichment, and collective advancement of the legal profession.

I am confident that the seminar and its scholarly deliberations will not only deepen professional insight but also inspire a renewed commitment to justice, ethics, and service. May the Souvenir reflect the vibrancy of thought and the unity of purpose that this esteemed gathering embodies.

Wishing the Conference and the Souvenir grand success and enduring impact.

With warm regards and best wishes,

Dr. Nand Kishore Singh
Advocate & Insolvency Professional, H.C. Patna

Message

Warm greetings on the occasion of the 9th National Convention of Akhil Bhartiya Adhivakta Kalyan Samiti.

This gathering of advocates from across the country is not just an event, it is a collective resolve to strengthen the justice system. When legal minds gather, the conversation goes beyond statutes and precedents. It reinforces our promise to make our best efforts to uphold justice, Honor every individual, and defend their rights.

I am certain that the thoughtful deliberations during this convention will inspire new ideas and lead to meaningful reforms that benefit both the profession and society.

Wishing the convention every success.

Akshay Anand
Advocate, Delhi High Court & Supreme Court

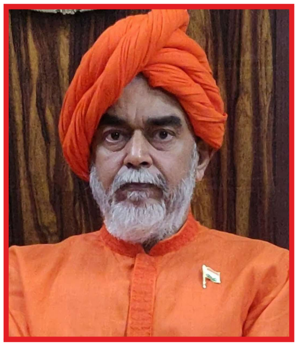

शुभकामना संदेश

यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति ने हिंदी भाषा के संवर्धन एवं संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दे को अपनी 25 सूत्री मांगों में सम्मिलित किया है। इस उद्देश्य के समर्थन में आयोजित होने वाला 9वां महाअधिवेशन, दिनांक 29–30 नवंबर 2025, कांस्टीट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में, निश्चय ही भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक अवसर सिद्ध होगा।

महाअधिवेशन में अनुच्छेद 344(6) के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 27 अप्रैल 1960 को पारित आदेश की कंडिका 12 जो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा से संबंधित है के प्रभावी कार्यान्वयन पर होने वाली चर्चा न्यायिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

यह चिंताजनक तथ्य है कि उच्चतम न्यायालय की कार्यभाषा अंग्रेजी होने के कारण न्याय प्रक्रिया आम नागरिक के लिए जटिल, महंगी और कम सुलभ हो गई है। देश की एक विशाल आबादी न्यायालयों के आदेश व निर्णय समझने में असमर्थ रहती है, जो न्याय के सार्वभौमिक अधिकार के विपरीत है।

हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के सम्मान, उपयोग और न्यायिक सुलभता को बढ़ाने की इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। आशा है कि महाअधिवेशन सार्थक निष्कर्षों के साथ भारतीय न्याय व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

सादर शुभकामनाएँ।

हरपाल सिंह राणा
अध्यक्ष,
अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन,
कार्यालय–ए–1 गांव कादीपुर दिल्ली 110036
नंबर 9136235051

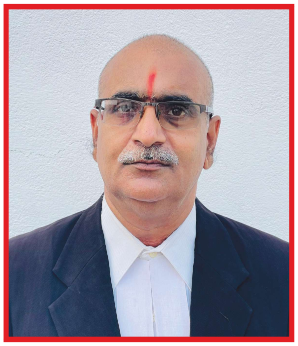

शुभकामना संदेश

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति एक गैर राजनीतिक सामाजिक पंजीकृत संस्था है, जो विधिक क्षेत्र में सभी वर्गों के कल्याणार्थ विगत एक दशक से सफलतापूर्वक निरंतर अग्रसर है ।

समिति की स्थापना पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बिहार स्टेट बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव ने संविधान दिवस के अवसर पर दिनांक 26 नवंबर 2016 को पटना में किया था। संघर्ष के प्रतिमूर्ति सामाजिक कार्यकर्ता संतमार्गी श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव समिति के स्थापना काल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में समिति अनवरत नवीन उत्कर्ष को प्राप्त कर रही है।

समिति का उद्देश्य न्याय देने, लेने और दिलाने वालों के समस्याओं का संवैधानिक तरीके से समाधान करना है। समित द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर अपने कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है और उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने संकल्पों की समीक्षा करती है। इसी क्रम में समिति का दो दिवसीय नवम राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली के कॉन्स्टिटय्यूशनल क्लब में दिनांक 29—30 नवंबर 2025 को आयोजित की गई है।

मुझे गर्व है कि मैं पूरे भारत में सक्रिय अखिल भारतीय अधिवक्ता समिति का अदना सिपाही हूँ और इसके संघर्षों में सहभागी एवं साक्षी रहा हूँ। अनेकों अधिवक्ता संघों से समन्वय स्थापित कर कार्य करने वाली अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति अपनी तरह की इकलौती ऐसी अनूठी संस्था है जिसे भारत का गौरव कहा जा सकता है।

कुलदीप नारायण दुबे
अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट

अधिवक्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की उदासीनता एवं हमारी शीर्ष संस्था की चुप्पी पर एक नजर..

धर्मनाथ प्रसाद यादव
अधिवक्ता –सह– राष्ट्रीय अध्यक्ष,
अ० भा० अधि० क० समिति सह
पूर्व वाईस चेयरमेन, बिहार स्टेट बॉर काउन्सिल, सह
पूर्व सदस्य, अनुशासन समिति, भारतीय विधिज्ञ परिषद एवं
पूर्व चेयरमैन, पेंशन कमिटी, बी० एस० बी० सी०, पटना ।
मो.– 9576293206, 9113499229

अधिवक्ता वर्ग/समूह/समुदाय का संक्षिप्त परिचय एवं समाज में स्थान

अधिवक्ताओं की आवश्यकता राष्ट्र एवं समाज को आदिकाल से रही है, जिसका भिन्न– भिन स्वरूप देखने को मिलता रहा है। यह वर्ग प्रारंभिक काल में समाज के लोगों को सही क्या है और गलत क्या है ? – का ज्ञान प्रदान करना भर हुआ करता था, जिसे ग्रामीण अनुभवी एवं जानकार अनुभवी लोगों से समझा जाता रहा है। उनका मुख्य कार्य था कि आवश्यकता पड़ने पर दो व्यक्तियों अथवा दो समूहों के बीच किसी प्रकार का छोटा–मोटा विवाद होता था तो उसे सही एवं गलत का स्मरण दिलवाकर समस्या का समाधान करना होता था। वैसे कार्य में मुख्य रूप से बुजुर्ग व्यक्ति लिये जाते थे और उनकी बातों को आदरपूर्वक पक्ष स्वीकार कर लेते थे, जिससे समाज में शांति बहाल करने में काफी सहयोग मिलता था। देश में प्रजातंत्र के पहले भी राजा. अपने–अपने राष्ट्र में न्यायविदों को चयनित करके राजगुरू के रूप में प्रतिस्थापित करते थे और समय आने पर उनके ज्ञानवान एवं सामाजिक सद्भाव तथा विधि स्थापित करने में सहयोग लिया करते थे । राजतंत्र में भी जब राजा स्वयं न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठता था, उस वक्त वैसे न्यायविदों से सलाह लिया करता था, जो राजा के सलाहकार के रूप में जाने जाते थे। बाद में आकर मुगल साम्राज्य में दरबारी के नाम से भी जाने–जाने लगे। तदोपरान्त, जूरी, न्यायिक सलाहकार के रूप में भी पहचान होने लगी।

समय बदलता गया। साथ ही शासन प्रशासन के स्वरूप भी विकसित होते गये। बाद में विधि की पढ़ाई शुरू हुई जिसमें अपने देश में पहले मुख्तार, वकील, एडवोकेट्स, अधिवक्ता, कानूनगो के नाम से जाने–जाने लगे । विशाल देश की विशाल समस्यायों एवं समाज में विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिये न्याय–व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें यह महसूस किया गया कि यदि अधिवक्ता वर्ग को न्याय का मुख्य अंग नहीं माना गया तो न्याय की गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अधिवक्ताओं को न्यायपालिका का एक प्रमुख अंग माना गया तथा जनतंत्र को बचाने वाला प्रहरी, कानून का व्याख्याता, जनतंत्र की रीढ़ के साथ ही साथ बेजुबानों की जुबान की संज्ञा दी गयी।

सन् 1961 के पूर्व अधिवक्ताओं के लिए कोई अलग से

अधिनियम नहीं था, बल्कि भारत में अधिवक्ताओं की पढ़ाई पूरी होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोर्ट में प्रैक्टिस के लिये अनुज्ञप्ति दी जाती थी एवं पेशेगत अनुशासनहीनता की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही उन्हें दण्डित कर वकालत पेशे से बाहर किया जाता था, अर्थात् सारी शक्तियाँ मात्र माननीय उच्च न्यायालय के पास निहित थीं ।

विदित हो कि वर्षों के प्रयास के बाद तथा देश की आजादी के वर्षों बाद तक मंथन व चिंतन के बाद हिन्दुस्तान के जाने–माने न्यायविदों की सलाह के अनुसार भारतीय संसद ने 1961 में पहली बार महसूस किया कि इस वर्ग की सुरक्षा, रख–रखाव, गतिविधि, पठन–पाठन, अनुज्ञप्ति देने से लेकर अनुशासनहीनता की स्थिति से निपटने तक अधिकार देते हुए 'एडवोकेट्स एक्ट, 1961' को संसद से मंजूरी मिली। उक्त एक्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1962 में विधिवत् नियमावली बनायी गयी, जिसमें सारी चीजों का समावेश भली–भाँति से की गई। उक्त नियमावली के बाद देश के स्तर पर अधिवक्ताओं ने न्याय प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया और उक्त अधिनियम, 1961 एवं नियमावली, 1962 को पूर्णतः लागू करने के लिए एक दो स्तरीय परिषदों का गठन किया गया, जिसे प्रत्येक राज्य में राज्य विधिज्ञ परिषद एंव केन्द्र में भारतीय विधिज्ञ परिषद के नाम से जानते हैं।

प्रतिफल :–

हमें ज्ञात है कि इसका प्रतिफल अधिवक्ता समाज एवं राष्ट्र के लिए हितकारी सिद्ध हुआ तथा इसके कार्य–क्षेत्र भी बढ़े। आज देश में राज्य स्तरीय 17 राज्य विधिज्ञ परिषद एवं एक शीर्ष संस्था बी० सी० आई, दिल्ली में कार्यरत हैं। ऊपर की बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिवक्ताओं की भूमिका समाज में अमन चौन बहाल रखने, न्याय प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने, जनतंत्र में लोगों को न्याय दिलाने तथा बेजुबानों के जुबान बनकर उनकी समस्याओं को उचित समय में उचित जगह पर पहुँचाने वाला यह वर्ग अपने अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन में तत्पर दिख रहा है : – फिर भी इसकी उपेक्षा हर स्तर पर सरकारों की तरफ से क्यों की जा रही है? क्यों इनके खिलाफ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है? क्या कारण है कि कागज पर ऊपर लिखे गये सारे सम्मान के बावजूद अपमान एवं किल्लत की जिन्दगी जीने के लिए इस वर्ग को मजबूर किया जा रहा है?

परिणाम :–

हमें यह भी ज्ञात है कि इस लोकतंत्र के रक्षक, संविधान के व्याख्याता, जनतंत्र की रीढ़, आफिसरस ऑफ दी कोर्ट के साथ ही साथ बेजुबानों के जुबान कहे जाने वाला समुदाय जब खुद अन्याय का शिकार होगा तो जनतंत्र कमजोर होगा और यदि जनतंत्र कमजोऱ होगा तो देश कमजोर होता है, जिसका परिणाम यह भी हो सकता है कि हमारा देश पुनः किसी प्रभावशाली देश के द्वारा गुलाम बना लिया जायेगा ।

गुलामी की नसीहत :–

इतिहास साक्षी है कि मात्र दो सौ वर्षों की गुलामी ने हमे इतना झकझोर दिया कि उसे स्वतंत्र करने में लाखों माताओं के अपने–अपने पुत्रों का बलिदान, लाखों महिलाओं का सिन्दूर का परित्याग के साथ ही लाखों बहनों के भाई छिन लिये गये, तब तथाकथित आजादी मिल पायी है। उन माताओं, महिलाओं एवं बहनों से पूछे कि गुलामी एवं आजादी में फर्क क्या है? वे चले गये और देश के मुट्ठी भर लोग अपने–अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु देश एवं समाज को कमजोर करने में दिन–रात जुटे हुए हैं और राष्ट्र के प्रहरी, रक्षक, न्याय–प्रक्रिया के प्रमुख अंग तथा बेजुबानों के जुबान

कहे जाने वाले के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है – जो सर्वथा स्वीकार योग्य नहीं है।

तथाकथित आजादी क्यों ?

आजादी शब्द के पहले 'तथाकथित' शब्द का प्रयोग देश के लिए उचित नहीं है, परन्तु लाचारी नहीं प्रयोग किया गया है बल्कि हम इसे देख लें कि क्या ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं ?

पूर्ण आजादी किसे कहते हैं ?

किसी भी देश के लिए पूर्ण रूपेण आजाद कहने के लिए उसे तीन चीजों का होना अति आवश्यक है। उन तीनों में से एक कमी दिखे, तो देशवासियों को चिंतित हो जाना चाहिए कि हमारा देश पूर्णतः आजाद नहीं हुआ है :–

प्रथमतः – देश का अपना स्वतंत्र कानून हो ।

द्वितीय – देश की अपनी राष्ट्रीय भाषा हो ।

तृतीय – देश की अपनी राष्ट्रीय पोशाक हो ।

दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि उपर लिखे तीनों आवश्यक तत्व में से एक भी भारत के पास पूर्णरूपेण बचा हुआ नहीं है।

कानून :–

सबसे पहले पायदान पर कानून है जिससे देश का शासन चलता है। यदि कानून सही है और सही दिशा में चल रहा है तो देश सही दिशा में जायेगा, अन्यथा समाज में उच्छ्रृंखलता, द्वेष, कलह, असंतोष बढ़ता दिखेगा, जो अपने देश में दिखना शुरू हो गया है। हमें पूर्णतः ज्ञात है कि देशवासियों का भरोसा न्यायपालिका को छोड़कर और किसी प्रमुख अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता से नहीं रह गया है। यदि न्यायपालिका से कहीं भरोसा लोगों का टूटा, तो निश्चित जानिये कि हम खूनी क्रांति को नहीं रोक सकते जिसका इतिहास साक्षी है 1857 का सिपाही विद्रोह का आधार और कुछ नहीं बल्कि न्यायापालिका/न्यायाधीशों से विश्वास टूटने का ही प्रतिफल था। आज जिस कानून पर भारत की न्याय–व्यवस्था चल रही है, वह पूर्णतः उसकी ही देन है।

1857 के सिपाही विद्रोह का प्रतिफल आज का कानून ।

हमें ज्ञात है कि उन दिनों हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था । पहली बार ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि अब भारतीय जाग रहे हैं और इनका जगना, मेरे भागने का कारण बन सकता है, तो ब्रिटिश संसद में यह भय व्याप्त हो गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि हिन्दुस्तान में यदि राज करना है तो कानून बदलना होगा, अन्यथा टिकना मुश्किल हो जोयगा। उसने घोषणा की कि 'हमें अब भारत के लिए ऐसा कानून बनाना होगा जहाँ न्यायालय हो, न्यायाधीश हो, वकील हो पर किसी को न्याय न मिल सके'। इसकी जिम्मेवारी चतुर, चालाक जॉन मैकाले ने लिया और उसने 1857 से लेकर 1860 तक कठोर परिश्रम के बाद आई० पी० सी०, 1860 लाया। ब्रिटिश संसद में आज भी अभिलेख मौजूद हैं कि उसने खुले आम संसद में भाषण दिया था कि उस कानून मे सब कुछ है, परन्तु न्याय नहीं मिलेगा। हिन्दुस्तान में जो कुछ भी अच्छे कानून थे उसे हटाकर घृणा, वैमनस्यता पैदा करने वाला यह कानून बना दिया, जिस पर वर्ष 2023 में वर्त्तमान सरकार ने एक पहल किया कि 1860 की जगह 2023 नाम रख दिया और उसका नाम भी बदल कर भारतीय न्याय संहिता रख दिया किन्तु अन्यथा विधि की जानकारी के आधार पर कहना यह है कहना उचित होगा कि धाराओं को बदलना एवं क्रमबद्ध करने के सिवाय हर शब्द वे रख दिये गये हैं, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में थे। कहना गलत नहीं होगा कि बोतल का शराब वही है सिर्फ लेबल का नाम बदलकर कम से

कम सन् 1860 से अंग्रेजियत की आ रही बू को कुछ कम करने का वर्त्तमान सरकार ने कोशिश की है, जिसे हम पचहत्तर वर्षों में प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा था। इतना से अधिक कुछ नहीं हुआ है। बहुत कुछ होना है देखें कब तक होता है? कहने का भाव है कि स्वतंत्रता का प्रथम बिन्दु बिल्कुल ही फेल है। चूँकि अपना कानून नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा हिन्दुस्तान की जनता को भयभीत करने के उद्देश्य से बनाये गये कानून को आज भी आरती दिखा रहे हैं जो स्वतंत्र राष्ट्र के लिये घोर चिंता का विषय है

द्वितीय अपनी राष्ट्रीय भाषा :

हमें ज्ञात है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा के स्थान पर हिन्दी को प्रतिस्थापित किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद–343 में प्रावधान किया गया कि भारत संघ की राजभाषा हिन्दी लिपि देवनागरी होगी। पूर्व की भाँति 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 (6) के अन्तर्गत निर्गत् महामहिम राष्ट्रपति, भारत का आदेश दिनांक 27.4. 1960 की कण्डिका– 12 प्रावधानित करता है कि जब परिवर्तन का समय आ जाय तब उच्चतम् न्यायालय अपना सब कार्य हिन्दी में करेंगे, और जिस किसी भी कानून में संसोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, उस कानून में बदलाव कर लिया जायेगा।

भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 ई0 से लागू है। 15 वर्षों की अवधि 26 जनवरी 1965 ई0 को पूर्ण हुई है, जो परिवर्तन का सही समय था। उस तिथि से उच्चतम न्यायालय को अपना सब कार्य हिन्दी में करना चाहिए था और सब उच्च न्यायालय को अपना सब कार्य हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा में करना चाहिए था। आज की तिथि में भी अगर कोई व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय, में हिन्दी में मुकदमा दाखिल करने जाता है, तब पहले उसका दाखिला स्वीकार करने से इनकार किया जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद दाखिला स्वीकार होता है, तब उससे उस हिन्दी आवेदन का अंग्रेजी अनुवाद माँगा जाता है और जब तक उस हिन्दी आवेदन का अंग्रेजी अनुवाद संलग्न नहीं हो जाता है, तब तक उस हिन्दी आवदेन के गुण–दोष पर सुनवायी नहीं होती है, जो सटिक गुलामी का प्रतीक है। हमारा देश भारत आजाद है किन्तु भारत संघ की राजभाषा हिन्दी गुलाम है जो हिन्दी का अपमान ही नहीं बल्कि संविधान के प्रतिकूल भी है।

तृतीय – राष्ट्रीय पोषाक

तृतीय विन्दु के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना बताना आवश्यक समझता हूँ कि राष्ट्रीय पोषाक को पहनना तो छोड़ दिजिए लोग अब नाम भी भूलने लगे हैं इसके स्थान पर पूर्णतः पाश्चात्य देश का कपड़ा हम भारतवासियों पर हावी हो गया है और गर्व के साथ उसका उपयोग करते हैं और बच्चों को भी प्रेरित करते हैं– अब हम तय करें कि आजाद मुल्क के लिए जो तीन आवश्यक अंग हैं उसे हम पूरा कर पा रहे हैं? यदि उत्तर ना है तो निश्चित तौर पर हमारी आजादी तथाकथित ही कही जायेगी – जिसे पूर्णता प्राप्त होना शेष है।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 एवं नियमावली, 1962 के सभी प्रावधान आजतक लागू हुए कि नहीं पर एक नजर

जैसा कि हमें ज्ञात है एवं पूर्व में जिक्र भी किया जा चुका है कि अधिवक्ताओं के संघर्ष एवं संसद द्वारा पारित अधिनियम अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सुविधा का ख्याल रखते हुये शैक्षणिक स्तर को पेशेगत कदाचार के मामले मे निष्पक्षता के साथ कार्यवाही चलाकर दोषी अधिवक्ताओं को

प्रावधान के अनुसार दण्डित करना मुख्य कार्य दिये गये।

गौरतलब है कि वकालत पेशे के लिए अनुज्ञप्ति देने के बाद भी अधिवक्ताओं को वकालत करने के अधिकार से वंचित करने का षडयंत्र रचा जा चुका है और अधिवक्ता कानून के अनुसार अपने मुवक्किलों का पक्ष मजबूती से रखने का प्रयत्न करते हैं उनका ही अनुज्ञप्ति को रद्ध करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, जिससे जनता में बहुत गलत संदेश जा रहा है कि जब कानून के ज्ञाताओं को ही कानून से कोई मतलब नहीं है, तब आम लोगों को कानून मानने से क्या होगा? अधिवक्ता अधिनियम, 1961 एवं नियमावली, 1962 में आम अधिवक्ताओं को लाभ देकर उन्हें उनके पेशे के प्रति वफादारी एवं ईमानदारी को बरकरार रखा जाना है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा–24 के अनुसार अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में 250/– (दो सौ पचास रूपये) 1962 में लेना तय हुआ था, जिसे एकबार 1993 में सरकार ने संशोधन के जरिये 750/– (सात सौ पचास) रूपये प्रति व्यक्ति तय किया, परन्तु मँहगाई की बदतर स्थिति को देखते हुए पुनः कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी। फलतः बेखौफ अनाधिकार रूप से शीर्ष संस्था की देख–रेख में शुल्क की रकम बेतहाशा बढ़ाते – बढ़ाते प्रत्येक स्टेट काउन्सिल पच्चीस हजार से लेकर पचास हजार तक वसूल करने लगा।

स्मरण रहे कि कानून जानने वाले एवं कानून बनाने वाले दोनों की लापरवाही के चलते आम अधिवक्ता उसका परिणाम भुगत रहे हैं। वर्षों बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में एक चुनौती दी गयी गौरव बनाम् बी० सी० आई० जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के आलोक में गलत ढंग से वसूले जा रहे शुल्क को बंद किया।

<u>तात्पर्य :–</u>

यह है कि सरकार एवं शीर्ष संस्था उक्त अधिनियम एवं नियम को निष्पक्ष समर्थन करने में असमर्थ बनी हुई हैं। कानून का दुरूपयोग कानून के पंडितों द्वारा लगातार किया जा रहा है। जो कानून सरकार/ससंद एवं शीर्ष संस्था को लाभ पहुँचाने के लिए है, उसका अनुपालन बहुत कड़ाई से होता है। किन्तु जो कानून निर्धन एवं कमजोर अधिवक्ता एवं पीड़ित पक्षकारों के पक्ष में है, उसकी अवहेलना लगातार हो रही है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं है कि बीच–बीच में सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन का प्रस्ताव लाया तो देखा गया कि केवल उन धाराओं में संशोधन अथवा बदलाव लाना चाह रही है, जिसे भली–भाँति सम्पादित किया जा रहा है। उन प्रावधानों को सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है तथा दिनानुदिन उत्तरोत्तर वृद्धि एवं संतोषप्रद कार्य हो रहे हैं, जैसे अनुज्ञप्ति संबंधी कार्य, कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में विकास सम्बन्धी कार्य, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों एवं विधि महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्य को संशोधन के माध्यम से बदलने का कार्य, करने का प्रयास किया जा रहा है और जो प्रावधान आज तक लागू ही नहीं किये गये जो आम अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं सहयोग से सम्बन्धित हैं उनपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

लॉ कमिशन का प्रतिवेदन वर्ष 2012, 2017 एवं अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 पर एक नजर

आज भारत वर्ष में कुल 27 (सताईस) लाख अधिवक्ता हैं, जो निर्भीक होकर ईमानदारी के साथ पक्ष एवं विपक्ष की भूमिका में रहकर जनता जर्नादन को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। समय–समय पर उन्हें कुख्यात अपराधकर्मी के खिलाफ भी कार्य करना पड़ता है, जो सीधे इनके आमने सामने होते हैं। आये दिन आज निर्मम हत्यायें

अधिवक्ताओं की हो रही हैं और उसके लिये किसी को भी न तो सरकार की ओर से और न तो हमारी शीर्ष संस्था की ओर से कोई सहूलियत दी जाती है, बल्कि उल्टे अधिवक्ता विरोधी संशोधन, विधेयक संसद के समक्ष बिना सही ढंग से विचार किये एवं सम्बन्धित पक्षों की राय जाने संसद के समक्ष लाया जाता रहा है और एन–केन–प्रकारेन बी0 सी0 आई0 की सहमति ली जाती रही है । सन् 2012 में ऐसे मामले जब सामने आये तो दिल्ली के आम अविक्ताओं एवं स्वयंसेवी संगठनों ने जब हंगामा खड़ा किया, तब उसको बी० सी० आई० की ठंडा बस्ते में रख दिया गया, परन्तु पुनः 2017 में लॉ कमिशन ने अपनी संसोधित सिफारिश केन्द्र सरकार के पास भेजी जिसे केन्द्र सरकार ने लोकसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। विधि आयोग का कहना था कि बी0 सी0 आई0 के माननीय चेयरमेन की सहमति ले ली गयी, जिसे माननीय चेयरमेन ने इंकार करते हुए कहा था कि हस्ताक्षर जाली है। जोरदार हँगामें के बीच 11 एवं 12 फरवरी, 2019 को बी0 सी0 आई0 के आहवान पर पूरे भारत वर्ष के वकील अपने को न्यायालय कार्य से अलग रखते हुए विरोध किया। मामला को पुनः दबा दिया गया । पुनः ससंद के समक्ष अधिवक्ता अधिनियम 1961 के संसोधित विधेयक, 2025 को रखा गया और हमारी बी० सी० आई० तबतक कोई कारगर कार्रवाइ नहीं की, जबतक दिल्ली प्रदेश एवं एन० सी० आर० के अधिवक्ताओं ने जोरदार ढंग से विरोध शुरू नहीं किया, उनके द्वारा उठाये गये मामले पर पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ता आन्दोलित होने लगे, तब जाकर मामला पुनः शांत हुआ।

आखिर क्यों ऐसा बार–बार किया जा रहा है? क्या हम कहीं–न–कहीं कमजोर दिख रहे हैं? यह हमारी वफादारी एवं ईमानदारी को लाचारी समझने की सरकार भूल तो नहीं कर रही है? क्या सचमुच हम अधिवक्तागण किसी–न–किसी रूप में दोषी हैं?

मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमसे भूल हो रही है और उसका प्रमुख कारण लगता है कि हम एक नहीं हैं। हम विभिन्न खेमों बँटे हुए हैं।

ज्ञातव्य हो कि हमारा देश जनतांत्रिक प्रणाली से चलता है और जनतंत्र में समुदाय की शक्ति के अनुसार सरकारों में उसे स्थान दिया जाता है। हम संख्या में सताईस लाख हैं जो सताईस करोड़ से भी ज्यादा ताकतवर हैं। परन्तु दुर्भाग्य है कि हमें अलग रखो एवं राज करो (Divide & Rule) के पॉलिसी पर चलाया जा रहा है । जनतंत्र की खूबी होती है कि अत्यधिक राजनैतिक पार्टियां होती हैं और सबों ने अपना–अपना विधि प्रकोष्ठ का गठन कर लिया है और हम कहीं–न–कहीं उनमें विधि प्रकोष्ठ के सदस्य के रूप में शामिल हैं, जहाँ हमारी लाचारी हो जाती है कि उनके दल के अनुसार ही आचरण करें। उन दलों की सीमा से हम बाहर निकल नहीं पाते जिसके चलते हमारी अपनी समस्या गौण हो जाती है और समस्या समाधान के सिवाय समस्या बढ़ने लगती है।

<u>सरकारों की समझ :–</u>

उधर सरकार समझने लगती है कि ये अधिवक्ता वर्ग कभी एकजुट नहीं हो सकते और एकजुट नहीं होगें तो सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दूसरी तरफ स्टेट बॉर कौंसिल अथवा बी० सी० आई0 का प्रश्न है वहाँ भी पूरी तरह विभाजन देखने को मिलता है। मेरा अपना बिहार स्टेट बॉर कौंसिल, पटना के सदस्य के रूप में 35 साल रहने का अनुभव बताता है कि बॉर कॉउन्सिल में विभाजन वृहद पैमाने पर है और यदि कहीं चेयरमेन किसी खास राजनैतिक दल के सदस्य अथवा पदाधिकारी मिल जाते हैं, तब तो भगवान ही मालिक है। चूँकि सरकार के खिलाफ वो बोलेंगे नहीं और बॉर कौंसिल को छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसा

कटु अनुभव मुझे खुद कई मौके पर मिला है। बिहार बॉर कॉउन्सिल का तत्कालिन अध्यक्ष 2019 में बिहार के माननीय महाधिवक्ता ललित किशोर, बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे थे, जिन्हें सरकार की ओर से उनका पक्ष रखना, आवश्यक कार्यों में से एक था और इधर बिहार के सवा लाख अधिवक्ताओं के लिये बनी स्टेट बॉर कॉउन्सिल के अध्यक्ष के नाते उनके हित के लिये भी कार्य करना था। परिस्थितिवश केन्द्र सरकार ने लॉ कमिशन की रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश कर दी, जिसपर अधिवक्ताओं ने रोषपूर्ण तरीके से विरोध शुरू किया और उधर बी० सी० आई० ने संघर्ष का विगुल फूँक दिया।

नतीजा :–

हुआ कि माननीय महाधिवक्ता ने न तो अध्यक्ष पद छोड़ा, न ही महाधिवक्ता का पद छोड़ा और न ही संघर्ष में साथ दिया, बल्कि बी० सी0 आई0 के अनुशासन समिति के सदस्य के पद पर कार्यरत रहते हुए मुझे संघर्ष समिति के संचालन का भार सौंप दिया। अथव परिश्रम के बाद आन्दोलन सफल हुआ, तो माननीय अध्यक्ष एवं सरकार के विद्वान महाधिवक्ता राज्यपाल भवन में ज्ञापन सौंपने के समय सरकार की ओर से उपस्थित नजर आये। इस बात का अधिवक्ताओं में खास विरोध नजर आया था और इस तरह की स्थिति के चलते वह मुद्दा ठण्डा बस्ता में पड़ गया।

ज्ञातव्य हो इस बार 2025 में जब संशोधन विधेयक अधिवक्ता अधिनियम, 1961 संसद के समक्ष पेश हो गया, तो हमारे माननीय अध्यक्ष बी० सी० आई०, जो हाल में ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा सांसद बनाये गये, को कई परेशानी होने लगी, क्योंकि भाजपा की केन्द्र में सरकार और उसी का विरोध नतीजन चुप्पी साधने का प्रयास किया गया जैसा कि ज्ञात है कि 13 फरवरी, 2024 को भारत सरकार ने वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संसद में पेश करने की सूचना दे दी। परन्तु बी० सी0 आई0 25 फरवरी 2024, तक सोयी रही। जब दिल्ली एवं देश के अन्य राज्यों में अधिकतर जिसमें बिहार आगे था, सक्रिय हुआ तब बी० सी0 आई0 की नींद खुली। आखिर नींद पड़ी हुई क्यों थी, चूँकि अधिवक्ता समझ रहे थे कि माननीय अध्यक्ष हमारे प्रतिनिधि और भाजपा सरकार समझ रही थी कि सदस्य हमारे द्वारा संसद में भेजे गये हैं। दोनों समझदारी के कारण भारत के वकीलों को अपूर्णीय क्षति होने जा रही थी। ऐसे हालात में अधिवक्ताओं की स्वयं–सेवी परन्तु निबंधित संस्थाओं की अहम भूमिका हो जाती है, जो अपने नेताओं को जामवंत की भूमिका में जाकर उन्हें उनके कर्त्तव्यों का स्मरण दिला सके।

स्वयं–सेवी संस्थायें :–

देश के पैमाने पर अधिवक्ताओं के राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्वयं–सेवी संगठन निबंधित एवं संगठित रूप से कार्य कर रहे हैं। राजनैतिक दलों के विधि प्रकोष्ट के अलावा गैर–राजनैतिक एवं पारदर्शी संस्था के रूप में बिहार प्रदेश में युवा अधिवक्ता कल्याण समिति का गठन 27 जून, 1977 को हुआ, जिसने अपने शीर्ष संस्था के नेताओं को समय–समय पर जगाने एवं अपनी 16 (सोलह) सूत्री मांगों को लेकर हँगामेदार तरीके से बिहार में वकीलों के कल्याणार्थ लड़ाई लड़नी शुरू की। हाँलाकि हमारी शीर्ष संस्था ने उन दिनों इस समिति का विरोध प्रदर्शित किया था, परन्तु अधिवक्ताओं की भावनाओं एंव कार्यों के प्रति रूचि को देखते हुए सहयोग करना शुरू किया, जिसका परिणाम हुआ कि पहली बार बिहार के अधिवक्ताओं ने 21 जनवरी, 1983 एवं 6 फरवरी, 1983 को पूर्ण परिधान में गाँधी मैदान, पटना से विधानसभा तक पैदल मार्च किया, जो अपने आप में ऐतिहासिक क्षण था। अधिवक्तओं के इतिहास में अपने लिए इतनी

बड़ी संख्या में कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी गयी थी, जिसकी पुष्टि देश के 14 अखबारों ने किया था। इतना ही नहीं, आक्रोषित अधिवक्ता लड़ाई को धारधार बनाने के लिये लगातार 1981 से लेकर 1986 तक छः बार प्रतिकात्मक जेल भरो अभियान चलाये, जिनमें हजारों अधिवक्ताओं ने अपनी–अपनी गिरफ्तारी दर्ज करायी। तदोपरान्त बिहार सरकार को झुकना पड़ा और 1982 में आर्डिनेंस 1983 में अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम एवं 1984 में अधिवक्ता कल्याण कोष नियमावली का जन्म हुआ जो सन् 1985 से बिहार एवं झारखण्ड में लागू हैं, जिससे हजारों अधिवक्ताओं को मृत्युलाभांश, चिकित्सा लाभांश एवं सेवा–निवृत राशि उपलब्ध करायी जाती हैं। यहाँ पर यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि मुझे उक्त संस्था में संस्थापक होने के साथ–ही–साथ सिपाही से कप्तान तक रहकर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था, परन्तु कालक्रम से कुछ स्वार्थी अधिवक्ता नेताओं के चलते समिति कई भागों में बँटती चली गयी एवं अन्ततोगत्वा सिविल कोर्ट, पटना में एक सूट दायर कर दिया गया कि कौन समिति सही है ? जो आज तक लंबित है ।

ज्ञातव्य हो कि वह गैर–राजनैतिक मजबूत संस्था थी जिसे स्वार्थी लोगों ने तोड़ दिया। वैसी परिस्थिति में चिंतक अधिवक्ताओं ने गहन चिंतन एवं मंथन के बाद यह तय किया कि एक देश के स्तर पर अधिवक्ता कल्याण समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है जो समय–समय पर अपने समाज के कल्याण की लड़ाई की दिशा में अपने शीर्ष संस्थाओं को जामवंत की भूमिका में रहकर उन्हें उनके कर्त्तव्यों के प्रति स्मरण दिलाते रहे और यदि याद करने की स्थिति में स्वयं देश के अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ संवैधानिक तरीके से आन्दोलित कर उनकी सुरक्षा एवं अधिकारों की रक्षा करने में सहयोग कर सके।

<u>अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के गठन की आवश्यकता पर एक नजर</u> :–

खासकर बिहार प्रदेश में युवा अधिवक्ता कल्याण समिति, जो एक निबंधित एवं गैर–राजनैतिक संस्था के रूप में वर्षों से निष्पक्षता के साथ, अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ सरकार एवं गलत नीतियों के खिलाफ लड़ती रही, उसका लगभग पतन हो चुका था और न्यायालय में मामला लंबित हो गया था, जिससे अधिवक्तागण अपने को निरीह प्राणी समझने पर मजबूर हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि दर्जनों संस्था होने के बावजूद भी खुद वैसी संस्था नहीं है, जो गैर–राजनैतिक एवं पारदर्शी ढंग से अधिवक्तओं के कल्याण एवं न्याय–प्रणाली की गिरावट को रोकने की दिशा में पहल करे, जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है कि हिन्दुस्तान की जनता का भरोसा न्यायपालिका पर ही टिका हुआ है और सच्चाई भी है कि न्यायालय ही इन दिनों देश को चला रहा है चाहे वह कार्यपालिका या विधायिक से संबंधित क्यों न हो? आये दिन आप देखेंगे कि न्यायालयों में वैसे मुकदमों की भीड़ है जो स्वयं सरकार के स्तर पर तय हो सकते हैं। परन्तु आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सरकार ही सबसे बड़ा लिटिगेन्ट के रूप में कार्य कर रही है, जिससे न्यायालयों में मुकदमों का अंबार लगता दिख रहा है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार देश के स्तर पर लगभग पाँच करोड़ से अधिक मामले न्याय हेतु लंबित हैं जिसका समाधान निकट भविष्य में होना संभव नहीं लगता है।

माननीय न्यायमूर्तिगणों की भी कार्य की सीमा है और उन्हें भी समुचित साधन सरकार की ओर से मुहैया नहीं किया जाय तो न्याय के पहले अन्याय एवं लंबित मुकदमों के फैसले के बजाय अत्यधिक भार पड़ते जायेंगे, जैसा कि रोज–व–रोज न्यायालयों में देखने को मिलता है। जस्टिस डेलिवरी

सिस्टम की गड़बड़ी के चलते सीधे असर आम नागरिकों पर पड़ता है, चूँकि मुकदमा फैसला नहीं होने की स्थिति में सीधे तौर पर वे ही प्रभावित होते हैं। इन समस्याओं के समाधान की दिशा में विद्वान एवं चिंतक अधिवक्ताओं ने चिंतन किया वो तय किया ऐसी भीषण परिस्थिति को सम्भालने वो समय – समय पर सरकारों अथवा शीर्ष संस्था को उनमें कर्त्तव्यों के प्रति सजग करने के लिये एक विशुद्ध गैर–राजनैतिक पारदर्शी एवं संवैधानिक तरीके से आन्दोलन करने के लिए एक अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का गठन आवश्यक है, जिनका मुख्य उद्देश्य है– **न्याय पाने वाले, न्याय दिलाने वाले और न्याय देने वालों** की समस्या का चयन एवं उनके समाधान की दिशा में संवैधानिक तरीके से पहल कर सके। साथ–ही–साथ जैसे तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि – हनुमान जब अपनी वीरता को भूल गये तो जामवंत जी ने इन्हें उनकी पिछली वीरता की कहानी सुनायी, पुनः याद दिलाया तो वे पुनः पूर्णतः आश्वस्त होकर राम कार्य में लगे और असम्भव को सम्भव कर दिये। ठीक उसी प्रकार जामवंत जी की भूमिका में हमारी यह राष्ट्रीय समिति कार्य करते हुए अपनी सरकार भी कुम्भकरण की निंद्रा को तोड़ने एवं शीर्ष संस्था को जगाने का कार्य करती रहेगी। इन्हीं पवित्र एवं स्वस्थ सोच के साथ 26 नवम्बर 2016 को बिहार प्रदेश की राजधानी पटना में समिति की स्थापना की गयी जिसका निबंधन संख्या – 519 / 17 – 18 है।

ज्ञातव्य हो कि अल्प समय में इस समिति ने 25 सूत्री माँगों को लेकर संवैधानिक तरीके से संघर्ष करते आ रही है। बहुत कम समय में ही समिति को सफलता भी मिलती नजर आ रही है।

स्मरण रहे कि समिति ने अपना आठवाँ वार्षिक राष्ट्रीय महाधिवेशन पिछले साल 30 नवम्बर, 2024 को मुजफ्फरपुर में सम्पन्न किया, जिसमें राजनेताओं के अलावा, शिक्षाविद, समाजसेवी एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के माननीय न्यायमूर्ति ने भाग लिया। आठ वर्षों के कार्यकाल में समिति का गठन बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, पं0 बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली के साथ–साथ महाराष्ट्र में भी किया जा चुका है। दिल्ली प्रदेश समिति एवं राष्ट्रीय कोर कमिटी की बैठक दिनांक 26 अप्रैल 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय, दिल्ली पथ के समीप भगवान दास पथ पर अवस्थित हॉल में पूर्व वाईस चेयरमेन, बी० सी० आई०, पूर्व अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट आदिश अग्रवाल एवं कुमार गौरव के संयुक्त सौजन्य से सम्पन्न हुआ, जहाँ खुले मंच से दिल्ली वासियों ने समिति का नौवाँ वार्षिक अधिवेशन माह नवम्बर, 2025 में दिल्ली में करवाने का आग्रह किया गया, जिसे अनौपचारिक रूप से स्वीकार भी कर लिया गया।

हमारी राष्ट्रीय कोर कमिटी विशेष रूप से माननीय आदिश अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों को न केवल कार्यक्रम सम्पन्न कराने, बल्कि उनके द्वारा उद्बोधन में बिहार के प्रति यह बोलते हुये कहना कि मुझे पूरा भरोसा है कि जिन–जिन विन्दुओं पर समिति कार्य कर रही है, वे अवश्य ही पूरे होंगे, वे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1975 के लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम लेते हुये कहा कि बिहार ने जब– जब अगुआई की है, तब–तब लड़ाई अंगराई लेते सफलता की ओर बढ़ी है। उनके इस विश्वास को नमन एवं वन्दन करते हुए हमारी राष्ट्रीय कोर कमिटी ने उन्हें कोटि–कोटि धन्यवाद दिया है तथा भविष्य में उनके हौसले और बुलंद रहेंगे की अपेक्षा करती है। राष्ट्रीय कोर कमिटी ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि वैसे जुझारू अधिवक्ता नेता को, प्रसस्ति पत्र सह–अधिवक्ता रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाय।

समिति का नवम वार्षिक महाधिवेशन जो दिल्ली के लिए प्रस्तावित है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्त्तमान पहलुओं पर एक नजर :—

मेरे लेखन का मुख्य बिन्दु ही सरकारों एवं हमारी शीर्ष संस्था के अधिवक्ता कल्याण के प्रति उदासीन रवैइये एवं चुप्पी है। यह देखना आवश्यक प्रतीत होता हैं कि हम देखें कि सरकार हमारे समुदाय के लिए इतने वर्षों की आजादी मिलने के बावजूद क्या—क्या किया है? देश को आजाद करने से लेकर भारत के संविधान की रचना करने तक हम अधिवक्ताओं का गौरवमय इतिहास रहा है। हम अपने को गोर्वान्वित महसूस करने लगते जैसे हमारे पूर्वज की भगीदारी की कहानी स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारतीय संविधान की रचना तक सुनते हैं। महात्मा गाँधी से लेकर डा० राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉ० भीमराव अम्बेडकर एवं अन्य मिलकर ईमानदारी एवं वफादारी के साथ लड़ाई लड़ी ही नहीं, बल्कि अंग्रेज को खदेरकर भगाया और आजादी के बाद देश के हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया, परन्तु न जाने क्यों इस कानून के पंडित, जनतंत्र के रक्षक, कानून व्याख्याता, ऑफसर्स ऑफ दी कोर्ट, बेजुबानों के जुबान के साथ—ही—साथ न्यापालिका के प्रमुख अंग माने जाने वाले इस समूह को सुविधाओं से क्यों वंचित रखा गया? क्या कारण है कि इनके प्रति किसी भी संस्था की सहानुभूति नजर नहीं आती है? यहाँ तक कि कोरोना काल (2019+2021) जिसके नाम से व्यक्ति काँप जाता है, चूँकी महामारी जिसमें बाप की लाश पड़ी हो पर बेटा छू नहीं सकता, माँ, पत्नी, बहन, भाई किसी प्रकार संसार से विदा ले रहा है, परन्तु उसे न तो प्रणाम कर सकते वो मिट्टी दे सकते हैं यह केवल बीमारी के भय से नहीं बल्कि सरकारी आदेश भी था कि आप छू नहीं सकते। उक्त अवस्था में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रथम किस्त में देश के हर वर्ग को आर्थिक लाभ के रूप में अठाईस लाख करोड़ रूपये की घोषणा की थी, परन्तु केवल व केवल अधिवक्ता वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों को शामिल किया गया था। मुझे याद है उक्त समय में 90% अधिवक्ताओं की स्थिति ऐसी हो गयी थी कि वे पेशे छोड़कर दूसरी पेशे को अंगीकार करने पर मजबूर होने लगे थे। बहुत अधिवक्ताओं ने अपने पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे को अपनाने के लिए मजबूर हो गये। हमलोगों ने अपनी—अपनी संस्थाओं की ओर से सरकार को लिखते रहे, पर एक भी नहीं सुनी गयी। मदद करना तो दूर, अधिवकता वर्ग राष्ट्र का कोई आवश्यक अंग है कि चर्चा तक नहीं की गयी। बी० सी० आई० एवं स्टेट कौंसिल ने अपनी सीमित आय से थोड़ा—थोड़ा देकर अधिवक्ताओं के प्राण बचाने का महतीय कार्य किया था।

इधर ही सुनने को मिला कि 2014 में वर्त्तमान प्रधानमंत्री तत्कालिन मुख्य मंत्री, गुजरात ने देश के अधिवक्तओं की सभा गाँधी नगर, गुजरात में बुलवायी थी, जिन्होंने अपने उद्‌बोधन में कहा था कि अब देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। वकीलों के भी अच्छे दिन आनेवाले हैं। यह बात बी० सी० आई० के को— चेयरमेन, श्रीनाथ त्रिपाटी ने अपने एक वीडियो वार्त्ता के माध्यम से कहा कि वे मोदी की सभा में भी शामिल हुए थे और 2014 से आज तक इंतजार कर रहे हैं कि अब वही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और देश में हर वर्ग के लिये कुछ न कुछ कर रहा है। वे वकीलों के लिए भी कुछ करेंगे, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज तक वकीलों की तरफ झाँकने का कार्य भी नहीं किया, आखिर क्यों? कोई न कोई तो ठोस कारण होना चाहिए, जिससे पता चले कि हमारा अपराध क्या है?

देश के कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्य की सरकारें भी वकीलों की भी कोई समस्या है और उसकी पूर्ति होने से न्याय प्रणाली प्रभावित होगी पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है।

आखिर क्यों? आये दिन वकीलों की निर्मम हत्यायें अपराधियों द्वारा दिन–दहाड़े कोर्ट कैम्पस में या कोर्ट आने–जाने के रास्ते में गोली मारी जा रही है। एक–दो दिन तक तो चर्चा होती है, फिर सरकार एवं तमाम संस्थाएं चुप्पी साध लेती हैं। आखिर क्यों? उदाहरण स्वरूप बिहार प्रदेश के छपरा कोर्ट आते समय अधिवक्ता के पूर्ण परिधान में रामअयोध्या राय, अधिवक्ता एवं उनके अधिवक्ता पुत्र की निर्मम हत्या दिन दहाड़े रोड पर गोली मार कर कर दी गयी। बिहार स्टेट बॉर कांन्सिल के उपाध्यक्ष, श्री कामेश्वर पाण्डेय, भागलपुर को गला दबाकर उनके घर में इनकी हत्या हत्यारों ने कर दी तथा उनकी नौकरानी को मारकर उसकी लाश को उन्हीं के घर के कोने में रखे ड्राम में बंद कर दिया, जोरदार हंगामा हुआ। स्टेट कौंसिंल ने अपना गला फाड़कर आवाज लगायी। स्पेशल कोर्ट बनाकर ट्रायल करने की माँग की गयी, परन्तु स्पेशल कोर्ट को कौन कहे आज तक नियमित कोर्ट द्वारा भी विचारण शुरू नहीं किया गया और सबके सब चुप हो गये। आखिर यह समुदाय कब तक इंतजार करेगा कि हमारा भी कोई देश में देख–रेख करनेवाला कानून बनेगा ? न्याय का प्रहरी दूसरों को न्याय दिलाने वाला, कब तक अन्याय का शिकार बनता रहेगा, यद्यपि हमारी समिति 25 सूत्री माँगों को लेकर वर्षों से लड़ रही है, जिसमें कुछ माँग अतिआवश्यक हैं, जिन्हें भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। सुरक्षा की जगह समाप्त करने की चेष्टा कर रही है और जिस दिन यह वर्ग समाप्त होगा, उसी दिन से जनतंत्र की उल्टी गिनती शुरू हो जायेगी। वर्षों से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एण्ड कम्पनशेषण एक्ट बनाने की माँग जोरों पर है, परन्तु सरकारों के कान पर जूँ तक नहीं रेंग रहा है और हमारी शीर्ष संस्था सीजनल बीमारी की तरह जोर लगाते और पुनः ठंडा ही हो जाती है। इसका सीधा कारण है कि हम सीना तानकर सरकार के सामने लड़ने को तैयार नहीं हैं, कारण अब सबको मालूम हो चुका है।

उपरोक्त की बातों से स्पष्ट होता दिख रहा है कि सरकार हमारी समस्याओं के समाधान के प्रति अपना रूख खिलाफ किये हुए है – अब रही हमारी शीर्ष संस्था की चुप्पी तो इस पर भी हमें थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए।

शीर्ष संस्था (बी0 सी0 आई0 की चुप्पी एवं अधिवक्ता विरोधी आचरण) –

हमें ज्ञात है कि बी० सी० आई० का निर्माण शीर्ष संस्था के रूप में अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं अधिकारों के साथ–ही–साथ मान–सम्मान बढ़ाने की दिशा में कार्य करना है। इसके अलावा लाचार एवं कमजोर अधिवक्तओं के लिए भिन्न–भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ पहुँचाना है। उनको असुरक्षा अथवा किसी भी संस्था द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो तो उससे निजात दिलवाना है, अर्थात् कुल मिलाकर अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं संरचना की जिम्मेवारी हैं इसके अलावा पठन–पाठन की प्रक्रिया को भी देख–रेखकर उनके स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही साथ कदाचार करने वाले अधिवक्ताओं से नियमानुकूल अनुज्ञप्ति रद्ध करना है ।

आये दिन ऐसा महसूस होने लगा है कि हमारी संस्था अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है, बल्कि अपने आप को शोषक एवं आम अधिवक्ताओं को शोषित की श्रेणी जैसे व्यवहार करती नजर आ रही है, जिससे देश के वकीलों में असंतोष व्याप्त होता जा रहा है। वकील अपने को निरीह प्राणी समझने पर मजबूर दीख रहे हैं। कभी–कभी ऐसा लगता है कि जायें तो जायें कहाँ ? किसके पास अपनी समस्या कही जाय? कौन सुनेगा ?

बी० बी० आई० की उपलब्धियों पर विचार:–

(क) अधिवक्ता अनुज्ञप्ति देने के बाद AIEB की परीक्षा लेने के

संबंध में, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 एवं नियमावली, 1962 में कहीं भी जिक्र नहीं है कि अधिवक्ता अनुज्ञप्ति देने के बाद फिर से परीक्षा ली जायेगी और परीक्षा जीवन भर देना होगा। पहले था कि परीक्षा चार बार यानी दो वर्ष तक दे सकते हैं। अब कर दिया गया है कि परीक्षा जीवन भर दे सकते हैं, परन्तु बिना पास किये वकालत नहीं कर सकते। बताईये भला किस काम का लाईसेन्स दिया । लाईसेन्स देने के पहले 9 सेमेस्टर या 10 सेमेस्टर का इम्तहान लिया उसका क्या हुआ? यह परीक्षा योग्यता बढ़ाने के लिए ली जाती है, परन्तु इससे योग्यता में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उससे केवल वो केवल नवयुवक अधिवक्ताओं को अपमान एवं तिरस्कार की जिन्दगी जीने को मजबूर किया जा रहा है। आप जरा सोचें आधी जिंदगी बिताने के बाद वकालत का लाईसेंस मिला। दो वर्षों तक वकालत करने के बाद पुनः वंचित कर परीक्षा का तांता शुरू किया। अब वह बेचारा कहीं का नहीं रहा – न घर का ना घाट का ही। न तो वकील रहा वह और न विद्यार्थी ही। इस व्यवस्था से अधिकांश नवागन्तुक अधिवक्ता अपमानित होकर आत्महत्या तक करने को आतुर हो रहे हैं, इसे अविलंब रोका जाना चाहिए। क्योंकि अधिवकता अनुज्ञप्ति के बाद कोई परीक्षा का प्रावधान नहीं है और नहीं होनी चाहिये। यह केवल किसान–मजदूर के बाल–बच्चों को अधिवक्ता होने के बाद भी उनको वकालत करने के अधिकार से वंचित करने की साजिश है ।

(ख) अधिवक्ता प्लेस एण्ड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल, 2015 का निर्माण भारत वर्ष के Election जैसे मेनडेंट्री प्रोविजन के नाम वर्षों – वर्षों तक रोक रखना एक संवैधानिक संकट जैसा लगता है। बी० सी० आई० 2014 में इस रूल को लाया, जब हंगामा हुआ तो वापस ले लिया । फिर 2015 में थोड़ा बहुत सुधार करते हुए लागू किया, यह कहकर कि नाजायज लोग वकालत पेशा में घुस गये हैं, उन्हें निकालना आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूँ कि घुस कैसे गये हैं? लाईसेंसी ऑथोरिटी क्या कर रहे थे? किस प्रकार उनके कागजातों की जाँच की गयी, कि वे घुस गये। लगता है एक तरफ अनधिकृत फी बढ़ाकर लाईसेंस देने की दुकानदारी शुरू कर दी और दूसरी तरफ गलत लाईसेंस निर्गत करने लगे और जब उनकी बाढ़ आ गयी तो रूल लाकर तंग एवं तबाह करने लगे। सही अधिवक्ता अपने पेशे की गरिमा बहाल करने में जीवन खपा चुके हैं। सभी अधिवक्ताओं का प्रमाण पत्र का हर पाँच वर्ष पर जाँच करना कहाँ तक उचित है? किसी भी स्थिति में यह उचित नहीं है कि सभी अधिवक्ताओं को अपमानित किया जाय और हर बार उनसे सही होने का प्रमाण पत्र माँगा जाय। आज 2015 से लेकर 2024 तक बहुत प्रयास करने वो चुनाव तक बाधित करने के बावजूद अधिकांश लोगों ने विरोध स्वरूप अपना वेरिफिकेशन फार्म नहीं भरा है, जिससे उनका विरोध का पता चलता है। वेरिफिकेशन के नाम पर चुनाव को बाधित करना और उसी संस्था द्वारा, जिसने गलत लाईसेंस दे दिया है, उसपर कोई कार्रवाई नहीं करना यह कहाँ का न्याय है? बिना सही जाँच के गलत लाईसेन्स देने वाले व्यक्तियों को दण्ड के बजाय पुरूस्कार दिया जा रहा है और निर्दोष को दोषी के साथ ही दण्डित किया जा रहा है। यह सर्वथा अन्याय हो रहा है। हमें ज्ञात है कि इस वेरिफिकेशन की आड़ में पूरे भारत वर्ष का चुनाव रोक दिया गया है, लगभग दो वर्षों से, शंकर भगवान के त्रिशुल पर बसे बिहार राज्य बॉर काउन्सिल का चुनाव, 2023 सभी नियमों को ताखे पर रखते हुये गलत ढ़ंग से समाप्त करा दिया गया है, चूँकि बिहार के प्रतिनिधि बी0 सी0 आई0 के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। उक्त चुनाव के खिलाफ चुनाव याचिका दायर हुआ, जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दिनांक 07.12.2024

को आदेशित किया है कि तथाकथित चुनाव जीते हुये अधिकारी कॉउन्सिल के सदस्य नहीं हो सकते, चूँकि चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के पूर्व ही चुनाव याचिका दायर हो चुकी थी, जिसके प्रकाशन पर रोक लगा दिया गया है। उक्त आदेश के बाद बी० सी0 आई0 के पास कानून का एक ही रास्ता बचता है कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 8 (ए) का उपयोग करते हुये विशेष कमिटी का गठन बिहार बॉर कॉउन्सिल के लिये कर दे, परन्तु दुःख इस बात का है कि कानून को न मानने की प्रवृति के चलते बी0 सी0 आई0 अपने कानूनी रास्ता को छोड़कर न्यायालय के आदेश के बावजूद, अनधिकृत व्यक्तियों से बॉर काउन्सिल, बिहार को चलवा रहा है, जिसमे करोड़ों रूपये का दुरूपयोग स्वभाविक है। इतना ही नहीं, ट्रिव्यूनल ने आदेश दिया था कि तथाकथित सदस्य एवं अधिकारी अपना–अपना फोटो एवं नाम ऑफिसियल वेवसाईट से शीघ्र हटावें। नहीं मानने की स्थिति में न्यायालय द्वारा अवमानना का नोटिस भी दिया जा चुका है, परन्तु आदेश लंबित है फिर भी वे वे–खौफ कानून एवं आदेश का उल्लंघन करने में अपनी गरिमा समझ रहे हैं ।

(ग) युवा एवं नवागंतुक अधिवक्ताओं के लिये बी० सी० आई० को प्रशिक्षण प्रारंभ करना था, जिससे पेशे में दक्षता आवे तथा उन्हें न्यायालयों के साथ कैसे व्यवहार एवं सहयोग किया जाता है, का ज्ञान हो। इसका प्रशिक्षण दिया जा सके। वर्षों से करोड़ों रूपये उसके लिये वार्षिक बजट में प्रावधान किये जाते हैं और हर साल सख्ती से लागू करने की बात तो की जाती है, परन्तु आज तक हमारी जानकारी में नहीं लागू किया। हमारी समिति द्वारा अनुरोध करने पर मुझे कई बार प्रशिक्षण समिति का चेयरमेन बनाया गया, परन्तु जब राशि की बात की गई, तो समिति ही भंग की जाती है, पता नहीं इसके पीछे कौन–सी बात चल रही है।

(घ) देश के स्तर पर अधिवक्ताओं के लिये सामूहिक जीवन बीमा का प्रावधान है, परन्तु आज तक झूठ – मुठ के कई दफा समितियाँ बनती हैं और लाखों रूपये उनकी बैठकों में खर्च होते रहे हैं, परन्तु आज तक किसी प्रकार का सामूहिक जीवन बीमा नहीं दिया जा सका ।

(ङ) देश के अधिवक्ताओं के लिए मेडिक्लेम/ मेडिकल सुविधा के नाम पर बहुत सारी योजनाओं का जिक्र तो किया जाता है, परन्तु खासकर उन अधिवक्ताओं को जो अपना खर्च नहीं उठा सकते, वो दवा के इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। उनके लिये न अपने स्तर से और न तो सरकार के स्तर से व्यवस्था कराई गयी ।

(च) बल्कि, इसके ठीक विपरीत दिशा में कुछ पहल किये गये हैं जिससे वकीलों में भय व्याप्त हो गया है कि कब किसकी लाईसेंस छीन जाय ।

<u>अनुशासन समिति :–</u>

यह समिति का प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा– 35 एवं 36 में की गई है, जिसका उद्वेश्य है कदाचार के मामलें में सख्ती के साथ पेश आया जाय एवं उन्हें भरपूर मौका देते हुये उचित निर्णय लिये जायें, लेकिन आज की कॉउन्सिल वकीलों को डरा–धमकाकर अपने पक्ष में बोलने के लिये मजबूर कर रही है, जो व्यक्ति कॉउन्सिल के गलत कृत्यों के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा तो उसे किसी–न–किसी प्रकार डी० सी० चलाकर उसकी अनुज्ञप्ति समाप्त कर दी जायेगी। मिसाल के तौर पर साधारण वकील की बात कौन कहे, बिहार स्टेट बॉर कॉउन्सिल की एक नवनिर्वाचित महिला सदस्य सुश्री फातिमा ने जब कॉउन्सिल के कृत्यों के खिलाफ खुलकर विरोध करना शुरू किया तो शुरूआती दौर में महानुभावों ने खुद उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया,

तो उनके खिलाफ डी० सी० चलाया। उनके शैक्षणिक प्रमाण–पत्र को जाली घोषित कर मेम्बर तथा अधिवक्ता दोनों से हटा दिया, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी० डब्लू० जे० सी० संख्या – 4448/2022 याचिका दायर हुआ, जो माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश दिनांक 05.07.2024 द्वारा स्वीकृत हुआ, जिसके खिलाफ कॉउन्सिल ने एल० पी० ए० 1140/2024 दाखिल किया, जो खारिज हुआ, जिसके खिलाफ बिहार राज्य बॉर कॉउन्सिल ने उच्चतम न्यायालय, भारत में एस० एल० पी० (सि०) नं० 16760/2025 दाखिल किया, जिसे भी बिहार राज्य बॉर कॉउन्सिल को वापस लेना पड़ा और वह अपील भी वापस लेने के आधार पर खारिज हुआ। दूसरा ज्वलंत उदाहरण बी० सी० आई के को – चेयरमैन, श्रीनाथ त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश बॉर कॉउन्सिल से बी० सी० आई० की सदस्य हुआ करते हैं उन्हें उनकी स्पष्टवादिता के चलते आनन–फानन में 28.4. 2025 को बैठक कर उन्हें बी० सी० आई० की सदस्यता से हटा दिया गया, जिसके लिये माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने स्थगन आदेश पारित किया है जिससे भली–भाँति अवगत होने के बाद भी उसी तरह की गलतियाँ बार–बार की जा रही हैं, जिसका एक उदाहरण सत्येन्द्र कुमार सिंह एवं इन्द्रदेव प्रसाद के मामले भी हैं, जिन्हें बिना सुनवायी का मौका दिये हुये प्राकृतिक न्याय का खुल्लम–खुल्ला उल्लंघन करते हुये उन दोनों के अधिवक्ता अनुज्ञप्ति निलंबित कर दिये गये। गौरतलब है कि श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका दायर किया, तब बिहार राज्य बॉर कॉउन्सिल ने स्वयं निलंबन आदेश को वापस ले लिया।

मेरी राय में बिहार राज्य बॉर कॉउन्सिल के लिए इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता है? इस तरह की गतिविधियों से भारत का अधिवक्ता अपने ही रक्षक द्वारा खतरा महसूस करने लगा है कि नियम कानून की बात करने वाले अधिवक्ता की अनुज्ञप्ति किसी समय निलंबित / रद्ध हो सकती है।

यह सर्वविदित है कि उक्त अधिवक्ता, इन्द्रदेव प्रसाद जबसे अधिवक्ता अनुज्ञप्ति संख्या – 315/98 प्राप्त किये हैं, तभी से माननीय उच्च न्यायालय, पटना की न्यायिक कार्यवाहियों में भारत संघ की राजभाषा हिन्दी में वकालत करते आ रहे हैं और हिन्दी विरोधी गतिविधियों का विरोध बिल्कुल ही संवैधानिक तरीके से करते आ रहे हैं। उनके द्वारा दाखिल हिन्दी आवेदन क्रि० डब्लू० जे० सी० 435/2015 कृष्णा यादव बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में पारित माननीय पूर्णपीठ का निर्णयादेश दिनांक 30.4.2019 आया है जिसके द्वारा स्वर्ण सिंह वग्गा केस सम्पुष्ट हुआ है, जो प्रावधानित करता है कि पटना उच्च न्यायालय में हिन्दी में एक आवेदन दाखिल करने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन नहीं है और न ही हिन्दी में तर्क रखने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन है और वस्तुतः कई मामलों में इसे इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है ।

माननीय पूर्णपीठ के उसी निर्णयादेश दिनांक 30.4.2019 से माननीय राज्यपाल, बिहार की अधिसूचना दिनांक 9 मई, 1972 में निहित हिन्दी विरोधी अपवाद पर पुनर्विचार करने एवं संशोधित अधिसूचना जारी करने के लिए बिहार राज्य निदेशित है, जो मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार की बैठक दिनांक 19.9.2023 के मुद्दों में सम्मिलित था। उस बैठक का प्रस्ताव संख्या 34 उसी मुद्दे से संबंधित था, जो सर्वसम्मति से स्वीकृत है, जिसके लाभ से उक्त अधिवक्ता, इन्द्रदेव प्रसाद को वंचित करने एवं भारत संघ की राजभाषा हिन्दी के विकास को रोकने की मंशा से उनका अनुज्ञप्ति संख्या –

315/98 को रद्ध करने का षडयंत्र रचा गया और उसी षडयंत्र के अन्तर्गत उनका अधिवक्ता अनुज्ञप्ति संख्या – 315/98 को निलंबित कर दिया गया है, जिससे हिन्दी एवं अंग्रेजी वर्गों के बीच घृणा, शत्रुता एवं वैमनस्यता फैल रहे हैं, जिसका बुरा प्रभाव राष्ट्रीय अखण्डता पर पड़ सकता है।

(छ) आज का हालत है कि अधिकांश वकील चौतरफा मुसिबतों से घिर चुके हैं। जैसे ही कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किलों का पक्ष संवैधानिक तरीके से रखने की कोशिश करता है, वैसे ही उसका अधिवक्ता अनुज्ञप्ति को रद्ध करने का चक्रव्यूह रच दिया जाता है जिसका शिकार होने वाले अधिवक्ता को कहीं से त्राण पाने की उम्मीद नहीं दिखती है। सच को माने तो भयभीत होकर अधिकांश अधिवक्ता भी कानून का निष्पक्ष समर्थन करना छोड़ दिये हैं, जिसकी चिन्ता हमारी शीर्ष संस्था को नहीं है । हमारी शीर्ष संस्था ने सक्रिय लड़ाई निम्नांकित माँगों की पूर्ति के लिए नहीं लड़ रही है, अति आवश्यक आवश्यक्ताअंसें के अन्तर्गत आता है :–

I. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान–परिषद में अधिवक्ताओं के स्थान सुरक्षित करवाना।

II. उच्चतम् न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यामूर्तियों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 (1) के अन्तर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन करवाना ।

III. भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 (6) के अन्तर्गत माननीय राष्ट्रपति के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.4.1960 की कंडिका–12 का कार्यान्वयन करवाना जो उच्चतम् न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा से संबंधित है।

IV. क्रि० डब्लू0 जे0 सी0 435/2015 कृष्णा यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित माननीय पूर्णपीठ का निर्णयादेश दिनांक 30.4.2019 सहपठित मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार की बैठक दिनांक 19.9.2023 का स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 34 के आलोक में संशोधित अधिसूचना जारी करवाना, जो पटना उच्च न्यायालय में भारत संघ की राजभाषा हिन्दी में आवेदन दाखिल करने का अधिकार देशवासियों को दिलवाने के संबंध में है।

V. अधिवक्ताओं के लिये अधिवक्ता प्रोटेक्शन एण्ड कम्पन्सेशन एक्ट बनवाना ।

VI. सभी न्यायालयों में सभी अधिवक्ताओं को बैठने के लिये कुर्सी–टेबुल की व्यवस्था करने हेतु बजटीय प्रोविजन करवाना।

VII. अन्य राज्यों की भाँति बिहार राज्य में भी मेडिक्लेम एवं जीवन बीमा को लागू करवाना।

जैसे बहुत सारी समस्यायें हैं, जिनकी लड़ाई बी० सी० आई० को अपने नेतृत्व में अधिवक्तओं एवं पीड़ित पक्षकारों के कल्याणार्थ लड़नी चाहिये, परन्तु आये दिन देखने को मिल रहा है कि संघर्ष करने के बजाय मक्खनबाजी एवं चरण–चाकरी अपनी चरण सीमा पर है, जिससे व्यक्तिगत लाभ तो हो रहा है, परन्तु संस्था एवं समुदाय के भविष्य अंधकारमय होते दिख रहा है। समाज एवं संस्था को बचाने के बजाय सरकार के साथ मिलकर देश के 27 लाख अधिवक्ताओं और उनके परिवार के साथ अविश्वास पैदा किया जा रहा है जिसको मूकदर्शक बनकर तमाशा देखते रहना भारतीय संविधान के आदर्शों के विपरीत है।

अब समय आ गया है कि स्वयं अधिवक्ताओं को जागना होगा । देश और समाज के लिए भीषण परिस्थितियों के अगुआई करने वाले वर्ग को पीड़ित पक्षकारों के साथ–साथ खुद को अन्याय का शिकार होने से बचाने के लिये कारगर कदम उठाना होगा ।

उक्त तमाम बिन्दुओं पर वृहद् चर्चा, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के नौवाँ

राष्ट्रीय महाधिवेशन जो दिल्ली में प्रस्तावित है में किया जायेगा और देश की राजधानी दिल्ली से संघर्ष का बिगुल फूँका जायेगा ।

<u>सन् 2012 से लगातार आज तक बी० सी० आई० के कुछ विशेष कार्य जो अधिवक्ताओं के हित के नाम चलाये जा रहे हें उसपर एक नजर :–</u>

(क) शैक्षणिक क्षेत्र में :– 2012 के पूर्व राज्य के अन्दर संचालित होने वाले विधि महाविद्यालयों एंव विश्वविद्यालयों की देख–रेख स्टेट बॉर 30 कॉउन्सिल किया करती थी, चूँकि उसके बारे में अत्यधिक ज्ञान स्थानीय सदस्य होने के नाते ज्यादे हुआ करता था । उक्त नियमावली में मनमाने ढंग से परिवर्तन कर राज्य कौंसिल की जगह बी० सी० आई० को दे दिया गया। इतना ही नहीं संस्थानों का निरीक्षण अब केवल राज्य काउन्सिल अथवा बी० सी० आई० के माननीय सदस्यगण नहीं करेंगे अपितु उसका प्रधान अवकाश प्राप्त जज हुआ करेंगे और बाद में हाईकोर्ट के जज बिहार विधि महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालययों का निरीक्षण करेंगे । उनके लिये बेतहासा फीस बढ़ा दी गयी जिसे संस्था देने में कराह रही है। परन्तु लाचारी इस बात की है कि बिना जमा किये उनका निरीक्षण सम्पन्न ही नहीं होगा। इतना ही नहीं वर्षों वर्षो तक निरीक्षण फी जमा करने के बावजूद उनका निरीक्षण नहीं होना तथा निरीक्षण होने के बाद वर्षों तक प्रतिवेदन नहीं सौंपने की परम्परा चल गयी । इसका नतीजा संस्था तथा स्थानीय विधि छात्रों को भुगतना पड़ता है । पढ़ाई नहीं रोकी गयी । परीक्षा भी नहीं रोकी गयी, परन्तु वकालत की अनुज्ञप्ति रोक दी गयी, क्योंकि उन सालों में उनकी स्वीकृति समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार सैकड़ों विधि छात्र उत्तीर्ण होने के बावजूद कार्यालय का चक्कर सालों लगाते हैं तब दबाव पड़ने पर असीमित राशि दण्ड स्वरूप बी० सी० आई० द्वारा लगाकर स्वीकृति दी जाती है। उक्त राशि की वसूली उन बेगुनाह छात्रों से किया जाता है, जिनकी कोई गलती नहीं है। इस पर कई बार ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन अब तक कोई सुधार होने का अवसर नहीं दिखता।

ज्ञातव्य हो कि स्टेट बॉर काउन्सिल के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर शक्ति को केन्द्रित करने की वजह क्या थी? उससे कठिनाई तब हुई जब भारत जैसे विशाल देश के विधि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का निरीक्षण मात्र बी० सी० आई० के माननीय सदस्य जो संख्या में मात्र सत्रह हुआ करते हैं तथा कुछ मनचाहे अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों के साथ जाँच टीम का गठन करना होता है जो समय सीमा के अन्दर कर ही नहीं सकते और बिना प्रतिवेदन के विधि महाविद्यालय चलते रहते हैं। मुझे लगता है कि विधि महाविद्यालय निरीक्षण में सेवा निवृति न्यायाधीशों को सम्मिलित करने का उद्धेश्य अपने द्वारा किये गये कुकृतियों को छिपाने के लिए की गयी है कारण कि विधि महाविद्यालय निरीक्षण में सेवा–निवृत न्यायाधीशों को शामिल करने का प्रावधान नहीं है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में प्रावधान है कि विधि महाविद्यालय का निरीक्षण राज्य बॉर कॉउन्सिल एवं बी० सी० आई के सदस्य करेंगे।

(ख) नये विधि महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया भी वैसी बना दी गयी। नये खोलने के साथ–ही–साथ सुदूर देहाती इलाकों में जहाँ पर गरीब किसान एवं मजदूर के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हें या तो बिना वजह राजनैतिक या अन्य कारणों से बंद कर दिया गया, जिसके चलते उन क्षेत्रों के लोगों के बच्चे उक्त विधि की शिक्षा से वंचित हो गये। उदाहरण स्वरूप बिहार प्रदेश के छपरा जिला में गंगा सिंह लॉ कॉलेज सबसे पुराना एवं अच्छा, जहाँ से मैंने भी विधि की पढ़ाई पूरी की थी, उसे सदा के लिये बंद कर

दिया गया। मेरे द्वारा लाख प्रयास करने के बावजूद भी वह कॉलेज आज तक शुरू नहीं हुआ, जबकि उत्तर बिहार के सारण, सीवान एवं गोपालगंज जिले में एक ही विधि महाविद्यालय था। हालाँकि छपरा वासी मैं हूँ और गोपालगंज जिला वासी हमारे बी० सी० आई० चेयरमेन हैं।

(ग) बिहार प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में दर्जनों कॉलेज कागज पर चल रहे हैं उन्हें समय–सीमा के अन्दर स्वीकृति मिल जाती है। पर अच्छी पढ़ाई करने वाले को समय–समय पर चेनपुलिंग किया जाता रहा है, जिससे विधि शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता दिख रहा है। कुछ वर्षों पूर्व बिहार प्रदेश के सारे कॉलेज बंद कर दिये गये थे, जिसके खिलाफ पटना उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा तब मामला आगे बढ़ा ।

<u>(घ) सेमिनार आयोजन सम्बन्धी कार्य :–</u>

एक विशेष ढंग के कार्य में समय–समय पर प्रत्येक प्रदेश में सेमिनार आयोजित करने की इजाजत अधिनियम देता है, जिससे विधि के क्षेत्र में ज्ञानवर्द्धन हो सके। ध्यातव्य हो कि पिछले दशकों में बेतहासा कार्य बढ़ाये गये, परन्तु लीक से अलग हटकर बिना किसी उद्देश्य की प्राप्ति पर विचार किये हुए निजी लोकप्रियता एवं निजी लाभ को देखते हुये सेमिनार के आयोजन किये जाते रहे हैं, जिसमें बेतहाशा खर्च हवाई जहाज एवं फाईव स्टार होटलों पर आता है । उदाहरण स्वरूप 24 सितम्बर, 2022 को बिहार प्रदेश में एक सेमिनार बी० सी० आई एवं बिहार बार कॉउन्सिल के संयुक्त तत्वाधान में सम्पन्न हुआ जिससे सर्वोच्च न्यायालय के आधे दर्जन न्यायाधीश एवं पटना उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया, जिसमें काफी रकम पानी की तरह बहाये गये । महीनों परेशान रहे, उस कार्यक्रम की सफलता के लिये । कार्यक्रम बापू सभागार, पटना में सम्पन्न किया गया जिसमें भीड़ तो जुटी परन्तु मुझे लगा कि किसी को कुछ मिला नहीं बल्कि खाने–पीने एवं कुव्यवस्था के चलते वकीलों के बीच खाने को लेकर छीना–छपटी का वीडियो पुरी दुनिया में वायरल हुआ। अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा बेतहासा घटी। गौरतलब है कि उक्त कार्यक्रम में तत्कालिन केन्द्रीय विधि मंत्री, श्री किरण रीजीजू अपने उद्‌बोधन में बहुत सारी बातों के अतिरिक्त यह भी बोले कि – "अब कोर्ट प्रोसिडिंग का वीडियो भी वायरल होता है, जिसको देखने से पता चलता है कि कुछ न्यायमूर्ति यह बोल कर हिन्दी को रोक दे रहे हैं कि हमें हिन्दी समझ में नहीं आती है, जो ठीक नहीं है। जो न्यायमूर्ति हिन्दी नहीं समझ पाते हैं, उनको हिन्दी नहीं रोकना चाहिए। उनको अनुवादक–यंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार के पास अनुवादक–यंत्र हैं, माँगिए, सरकार मुहैया करावेगी, जिसपर बार कॉउन्सिल को गौर करना चाहिए था और न्याय देनेवाली, दिलानेवाली एवं पानेवाले के इस अति आवश्यक समस्या के निदान पर पहल करना चाहिए था। किन्तु पहल करने की बात तो दूर रही, उल्टे हिन्दी में वकालत करने वाले अधिवक्ता, इन्द्रदेव प्रसाद के अधिवक्ता–अनुज्ञप्ति को ही निलंबित करने/करवाने का षडयंत्र रचा गया और उसी षडयंत्र के अन्तर्गत उनके अधिवक्ता–अनुज्ञप्ति संख्या 315/98 को निलंबित करवाया गया, निलंबन आदेश पारित करने के पूर्व उनको परिवाद की कॉपी नहीं दी गयी। उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं माँगा गया। उनको सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया गया, जो अधिवक्ता अधिनियम –1961 की धारा– 35 (1), 35 (2), 35 (3), 36 (3) के साथ–साथ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन एवं अपमान है ।

(ङ) एक और अनोखा कार्यक्रम

देखने को, पिछले दशक में मिला ।

ज्ञातव्य हो कि मैं बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल का 35 वर्षों से यानी 1989 से लगातार सदस्य होता रहा हूँ। पर इधर के दशक के पूर्व मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि प्रत्येक सी० जे० आई० के पदभार सम्भालने के बाद पूरे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों को बुलाकर सम्मानित करने की परम्परा रही हो, परन्तु पिछले दस वर्षों में माननीय न्यायाधीशों एवं केन्द्रीय मंत्रियों के स्वागत समारोह में देश भर के प्रतिनिधियों को बुलाकर हवाई जहाज का खर्च एवं फाईव स्टार होटल का खर्च देकर करोड़ों रूपये खर्च किये जाते हैं और दूसरी तरफ कमजोर एवं नवागंतुक वकीलों का माँग पूरा करने में रूपये का दुःख रोया जाता है यह एक ऐसी विडम्बना है कि एक तरफ हम अनावश्यक रूप से जश्न मनाकर गरीब वकीलों के पैसे का दुरूपयोग कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ रूपये का अभाव बताकर अधिवक्ताओं की आवश्यक माँग पूरी करने में हम कतराते नजर आ रहे हैं। उक्त बातों को लेकर भारत के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है, परन्तु लाचारी हैं कि अपने ही संस्था के खिलाफ क्या बोला जाय, पर हम न बोंलेगे तो और कौन बोलेगा?

मुझे लगता है कि उक्त परम्परा के जनक वर्त्तमान बी० सी० आई0 के चेयरमैन साहेब कहे जा सकते हैं। उनकी सोच है कि सरकार और न्यायाधीशों को इस कदर खुश रखेंगे तो दोनों की कृपा दृष्टि उनपर बनी रहेगी। हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ ऐसा करने से उन्हें मिल रहा है और भविष्य में भी मिल सकता है, परन्तु संस्था को किसी प्रकार का लाभ होते नहीं दिख रहा है। चूँकि जिनसे अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, उनकी प्रशंसा में हम करोड़ों रूपये खर्च किये जा रहे हैं, जिसके चलते वे समझ रहे हैं कि इनके पास धन का अभाव नहीं है बल्कि उनके अधिकारों को कम किया जाय या छीन लिया जाय। तभी तो सरकार बार–बार प्रयास कर रही है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन लाकर इस संस्था को सदा के लिये समाप्त कर दिया जाय । सरकार को नहीं सुनने की स्थिति में हमारे पास एक संवैधानिक रास्ता था जिसे हम हड़ताल अथवा कार्य बहिष्कार, विरोध प्रदर्शन करते थे, परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले के हवाले से निर्णय दिया कि अधिवक्ता न तो हड़ताल कर सकते हैं एवं न कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। इस अधिकार को हटाते समय न्यायालय ने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं सुझाया जैसे अधिवक्ता शिकायत फोरम का गठन किया जा सकता था, परन्तु वह भी नहीं हुआ, अर्थात् सरकारी एवं न्यायपालिका दोनों की अनावश्यक प्रशंसा यह वर्ग खुद कराता रहा है और त्राहिमाम–त्राहिमाम कर रहा है – क्या ऐसा नहीं लग रहा है की दोनों ही उस वर्ग को समाप्त करने में लगे हुए हैं। ऐसी भीषण परिस्थिति में हम हाथ–पर–हाथ रखकर बैठने का निर्णय ले या संस्था एवं समाज को बचाने के लिये कोई संघर्ष अथवा आन्दोलन का रास्ता अपनावे। ऐसी भीषण परिस्थितियों से निपटने के लिए अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति ने अपना नौवाँ वार्षिक अधिवेषण देश की राजधानी दिल्ली में दिनांक 29 एवं 30 नवम्बर 2025 को आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें इन तमाम बिन्दुओं पर आप सबों का लिखित एवं मौखिक विचार प्रार्थित है, साथ ही साथ आप सबों की उपस्थिति भी प्रार्थित है।

उल्लेखनीय है कि समिति के संरक्षण में प्रकाशित पत्रिका 'विधि विमर्श का छठवाँ' वार्षिकोत्सव दिनांक 17.8.2025 समय 11:00 बजे पूर्वाहन्, कर्पूरी ठाकुर टाउन हॉल, बिहारशरीफ (नालंदा) में मनाया गया। बिहार सरकार के माननीय पर्यावरण मंत्री, डॉ० सुनील कुमार, सासंद कौशलेन्द्र कुमार, धार्मिक न्यास बोर्ड के माननीय अध्यक्ष के

साथ–ही–साथ अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, धर्मनाथ प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष, रणविजय सिंह, उपाध्यक्ष, अरूण कुशवाहा, हिन्दी भाषा के लिये आंदोलनरत अधिवक्ता, इन्द्रदेव प्रसाद के अलावा माननीय उच्च न्यायालय, पटना तथा स्थानीय न्यायालय के सैकड़ों अधिवक्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों/समाज सेवियों की गरिमामयी उपस्थिति में अधिवक्ताओं एवं पीड़ित पक्षकारों की समस्याओं पर विशेष चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि अधिवक्ताओं एवं पीड़ित पक्षकारों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम उठाते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ–ही–साथ संबंधित विभागों को एक ज्ञापन सौंपते हुये समिति द्वारा अति आवश्यक माँगों की पूर्ति हेतु दिया जाय, जिसके आलोक में समिति की ओर से अति आवश्यक सात सूत्री माँगों की पूर्ति के लिये आग्रह करते हुये ज्ञापन दिया गया, जो निम्न रूप में पारित/पठनीय है :–

<u>ज्ञापन</u>

सेवा में,

1) माननीय राष्ट्रपति, भारत, नई दिल्ली,
2) माननीय प्रधानमंत्री, भारत, नई दिल्ली,
3) महासचिव, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली,
4) माननीय राज्यपाल, बिहार, पटना,
5) माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना,
6) महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना,
7) सचिव, बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद, पटना,
8) निबंधक, भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली।

विषय :– 'विधि विमर्श' पत्रिका के छठवें वार्षिकोत्सव दिनांक 17.8. 2025, स्थान– टाउन हॉल, बिहार शरीफ, नालंदा में आयोजित अधिवक्ता संवाद सम्मेलन में, सर्व सम्मति से लिये गये कार्यान्वयन के संबंध में ज्ञापन ।

मान्यवर,

विदित हो कि अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति अपनी 25 सूत्री माँगों की पूर्ति हेतु, वर्षों से संघर्ष करती चली आ रही है। समिति का गठन सन् 2016 में। उसका निबंधन 2017–18 में हुआ, जिसका निबंधन संख्या 519/17 – 18 है।

समिति द्वारा संचालित 'विधि विमर्श' पत्रिका के छठवें वार्षिकोत्सव दिनांक 17 अगस्त 2025, स्थान – टाउन हॉल, बिहार शरीफ, नालंदा में आयोजित अधिवक्ता संवाद सम्मेलन के अन्तर्गत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि कि समिति अपनी 25 सूत्री माँगों के लिये संघर्षरत है, जिस पर व्यापक चर्चा समिति के नौवें राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 29 एवं 30 नवम्बर 2025 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में प्रस्तावित है, जिसमें देश के कोने–कोने से विद्वानों की उपस्थिति प्रार्थित है, लेकिन कुछ अति आवश्यक माँगों पर इस अधिवक्ता संवाद सम्मेलन में भी विचार–विमर्श होना अति आवश्यक है ।

स्मरण रहे कि अधिवक्ता वर्ग जनतंत्र की रीढ़ के रूप में प्रतिरूपित किया गया है। चूँकि अधिवक्ता समाज का अधिवक्ता एवं बेजुबानों के लिये, न्यायालय से न्याय दिलाने के लिये, संवैधानिक तरीके से, पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ, अपने–अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है, जिसके प्रतिशोध में कुछ संविधान विरोधी व्यक्ति अधिवक्ताओं से ईर्ष्या एवं द्वेष पाल लेते हैं और अपने अपराधों का दंड भोगने से बचने के लिये, बड़ी आसानी से अधिवक्ताओं की हत्या करवा देते हैं ।

विदित हो कि अधिवक्ता वर्ग को कागजी सम्मान देते हुये

कहा गया है कि अधिवक्ता कानून का व्याख्याता, जनतंत्र का प्रहरी, न्यायपालिका का प्रमुख अंग, बेजुबानों की जुबान के साथ–साथ कोर्ट के अधिकारी भी कहे जाते हैं, परंतु धरातल पर उपरोक्त लिखित सम्मान में से कोई भी सम्मान इस समुदाय को वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं है ।

न्यायपालिका एवं न्यायालय की प्रमुख भूमिका में रहने वाला यह वर्ग अन्याय का शिकार हो रहा है और वैसे अधिवक्ता, जो किसान, मजदूर एवं छोटे–छोटे व्यवसायिक के बाल–बच्चे हैं, वह इतना निराश एवं हताश है कि वह कोविड– 19 महामारी कोरोना वायरस अवधि में वकालत पेशे को छोड़ने के लिये मजबूर हो गये ।

हमारे देश में, ठीक से अंग्रेजी समझने वाले लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 1% से भी कम है, फिर भी उच्चतम् न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी है। यह न केवल गुलामी का प्रतीक है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित प्रक्रियाओं के प्रतिकूल भी है।

हमारे देश में, चपरासी एवं क्लर्क– किरानी के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकलता है, किन्तु उच्चतम् न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिये कोई विज्ञापन नहीं निकलता है, जिससे जनता में बहुत गलत संदेश जा रहा है कि उच्चतम् न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की नियुक्ति में पहुँच–पैरवी एवं रिश्वत के साथ–साथ जात–पात एंव भाई–भतीजावाद को प्रश्रय दिया जाता है, जिसका समुचित निदान भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 (1) में है, जिसके अन्तर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान है।

उपरोक्त वर्णित तथ्य–परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में निम्नांकित 7 अति आवश्यक माँगों पर गहन विचार–विमर्श उपरोक्त अधिवक्ता संवाद सम्मेलन में हुआ है, जिसकी पूर्ति शीघ्र करने के लिए यह ज्ञापन समर्पित किया जा रहा है :–

1) लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान–परिषदों में वकीलों के लिये 20% सीट सुरक्षित की जाय ।

2) उच्चतम् न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 (1) के अन्तर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाय ।

3) भारत के संविधान के अनुच्छेद–344 (6) के अन्तर्गत पारित माननीय राष्ट्रपति, भारत का आदेश दिनांक 27.4.1960 की कंडिका–12 का कार्यान्वयन अविलंब किया जाय, जो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में है।

4) क्रि० डब्लू० जे० सी० 435/2015 कृष्णा यादव बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में पारित माननीय पूर्णपीठ का निर्णयादेश दिनाक 30.4.2019 सहपठित मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार की बैठक दिनाक 19.9.2023 के स्वीकृत प्रस्ताव संख्या–34 के आलोक में संशोधित अधिसूचना जारी की जाय, जो पटना उच्च न्यायालय में भारत संघ की राजभाषा हिन्दी में याचिका दाखिल करने का अधिकार देशवासियों को दिलवाने के संबंध में है ।

5) सभी न्यायालायों में अधिवक्ताओं को बैठने के लिये कुर्सी–टेबुल की व्यवस्था करने हेतु विशेष फंड की व्यवस्था हो। ।

6) अधिवक्ता प्रोटेक्शन एवं कंपनसेशन एक्ट को अविलंब पारित किया जाय ।

7) अन्य राज्यों की भाँति, बिहार राज्य में भी मेडिक्लेम एवं जीवन बीमा को शीघ्र से शीघ्र लागू करवाया जाय ।

उपरोक्त माँगों की पूर्ति जल्द से जल्द करने का दायित्व आप सबों पर है, जिसकी पूर्ति होने

में हो रहे अनावश्यक विलम्ब की वजह से किसान–मजदूर एवं छोटे–छोटे व्यवसाय के बाल–बच्चों का सर्वांगीण विकास अवरूद्ध है।

उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री उदारता का परिचय देते हुये प्रत्येक समुदाय के गरीब लोगों के लिये कुछ न कुछ सुविधाओं की घोषणा रोज–व–रोज कर रहे हैं, जिसका कार्यान्वयन भी भारत सरकार एवं बिहार सरकार कर रही हैं, जिससे गरीब अधिवक्ताओं को आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हो गया है कि इस बार भारत सरकार एवं बिहार सरकार आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं के उपरोक्त अति आवश्यक माँगों पर गहन विचार–विमर्श करेगी और ऐसे महत्वपूर्ण समुदाय को निराशा नहीं करेगी।

अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त अधिवक्ता संवाद सम्मेलन के निर्णय के आलोक में, उपरोक्त माँगों पर गहन विचार–विमर्श किया एवं करवाया जाय और जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी उसे स्वीकार कर उसकी अधिसूचना जारी करने की कृपा की जाय।

समिति से जुड़े हुये लोगों को आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उक्त माँगों के प्रति सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये अधिवक्ताओं को निराश नहीं करेगी।

साथ–ही–साथ यह भी निर्णय लिया गया कि यदि हमारी अति आवश्यक एवं बुनियादी माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लिये गये निर्णय को अधिसूचित नहीं करेगी तो दिल्ली में प्रस्तावित समिति के नौवें महाधिवेशन में इसे गंभीरता से लेते हुये विभिन्न चरणों में पूरे देश के स्तर पर आंदोलन का निर्णय लिया जायेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार एवं बी० सी० आई० की होगी।

आशा है कि शुभ चिंतक मेरी भाषा पर नहीं बल्कि मेरे भाव तथा समाज के प्रति भावना पर ध्यान देते हुए हमें उत्साहित करेंगे ताकि हम समाज के हित में अपनी समिति के बैनर तले आगे का निर्णय निर्भिकतापूर्वक कर सकें।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव जी का 78वाँ जन्मोत्सव समिति ने संकल्प एवं संघर्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

निवेदक : रणविजय सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

सम्पादक की कलम से.......

रणविजय सिंह

अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, Mob.- 9334612716

यह गौरव की बात है कि अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का 9वाँ महाधिवेशन कन्स्टिटयूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 29–30 नवम्बर 2025 को हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि आगे आने वाला समय हम सभी अधिवक्ताओं का होगा, परन्तु हमें लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लगातार संघर्ष करना होगा ।

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का मुख्य उद्देश्य है– **"न्याय पाने वाले, न्याय देने वाले एवं न्याय दिलाने वाला''** में आपसी सामंजस्य एवं सम्न्वय बनाना तथा उनके समस्या के समाधान हेतु पहल करना। समिति का प्रथम एवं द्वितीय महाधिवेशन बार कौंसिल भवन में हुआ ।

आज अधिवक्ताओं की सुरक्षा एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि देश के दो–तीन राज्यों में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया है। लेकिन केन्द्र सरकार अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक संसद में पेश करें। इसके लिए समिति सतत प्रयत्नशील है।

सम्पादक की हैसियत से कुछ बात आपके सामने रखना पसंद करूंगा। प्रस्तुत स्मारिका कई विशिष्ट लेख तथा सुझाव हम सभी के सामने आये। आदालतों में सारे काम हिन्दी में हो, इसके लिए आम सहमति बने ।

विदित है कि अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की धर्मनाथ प्र० यादव जी के कुशल नेतृत्व में यह संगठन देश के नौ राज्यों में विस्तार कर चुका है। इसी कड़ी में कुछ अपनी बात आपके समक्ष रखने का यत्न कर रहा हूं। समिति के संग प्रान्तीय संयुक्त सचिव से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर काफी संघर्ष भरा रहा। संस्था को निबंधन के जिम्मेवारी से लेकर संगठन को धारदार बनाने में जिस दायित्व को हमें सौंपा गया। मैनें बखूबी निभाने का प्रयास किया।

बिहार प्रांत के महामंत्री का दायित्व हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहा। इसी कार्यकाल में समिति का तीसरा महाधिवेशन नालन्दा में हुआ, जो मेरी जन्मभूमि है। राजगीर के अन्तराष्ट्रीय कन्वेशन सेंटर में विभिन्न राज्यों एवं बिहार प्रांत के प्रत्येक जिले से आये अधिवक्ताओं से हॉल खचाखच भरा हुआ था । हॉल में अतिरिक्त कुर्सी लगाने के बावजूद भी सीढ़ियों पर एवं मंच के करीब अनगिनत संख्या में आंगन्तुक अधिवक्ताओं की उपस्थिति तीसरा महाधिवेशन को यादगार बनाया।

सुगमता को लेकर चौथा एवं पाचवाँ महाधिवेशन पटना में ही हुए। समिति का छठा महाधिवेशन राजेश कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में जमशेदपुर अधिवक्ता सभागार में हुआ।

कोरोना के संक्रमण काल में भी समिति क्रियाशील रही। उस समय मुझे बिहार प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व मिला। स्थिति सामान्य होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मैं संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने का दृढ़ निर्णय लिया।

संगठन को नई दिशा देने के लिए हर वर्ष महाधिवेशन होते हैं। इसी कड़ी में समिति का वर्ष 2023 एवं 2024 का संयुक्त रूप से आठवां महाधिवेशन मुजफ्फरपुर जिला सभागार के सफलता पूर्वक समाप्त हुआ। उक्त महाधिवेशन को पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा ने उद्घाटन किया। वे अभी भी इस पद पर सुशोभित कर रहे हैं।

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति आगे फले–फूले, इसके लिए हमें चैतन्य होना होगा। चिंतन की धारा बहती है, तो हमें संकल्पित कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सभी अधिवक्ता साथियों एवं शुभचिन्तकों का आत्मिक सहयोग पूरी तरह से अपेक्षित है। आगे आने वाला समय हम सभी का हो, इसलिए हमें सतत प्रत्यनशील होना होगा और साथ–ही–साथ सजग भी रहना होगा।

'STRONG ADVOCATES, STRONG JUDICIARY'

Satya Prakash Tiwari
National Secretary General
Mob.- 9304554623

Advocates are not just legal experts — they are the moral pillars of our democracy. They are the bridge that connects citizens to justice, truth, and the Constitution itself. When a lawyer faces threats, harassment, or violence for doing their duty, it's not just an attack on one person — it's an attack on the very soul of justice and the spirit of our Constitution.

We must, therefore, stand together to strengthen and safeguard the dignity, safety, and rights of our advocates.

We envision a legal system that not only protects the safety and honor of lawyers but also empowers them with the tools and resources needed to uphold justice fearlessly. Advocates must have the right to access evidence, monitor proceedings, and protect their clients through lawful means such as CCTV footage and call records.

Justice is not merely a legal process — it is a symbol of social trust and moral strength. It flourishes only in an environment where advocates are fearless, secure, and dignified.

Advocates are the sentinels of the justice system. Ensuring their welfare and stability is not charity — it is the foundation of a strong judiciary and a healthy democracy.

Our Commitments and Demands

To truly empower our legal fraternity, we put forth the following commitments and demands before the government and judicial authorities:

From the Central Government:

Reserve 20% representation for advocates in Lok Sabha, Rajya Sabha, and Legislative Councils respectively to ensure that legal awareness shapes national policy.

Establish a National Judicial Commission for transparent appointments of judges.

Implement the National Advocate Protection Act to ensure safety and security for lawyers.

Introduce a comprehensive insurance and medical policy for advocates and their families.

Fill all judicial vacancies promptly to ensure timely justice.

Create a National Lawyers' Welfare Committee to resolve welfare - related issues effectively.

Provide financial support, pensions, and stipends for senior and economically weaker advocates to ensure a dignified livelihood.

From the State Governments:

Form State-level Lawyers' Welfare Boards for better coordination and assistance.

Provide offices, libraries, and housing facilities for advocates at district and tehsil levels.

Extend financial aid to advocates facing health or accident crises.

Grant monthly stipends (suggested ₹5,000) to young and newly enrolled advocates to reduce financial stress.

Implement the directions of the Patna High Court and Supreme Court judgments supporting advocates' welfare measures.

From the Bar Councils and Bar Associations:

Enforce uniform welfare schemes for all lawyers across states without delay.

Establish a centralized and transparent system for welfare fund disbursement.

Strengthen legal education by supporting law students and interns through stipends and training programs.

Ensure free and fair bar elections, preventing undue influence or political interference.

Promote unity, ethics, and accountability within the legal community.

Our Vision

The protection of advocates is the protection of justice — and the protection of justice is the protection of the nation's soul.

When advocates defend justice fearlessly, they uphold not just the law but the living spirit of democracy. Let us envision an India where every advocate stands tall — secure, respected, and empowered — because their dignity reflects the dignity of our nation itself.

Justice must not be just a verdict, but a living experience of fairness, compassion, and service.

समाज के विकास में अधिवक्ताओं की भूमिका एवं दशा-दिशा का अवलोकन ।

डॉ० मधुसुदन राय

अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय–सह–महामंत्री
अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याणसमिति।

संविधान किसी भी देश का हो उसे उस देश की भूमि का सर्वेसर्वा कानून माना जाता है। अन्य जितने प्रकार के कानून चाहे सिविल हो क्रिमिनल उनका प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत होना आवश्यक होता हैं, भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व ही 2 सितम्बर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू बने। डॉ0 भीम राव अम्बेडकर जीने इस सरकार में कानून मंत्री बने । लॉर्ड माउंट बेटन योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक विधानसभा द्वारा हुआ । उसमें प्रिंसली स्टेटम के मनोनीत सदस्य भी शामिल किये गये थे। सर्वप्रथम डॉ० बी०आर० अम्बेडकर अविभाजित बंगाल से चुनकर संविधान सभा में आये थे। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और बंगाल का विभाजन हुआ। इस वजह से डॉ० भीम राव अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए डॉ0 भीम राव अम्बेडकर जी की सदस्यता समापत हो गई। फिर उनको बम्बई प्रादेशिक विधानसभा से चुना गया। फिर देश की सेवा करने का उन्हें अवसर मिला। 29 अगस्त 1947 को संविधानसभा ने संविधान मसौदा समिति का गठन किया जिसका अध्यक्ष बाबा साहब डॉ० भीम राव अम्बेडकर को चुना गया। एक–एक धारा पर चर्चा के लिये 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को सौंप दिया, संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों का समय लगा। संविधान

सभा ने विस्तृत चर्चा करके 26 नवम्बर 1949 को मसौदा समिति में सात सदस्य निश्चित किया गया सदस्य थे, जिनका नाम निम्नांकित हैं।

1. बाबा साहब डॉ० भीम राव अम्बेडकर (अध्यक्ष) 2. माननीय अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर 3. माननीय सैयद एन० गोपाल स्वामी अयंगर 4. डॉ0 के0एम0 मुन्शी, 5. माननीया सैयद मुहम्मद सैदुल्ला, 6. माननीय बी0एल0 मितर एवं 7. माननीय डी०पी० खेतान थे। इस संबंध में संविधान सभा के प्रमुख सदस्य टी०टी० कृष्णमाचारी जी ने 5 नवम्बर 1948 को अपने उदगार व्यक्ति करते हुए कहा था। महोदय सभा के उनलोगों में से एक हूँ, जिन्होंने बाबा साहब डॉ० भीम राव अम्बेडकर को बड़े ध्यान से सुना। मैं उनके उत्साह तथा कार्य की क्षमता से परिचित हूँ। जो उन्हें इस संविधान का मसौदा बनाने में करना पड़ा साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास है, कि इस संविधान के मसौदे पर जो हमारे लिये आज इतना महत्व रखता है। जितना ध्यान मसौदा समिति ने इसपर नहीं दिया है। सभा के शयद विदित है कि उसने जो 7 सदस्य नियुक्त किये थे उनमें एक ने सभा से त्याग पत्र दे दिया था और उसके जगह पर अन्य सदस्य रखा गया था। एक को देहान्त हो गया था। किन्तु उसके जगह कोई व्यक्ति नहीं रखा गया था। एक अमेरिका में था उनके जगह पर अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं भरी गई थी एक और सदस्य राज कार्य में लगा हुआ था। इतने रिक्त स्थान थे एक या दो व्यक्ति दिल्ली से दूर थे और सम्भवतः अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित न हो सके थे, अन्त में यह हुआ इस संविधान का मसौदा बनाने का काम अकेले बाबा साहेब डॉ० भीम राव अम्बेडकर के कंधो पर आ पड़ा और निःसन्देह हम उनके प्रति कृतज्ञ है कि इतने प्रशंसनीय ढंग से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। बाबा साहेब डॉ० भीम राव अम्बेडकर एक अधिवक्ता थे।

समाज के निर्माण में अधिवक्ताओं की भूमिका अहम हैं। अधिवक्ता न्यायपालिका के रीढ़ का हड्डी के रूप में है। जिसके बिना मनुष्य के शरीर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अधिवक्ता के बिना न्यायिक कार्य नहीं किया जा सकता हैं । जब समाज में व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित चाहे समाजिक अधिकार हो राजनैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, आर्थिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सम्पति का अधिकार, बोलने का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार से जब वंचित होने के कागार पर आता हैं। तो व्यक्ति चारो तरफ से निराश होकर एक आशा के किरण के रूप में एक अधिवक्ता के पास जाकर अपनी सारी दुख से अवगत कराते है। तो अधिवक्ता न्यायपालिका के सहारे उस व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करते है । जिस प्रकार सूर्य के रौशनी पड़ते ही मनुष्य एवं अन्य प्राणी को एक नई ऊर्जा का संचार होने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार न्याय पाने वाले व्यक्ति को अधिवक्ता के सम्पर्क से उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। अपने वंचित अधिकारों को पाने में अति उत्साह से तत्पर हो जाते है और अंत में उन्हें न्याय अवश्य मिलता है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिवक्ताओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। किसी न किसी रूप में इनका योगदान आवश्यक होता है। समाज में कानून से संबंधित जितने समस्या हैं उन समस्या का निदान अधिवक्ताओं द्वारा ही किया जाता हैं समाज में बहुत सारी समस्या कानून के जानकारी के अभाव में उत्पन्न होती है, उस समस्या का निदान अधिवक्ताओं द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका के सहारे अधिवक्ता करोड़ो वेजुबान के जुबान हैं। समाज के विकास को इनकी भूमिका अहम माना गया हैं। अधिवक्ता वर्ग समाज के एक प्रहरी के रूप में विभिन्न आयमो में अपनी योगदान देने का काम करती है। शिक्षा का अधिकार को स्वास्थ्य का अधिकार मजदूर का अधिकार पर्यावरण संरक्षण की बात हो अर्थात हम कह सकते है कि अधिवक्ताओं का योगदान स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायु मंडल में जितने प्रकार के कानूनी आचरण एवं विचार बिन्दु में अधिवक्ता का भूमिका माना जाता है। यहाँ तक जानवर के संरक्षण संबर्द्धन पौधो के संरक्षण संवर्द्धन स्थलीय जीव, जलीय जीव के संरक्षण एवं संवर्धन

में कानूनी अरचन पर एक अधिवक्ताओं की भूमिका अहम होती है। समाज के विकास में समाज के अधिकारों के लड़ाई लड़ते हुये सम्यक कर्तव्यों के बारे में जानकारी देने का काम में अहम भूमिका अधिवक्ता को होती है, सभी के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य पर्यावरण के प्रति कर्तव्य अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायु मंडल में होने वाली गतिविधि में कानूनी कर्तव्य का बोध एक अधिवक्ता से बेहतर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। समाज के विकास में कानूनी रूप से सर्वांगीन विकास के योगदान में अधिवक्ता का योगदान अद्वितीय है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि एक अधिवक्ता ग्राम, स्तर पंचायत स्तर प्रखण्ड स्तर अनुमंडल स्तर जिला स्तर प्रमण्डल स्तर, राज्य स्तर देश स्तर एवं विदेश स्तर सारे क्रिया–कलाप में अधिकार दिलाने, कानूनी सहायता करने से लेकर उनके कर्तव्यों के दायित्वों के निर्वाहन का पाठ सिखाने में अधिवक्ताओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता हैं। अतः अंत में कह सकते है कि सूर्य के रौशनी के इस धरती पर प्रत्येक जीव जन्तु को नई ऊर्जा मिलता रहता है। गतिमान रहते हुए ठीक उसी प्रकार अधिवक्ताओं के द्वारा कानूनी अधिकार एवं कर्तव्य के बोध कराने से समाज के विकास में मानिसक ऊर्जा का संचार होता रहता है, जिससे समाज का सर्वांगीन विकास होता है ।

अधिवक्ता के दशा एवं दिशा :– समाज के विकास में इतना योगदान देने के बावजूद अधिवक्ताओं का दशा दैनीय है। इसका मूल कारन राज्य, सरकार भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों के स्टेट बार कॉन्सिल एवं बार कॉन्सिल ऑफ इण्डिया के उदासीन रवैये के कारण अधिवक्ताओं के स्थिति दैयनीय हैं।

अधिवक्ताओं को कल्याण के लिए बजट में प्रावधान कर अधिवक्ता को बुनीयादी सुविधाओं को प्रदान कर लोकतांत्रिक देश के न्यायपालिका के आधार स्तम्भ माने जाने वाले अधिवक्ताओं को सुदृढ़ न्यायिक प्रक्रिया में होनेवाली कठिनाईयों के बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। अधिवक्ता के सुरक्षा के लिये सरकार को अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए, अधिवक्ता पेंशन योजना, अधिवक्ता चिकित्सा सुविधा योजना, अधिवक्ताओं के बच्चों के शिक्षा के लिये अधिवक्ता शिक्षा योजना अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया का स्तम्भ के रूप में काम करता है। इसे देश के किसी भी कोने में न्यायिक काम के लिए रियायती दरों पर आने–जाने की सुविधा सरकार को देना चाहिए इस सुविधा का लाभ देने से समाज के कमजोर वर्गो के लोगों को न्याय पाने में लाभ मिल सकता है। अधिवक्तागण का विरासत बहुत मजबूत है। देश के अजादी दिलाने से लेकर आज भी अधिवक्ता समाज लोकतंत्र को बचाने के लिये तत्पर रहते है। सरकार के द्वारा समय–समय पर लाये हुये गलत नीतियों का भी मजबूत ढंग से आन्दोलन कर विरोध करते रहते है। सही नीतियों पर सरकार को अपना योगदान देते रहते हैं। अधिवक्ताओं के जो समस्या हैं उसका जिम्मेदार स्वयं अधिवक्ता बन्धु है। विभिन्न वर्गो में बंटकर अलग–अलग राग अलापते रहते हैं। अगर पूरे देश के अधिवक्ता एक जुट होकर अपनी माँग के लिए लड़ते है। तो किसी भी दल की राज्य एवं केन्द्र में सरकार होगी, सरकार को झूकना पड़ेगा, अधिवक्ता के माँग को पूरा करना पाड़ेगा अन्यथा अधिवक्ता के समस्या दिनों दिन बढ़ता जायेगा। कहने के लिए बहुत कुछ है। अन्त में अधिवक्ता बन्धुओ से कहना चाहता हूँ, कि समाज के विकास में आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ।

THE PROBLEMS AND CHALLENGES OF THE DISTRICT JUDICIARY IN INDIA

Damodar Prasad
District & Session Judge, Patna (Rtd.)
Mob.- 9430602485

Abstract

The District Judiciary forms the foundation of India's justice delivery system. Nearly eighty percentage of all civil and criminal disputes are adjudicated at this level. Despite being the corner-stone of the judicial structure, district courts face numerous institutional, infrastructural, and administrative challenges that threaten their efficiency and independence. This paper critically examines the structural deficiencies, human resource constraints, procedural impediments, and accountability issues within the district judiciary and suggests reforms for strengthening its capacity to deliver timely and equitable justice.

1. Introduction

The District Judiciary constitutes the foundation of the entire judicial edifice upon which the superstructure of the High Courts and the Supreme Court of India securely rests. A strong, efficient, and independent district judiciary is the backbone of the Indian judicial system and the principal instrument for ensuring the rule of law and access to justice at the grassroots level. Nearly eighty percentage of all civil and criminal disputes pending across the country are concentrated within the jurisdiction of the district and subordinate courts. These courts serve as the first interface between the citizen and the justice delivery system, and their effectiveness directly reflects upon the credibility of the judiciary as a whole. However, despite their constitutional and institutional significance, the district courts across India continue to grapple with chronic and multifaceted problems which collectively operate as serious impediments in the dispensation of justice.

2. Infrastructural Deficiencies and Working Conditions

The foremost challenge confronting the district judiciary is the acute deficiency of proper infrastructure. Many court complexes lack adequate courtrooms, chambers, record rooms, and residential quarters for the presiding officers and their staff. It is not uncommon to find two judicial officers compelled to hold their courts in the same courtroom by rotation or in alternate shifts, sharing even the same chamber for administrative and judicial work. 2 Although there has been some incremental increase in infrastructure since the 1970s to 1990s, progress remains inadequate and uneven. Judges are still compelled to work under conditions that are neither dignified nor conducive to the discharge of solemn constitutional duties. This scenario recalls the old saying within the district judiciary: “A judge of the District Court must live like a hermit and work like a horse.” This adage aptly captures the austerity, endurance, and relentless dedication with which judges continue to uphold the majesty of justice despite adverse circumstances.

3. Institutional Bias and Lack of Accountability

Judges of the district judiciary, who form the primary adjudicatory cadre of the nation, are at times subjected to

institutional injustice and systemic inequities arising out of nepotism, favouritism, and opaque administrative practices. These are particularly evident in the process of elevation from the district bench to the High Courts, where merit and seniority are sometimes overshadowed by extraneous considerations. This lack of transparency has eroded morale among deserving officers and diminished institutional faith. Moreover, the absence of an effective grievance redressal mechanism has resulted in the denial of natural justice within the system itself. While judicial independence is sacrosanct, it must coexist with internal accountability. The judiciary that dispenses justice externally must also ensure fairness and transparency internally. The Supreme Court of India has repeatedly emphasized that transparency in judicial administration is the cornerstone of public confidence. Hence, institutional reforms are essential to balance independence with accountability.

4. Pendency of Cases and Judicial Strength

The mammoth pendency of cases in the subordinate judiciary represents one of the gravest challenges to justice delivery in India. The backlog has reached alarming proportions, with millions of cases awaiting adjudication. This situation undermines the constitutional guarantee of speedy justice, recognized as a fundamental right under Article 21 of the Constitution. The primary causes include the inadequate sanctioned strength of judges and delays in filling vacancies. Unless judicial strength is proportionately increased in relation to population and caseload, pendency will persist. The adage "justice delayed is justice denied" continues to echo in the corridors of district courts, reflecting the frustration of litigants and the erosion of public faith in judicial efficiency.

5. Facilities for Litigants and the Bar

5.1 Facilities for Litigants

Litigants constitute the soul of the judicial process. Their dignity and accessibility are integral to the idea of justice. Earlier, court campuses commonly provided temporary shelters and shaded waiting areas for litigants and witnesses during court hours. In many districts, these have deteriorated or vanished. To uphold the dignity of justice seekers, courts must ensure adequate waiting halls, sanitation facilities, and seating arrangements. A court must command respect not merely through authority but through civility, accessibility, and humane treatment.

5.2 Facilities for the Bar

Members of the Bar are an indispensable component of the justice system. The Bench and Bar are two pillars of the same temple of justice, each relying on the other for the administration of law. However, in many district court complexes, the infrastructure for advocates remains grossly inadequate. Young lawyers, in particular, face difficulties due to the absence of proper chambers, libraries, and research facilities. The government, in consultation with Bar Councils and judicial authorities, must strengthen the Bar infrastructure by creating digital libraries, research centers, and affordable chambers. An empowered Bar ultimately strengthens the quality of the Bench and the efficiency of justice delivery.

6. Human Resource Deficiency and Recruitment Policy Concerns

6.1 Inadequate Supporting Staff and Administrative Manpower

The district judiciary suffers from a severe shortage of competent supporting staff, including clerks, stenographers,

typists, and deposition writers. Their work directly affects judicial efficiency in record maintenance, decree preparation, service of summons, and transcription of depositions. Overburdened staff and lack of training lead to errors, delays, and reduced administrative effectiveness.

6.2 Recruitment Rules and Institutional Apprehensions

The stringent and impractical recruitment regulations governing appointments to judicial and ministerial posts discourage talented aspirants. The residential transferability rules often create apprehension among prospective candidates, 4 especially those with family commitments. This has led to a decline in the inflow of meritorious individuals, weakening the administrative strength of the district judiciary.

6.3 Controversy Regarding Minimum Marks in the Interview

The requirement of securing minimum qualifying marks in the interview (viva-voce) for judicial recruitment has invited widespread criticism. This rule, though intended to assess personality and suitability, has often resulted in the arbitrary exclusion of meritorious candidates with high written scores. Notably, no such requirement exists in the recruitment to Class-I All-India Services (IAS, IFS, IPS), where final merit is based on aggregate performance. The current rule, therefore, lacks parity and fairness.

6.4 Proposed Reformative Approach

The rule mandating minimum marks in the interview warrants urgent reconsideration. Selection should be based on aggregate merit combining written and interview marks, without disqualification solely on viva-voce performance. Such reform would promote transparency, objectivity, and equal opportunity, while attracting talented individuals of integrity into the judicial service.

7. Conclusion

The District Judiciary is the foundation of t/he rule of law in India. Its efficiency determines the citizen's faith in justice and democracy. To strengthen it, there must be holistic reforms —adequate infrastructure, transparent recruitment, fair accountability mechanisms, trained staff, and humane facilities for litigants and lawyers alike. A judiciary that is strong at the district level ensures that justice is not a privilege of the few but a right accessible to every citizen, thus realizing the constitutional promise of Justice—social, economic, and political.

भाषायी प्रावधानों के अभाव में अधिकांश नागरिकों के कानूनी अधिकारों का हनन

डॉ. एम.एल. गुप्ता 'आदित्य'
वैश्विक हिंदी सम्मेलन, मुंबई के संस्थापक एवं निदेशक
Mob.- 9869374603

(कानूनन सूचना दी तो जाती है पर किसी को मिलती नहीं।)

भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक जनतांत्रिक देश है अर्थात जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन, लेकिन जनभाषा में नहीं है। ऐसा जनतंत्र दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। जिनके द्वारा और जिनके लिए है, यदि उनकी ही भाषा में न हो तो क्या इसे सही अर्थों में जनतंत्र माना जा सकता है? अगर यह कहा जाए कि वर्तमान विधिक व्यवस्था में संविधान तथा इसके अंतर्गत संघ एवं राज्यों के विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जनहित के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों के लाभ से देश की लगभग 95% जनता वंचित है तो यह अनुचित न होगा।

अगर देश में जनतंत्र है तो जनता को विधि–विधान के अंतर्गत सभी सूचनाएं – सुविधाएं व न्याय अनिवार्यतः जनभाषा में ही दिया जानी चाहिए। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अंग्रेजी (जो मूलतः इंग्लैंड की भाषा है) उसका ज्ञान न होने पर भारत के नागरिकों को उनके जनतांत्रिक व कानूनी अधिकारों से वंचित रखा जा सके। लेकिन वास्तव में ऐसा हो रहा है। यह जनतांत्रिक व्यवस्था के एकदम प्रतिकूल है।

संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए अधिनियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, उपनियमों, आदेशों मैं, जहाँ किसी भी स्तर पर किसी को कोई सूचना दी जानी आवश्यक है, यदि वह किसी ऐसी भाषा में दी जाए जो वहाँ की जनभाषा न हो कर मूलतः एक विदेशी भाषा हो तो ऐसे किसी कानून का किसी को क्या लाभ? भारत में विभिन्न कानूनों के अंतर्गत यदि उसमें दी जाने वाली सूचना की भाषा का उल्लेख नहीं है या उसकी भाषा जनभाषा नहीं है तो वह सूचना दिए जाने के बावजूद भी पाने वाले तक नहीं पहुँचती। इस कारण नागरिक ऐसे कानूनों के लाभ से वंचित रहते हैं। इस तरह अंग्रेजी न जानने–समझने वाले भारत के लगभग 95% नागरिक अपने विभिन्न कानूनी अधिकारों से वंचित रहते हैं।

इसका एक बड़ा उदाहरण हैं ग्राहक कानून जिनमें ग्राहक के कानूनी अधिकारों के लिए उत्पाद की पैकिंग पर ही उत्पाद के संबंध में समुचित जानकारी दिए जाने की प्रावधान किए गए हैं। भारत में बिकने वाले लाखों तरह के उत्पादों पर ये तमाम सूचनाएँ अधिकांशतः केवल अंग्रेजी में ही दी जाती हैं जबकि भारत की 5% जनता भी ठीक से अंग्रेजी नहीं समझती। पूरी दुनिया में ग्राहकों को सूचना उन्हीं की भाषा में ही दी जाती हैं।

जब हमने कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ग्राहक कानूनों के अंतर्गत जानकारी भारतीय भाषाओं में देने की बात लिखी तो उन्होंने बताया कि भारत में ऐसी कानूनी व्यवस्था नहीं है कि ग्राहकों को सूचना उनकी भाषा में ही दी जाए। अन्य देशों में ऐसी व्यवस्था है इसलिए उन देशों में ले ग्राहकों को सूचनाएँ उनकी भाषा में ही दी जाती हैं। भारत में अंग्रेजी में सूचना दिए जाने से कानूनी प्रावधानों का अनुपालन तो हो जाता है लेकिन वास्तव में 95% से अधिक भारत के नागरिक ग्राहक कानूनों के अंतर्गत उन्हें ये सूचनाएँ नहीं मिलती और वे कानून से प्राप्त अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।

इसी प्रकार कंपनी अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं कि वार्षिक–रिपोर्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा शेयरधारकों कंपनी के संबंध में समग्र जानकारी दी जाए। शेयरधारक होने के लिए अंग्रेजी – ज्ञान की कोई अनिवार्यता भी नहीं है, फिर भी तमाम कार्य व सूचनाएँ केवल अंग्रेजी में ही दी जाती है। कंपनियों द्वारा करोड़ों शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सूचना तो दी जाती है लेकिन केवल अंग्रेजी में। अंग्रेजी न जाननेवाले शेयरधारक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। जब एक निजी कंपनी अंग्रेजी में विभिन्न शर्तों का उल्लेख कर कोई सामान अंग्रेजी न जानने वाले व्यक्ति को बेचती है, या बैंक किसी करार पर हस्ताक्षर करवा कर ऋण देता है. या बीमा कंपनी अंग्रेजी के करारनामे पर हस्ताक्षर करवाती है तो क्या ग्राहक को वास्तव में कानूनन उसके अधिकार के अनुसार उसे अपेक्षित जानकारी मिलती है ? इसी के चलते भारत में करोड़ों लोग आए दिन कंपनियों की ठगी का शिकार बनते हैं। भारत के नागरिकों को सभी सूचनाएँ केवल अंग्रेजी में देकर कथित रूप से उन्हें उनके कानूनी अधिकार प्रदान करने की औपचारिकता पूरी कर दी जाती है। देश के ज्यादातर नागरिक बिना पढ़े–समझे अंग्रेजी में तैयार किए गए ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को विवश होते हैं। संविधान और उसके अंतर्गत संघ और राज्यों द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों के अंतर्गत दी जाने वाली सभी सूचनाएँ और सुविधाएं देश के नागरिकों को उनकी भाषा में नहीं दी जाती। निजी क्षेत्र के लिए तो कोई भाषाई प्रावधान हैं ही नहीं इसलिए वे सभी जानकारियाँ अंग्रेजी में दे कर ग्राहकों को अंधेरे में रखते हैं, जिससे ग्राहक शोषण व ठगी का शिकार होते हैं। यह जनतांत्रिक मुल्यों और संविधान की भावना के प्रतिकूल है। इसी प्रकार कराधान विभाग तथा अन्य सरकारी कार्यालयों और संस्थानों से भी प्रायः अपेक्षित सूचनाएँ केवल अंग्रेजी में दिए जाने के कारण समान्य जन को धोखे का शिकार होना पड़ता है। यह भारत की जनतांत्रिक प्रणाली और मूल्यों के भी खिलाफ है।

भारत के संविधान में अंग्रेजी न तो भारत संघ की राजभाषा है और न ही संविधान की अष्टम अनुसूची में वर्णित भाषाओं में शामिल है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा है और संविधान के अनुच्छेद – 345 के अंतर्गत राज्यों विधानमंडलों द्वारा कानून बना कर राज्य मे बोली जाने

वाली भाषा या भाषाओं को राज्य की राजभाषा बनाया गया है। संघ के राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 में केवल यह प्रावधान है कि संघ और संसद के कार्यों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब अगर यह प्रश्न खड़ा होता है कि भारत जैसे बहुभाषी देश में जनभाषा किसे कहा जाए ? इसका उत्तर संविधान में निहित है – संघ और राज्य की राजभाषा। इसलिए यह उचित होगा कि सभी प्रकार की सूचनाएं जनभाषा में अर्थात संघ और राज्य की राजभाषा में अर्थात हिंदी व राज्य की राजभाषा में दी जाएँ और यदि कंपनी अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा का प्रयोग करना चाहे तो उन्हें संघ और राज्य की भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग करने की छूट भी होनी चाहिए।

विभिन्न कानूनों में उचित भाषिक प्रावधानों के अभाव में यदि देश की अधिकांश नागरिक अपने कानूनी अधिकारों से वंचित रहते हैं तो ऐसी व्यवस्था को न्यायसंगत एवं जनतांत्रिक तो नहीं माना जा सकता। इसलिए यह अति आवश्यक है कि संघ और राज्य के कानूनों में इस प्रकार के उपबंध किए जाएं कि भारत के नागरिकों को नियम – कानूनों के अनुपालन की दृष्टि से सभी प्रकार की सूचनाएँ व सुविधाएं उनकी भाषा में ही दी जाएँ। यह केवल सरकारी तंत्र तक सीमित न हो कर देश के तंत्र के लिए होना चाहिए ताकि भारत के नागरिकों को उनके संवैधानिक और वैधानिक अधिकार और विकास के सभी अवसर प्राप्त हो सकें। देश के सभी संविधान विशेषज्ञों, विधि–विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं और जनतांत्रिक अधिकार संगठनों के साथ–साथ सूचना का अधिकार मांगने से जुड़ी संस्थाओं को इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए देश के सम्मुख इस मांग को प्राथमिकता के आधार पर उठाना चाहिए। इसी संदर्भ में यह उचित प्रतीत होता है कि राष्ट्र और राज्य के स्तर पर संपर्क भाषा की दृष्टि से संघ की राजभाषा को संघ की राष्ट्रभाषा तथा राज्य की राजभाषा को राज्य की राज्य भाषा बनाया जाए ताकि राज्य व राष्ट्र के स्तर पर सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों के लिए संपर्क भाषा एक ही हो, जिसमें सभी सूचनाएँ–सुविधाएँ देना अनिवार्य हो। यथा मराठी – हिंदी, गुजराती–हिंदी या बांग्ला–हिंदी आदि। यह विषय भाषा का नहीं कानूनी अधिकारों का है जिनका हनन संप्रेषण के समुचित व उचित प्रावधानों के कारण हो रहा है। विधि– विशेषज्ञों व जनप्रतिनिधियों को जनता के विधिक व जनतांत्रिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

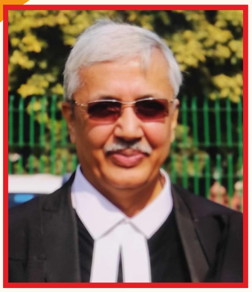

अधिवक्ता संरक्षण की आवश्यकता

उमेश शर्मा
अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली
मो0- 9868235388

वकीलों को मुवक्किलों के साथ संचार का खुलासा करने के लिए जांच एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली धमकियों का विषय अभी गर्म हो चला है। निरंतर ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमे जाँच एजेंसी द्वारा अधिवक्ता को या तो अभियुक्त बनाया जाता है, या फिर उनसे मुवक्किल को दी गयी सलाह के बारे में पूछा जाता है। यह सब न हो इसके लिए पहले से ही संविधान ने कानून बनाया हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 132-134 का उद्देश्य वकीलों को अपने मुवक्किलों के साथ विशेष संचार का खुलासा करने के लिए अनावश्यक धमकाने से बचाना है। BSA की धारा 126 (वर्तमान में BSA की धारा 132(1),(2)) का उद्देश्य वकीलों, जो न्याय प्रशासन प्रणाली का हिस्सा हैं, की रक्षा करना है। कुछ धोखेबाज वकीलों को 'कभी-कभार आने वाली काली भेड़' करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था में ऐसे पेशेवरों की मौजूदगी को स्वीकार किया है और कहा है की कभी-कभार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो मुवक्किल के हितों की रक्षा के नाम पर छल-कपट की ऊबड़-खाबड़ और कीचड़ भरी गलियों में चलते हैं। हालांकि ये अल्पसंख्यक हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी व्यवस्था में मौजूद हैं। हम 'हमारी व्यवस्था' शब्द का इस्तेमाल जोर देकर इसलिए करते हैं, क्योंकि जज खुद को वकीलों की उस बिरादरी से अलग नहीं कर सकते, जिससे वे कभी जुड़े थे और जिसकी बदौलत उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर स्पष्ट कहा है की वकील और मुवक्किल के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संचार को सुरक्षा प्रदान करने वाला प्रावधान उन पथभ्रष्ट लोगों की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि न्याय प्रशासन के कार्य में दिन-रात लगे रहने वाले अधिकांश लोगों को केवल इसलिए कि उन्होंने संदिग्ध आचरण वाले किसी मुवक्किल का प्रतिनिधित्व किया है, अपने मुवक्किलों के साथ अपने संचार का खुलासा करने के लिए प्रताड़ित या धमकाया न जाए। सुप्रीम कोर्ट हालांकि, इसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, 1975 के भाग VI की धारा 20 के नियम 11, जिसका शीर्षक 'पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक' है, उसका भी हवाला दिया और कहा कि वकीलों का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वे जहां तक कानून अनुमति देता है, अपने मुवक्किल के संचार की सुरक्षा करें। उक्त नियम में कहा गया: एक अधिवक्ता न्यायालयों या न्यायाधिकरणों में या जहां वह वकालत करने का प्रस्ताव रखता है, वहां किसी भी संक्षिप्त विवरण को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, जिसका शुल्क बार में उसकी स्थिति और मामले की प्रकृति के अनुरूप हो। विशेष परिस्थितियां किसी विशेष संक्षिप्त विवरण को स्वीकार करने से उसके इनकार को उचित ठहरा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने टिप्पणी की: "उस पर अपने मुवक्किल के पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए कानून द्वारा स्थापित अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व है। इसलिए न्याय के प्रति पूर्ण ईमानदारी बनाए रखते हुए अपने मुवक्किल द्वारा उस मामले से संबंधित किए गए संचार में सख्त और पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करना संहिताबद्ध दायित्व है, जिसके लिए वह कार्यरत है।" पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि BSA की धारा 132-134 को मुवक्किल और अधिवक्ता दोनों के लिए एक प्रतिरक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। पीठ ने आगे कहा, "धारा 132 से 134 को न केवल मुवक्किल की सुरक्षा के

लिए बल्कि अधिवक्ता को ऐसा कोई भी खुलासा करने से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए भी शामिल किया गया।'' न्यायालय ने किसी व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भी ध्यान दिया, जो संविधान में ही निहित है। पूर्व में हवाना, क्यूबा में अपराध की रोकथाम और अपराधियों के उपचार पर संयुक्त राष्ट्र की आठवीं कांग्रेस और हरि शंकर रस्तोगी बनाम गिरिधर शर्मा (1978) 2 एससीसी 165 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, वास्तव में, बार न्याय प्रणाली का एक विस्तार है; एक वकील न्यायालय का एक अधिकारी और एक विशेषज्ञ का स्वामी होता है, लेकिन उससे भी अधिक वह न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है और उच्च नैतिकता द्वारा शासित होता है। इस पृष्ठभूमि में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक की आवश्यकता पर जोड़ दिया जाना आवश्यक है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया की सफलता अक्सर कानूनी पेशे की सेवाओं पर निर्भर करती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2 जुलाई 2021 को अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2021 का मसौदा जारी किया। अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के सामने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विधेयक तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति नामित की गई थी। बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ता विधेयक पेश करने का मुख्य कारण अधिवक्ताओं को दी जाने वाली धमकी, आपराधिक धमकी और हमले हैं, जिसके कारण उनके मन में भय की गहरी भावना पैदा होती है। अधिवक्ता विधेयक के प्रारूप में विधेयक के उद्देश्य, हिंसा की परिभाषा, अपराधों के लिए दंड, मुआवजा, पुलिस सुरक्षा और बहुत कुछ शामिल हैं।

इस अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का उद्देश्य मूलत: अधिवक्ताओं पर हमले और धमकी की हाल की घटनाएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई हैं। अधिवक्ताओं को इन हमलों से बचाने के लिए कानून बनाना जरूरी था। ''जहां वकीलों की सुरक्षा उनके कर्तव्य निर्वहन के परिणामस्वरूप खतरे में पड़ती है, वहां प्राधिकारियों द्वारा उनकी पर्याप्त सुरक्षा की जाएगी।'' एक अन्य मुद्दा जिसका अधिवक्ताओं को अक्सर सामना करना पड़ता है, वह है प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा तुच्छ अभियोजन का खतरा, जो उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करने का इरादा रखते हैं और अंतत: न्याय प्रशासन में बाधा डालते हैं। धारा 2 (1) (ए) हिंसा का कृत्य किसी अधिवक्ता के विरुद्ध न्यायालय या न्यायाधिकरणों के समक्ष निष्पक्ष और उचित मुकदमेबाजी को प्रभावित करने के इरादे से की गई किसी कार्रवाई को संदर्भित करता है। अधिवक्ताओं के विरुद्ध किए जाने वाले कृत्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे। जबरदस्ती, उत्पीड़न, या उसके जीवन या कार्य पर प्रभाव डालने वाली धमकी; किसी अधिवक्ता को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकना; न्यायालय परिसर के भीतर या अन्यथा कोई गंभीर या साधारण चोट; किसी भी प्रकार का दबाव जिसके परिणामस्वरूप गोपनीय जानकारी का खुलासा हो सकता है; किसी भी प्रकार का दबाव जिससे वकील को न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने, मुवक्किल की ओर से दलील देने या पेश होने या अपनी वकालत वापस लेने की अनुमति न मिले; ऐसे दस्तावेज या संपत्ति की हानि या क्षति जिसे अधिवक्ता कानून के तहत रखने के लिए बाध्य है; और अदालती कार्यवाही के दौरान अपमानजनक भाषा का प्रयोग ।

इन सभी प्रस्तावित प्रावधानों को कानूनी अमलीजामा पहनना आवश्यक है परन्तु बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने इस विषय पर सरकार पर जोड़ देने के लिए कुछ भी नहीं किया है और यह प्रस्तावित कानून अभी सिर्फ वेबसाइट की शोभा बढ़ा रहा है। अत: समय आ गया है की अधिवक्ता संरक्षण हेतु कड़े कानून बनाये जाएँ और न्याय प्रणाली को समुचित रूप से चलने हेतु इस विषय को सरकारों के साथ प्राथमिकता से लिया जाये।

कानून चले, न्याय के पल्ले

डॉ0 ओमप्रकाश जमुआर
अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना

किसी भी भाषा का सौभाग्य उस समय उदित होता है जब राष्ट्र-प्रेम अपने आप जगता है। सत्ता पर काबिज होने के लिए या उसमें अधिकतम हिस्सेदारी के लिए राजनीति हो सकती है। परन्तु राष्ट्र-प्रेम में राजनीतिकरण का कोई स्थान नहीं है। राष्ट्र-प्रेम में भाषा महज माध्यम है। वह लक्ष्य नहीं हो सकता है।

जब हमारे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सभी लोग एक जुट थे। एक जुटता को तोड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने 1905 में बंगाल का विभाजन दो भाग में कर दिया। देश के सभी हिन्दी प्रदेश एवं अन्य प्रदेश इसके विरोध में खड़े हो गए। उसी तरह से अंग्रेज सरकार ने इस देश को छोड़ते-छोड़ते दो टुकड़े कर दिए, जिसका दंश आज तक हमलोग झेल रहे हैं।

खैर, जब देश आजाद हुआ और संविधान निर्माताओं में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया कि हिन्दी इस देश की समग्र भाषा रहेगी। उस समय भारत के दक्षिण राज्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध बिल्कुल किया, बल्कि समर्थन दिया।

हमारे देश में भाषा का राजनीतिकरण उसी समय शुरू हुआ, जब संविधान में बहुल पार्टी प्रणाली की व्यवस्था की गयी। आज छोटी-छोटी पार्टियाँ देश के प्रदेशों में जन-ब्लैकमेलिंग का काम कर रही हैं। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी भूल थी।

स्वतंत्रता आन्दोलन के समय हिन्दी सिरमौर थी। आज तथाकथित लोग हिन्दी को अपने ही देश से बेदखल करने में लगे हुए हैं।

यह स्पष्ट है कि हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। लेकिन इसे स्थापित करने में आन्तरिक बाधाऐं सामने दिख रही हैं। जब 26 जनवरी, 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हुआ तो यह औपचारिक रूप से मान लिया गया कि अगले पन्द्रह साल तक अंग्रेजी राजकाज में सम्पर्क भाषा के रूप में तत्काल रहेगी। उसके बाद हिन्दी राजकाज की भाषा स्वतः हो जायेगी।

देश में बहुदलीय प्रणाली लागू होने के कारण छोटी-छोटी पार्टियां विभिन्न राज्यों में उभर कर आयीं। वे अपने स्तर से हिन्दी का विरोध करते हुए भाषायी आन्दोलन चलाने लगे। 1965 के आसपास तमिलनाडु (चैन्नई) में हिन्दी के विरोध में आन्दोलन शुरू हुए। अन्य गैर-हिन्दी भाषी प्रदेश भी उनके समर्थन में आगे आ गये।

अंततः केन्द्र सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि अंग्रेजी सरकारी काम-काज में पूर्ववत बनी रहेगी।

पहले की धारणा अब फीकी पड़ रही है कि जिस देश की आबादी अत्यधिक या घनी होती है तो वहाँ समस्याएँ विकराल होती हैं। आज भी विश्व की सबसे घनी आबादी चीन में ही है। लेकिन आज चीन प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को सीधा टक्कर विश्व में दे रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ भाषीय एवं मातृ एकता पूरी तरह से कायम है। चीन भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है। उससे हमें सीख लेनी चाहिए। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता भाषीय एकता में पूरी तरह से निहित रहती है।

उसी तरह से मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे

तो उन्होंने पूरे देश में भाषाई एकता पर बल दिया। उनके अधीनस्थ सलाहकारों ने सुझाव दिया कि भाषाई एकता को लागू करने में तीन साल लगेंगे। मुस्तफा कमाल पारा ने फिर अपने आदेश में कहा तीन साल अब बीत गये। भाषाई एकता को लागू समझा जाय। आज मुस्तफा कमाल पारा अपने अनूठे काम के लिए याद किए जाते हैं।

भारत सरकार की नई शिक्षा नीति, 2020 अभी हाल में आई है। उसमें कहा गया कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा अपनी-अपनी मातृभाषाओं में अनिवार्यत: दी जाए। परन्तु राष्ट्र की हिन्दी भाषा सबके लिए मान्य हो । जब राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता एवं एकता परिस्थितिवश खतरे में पड़ती है तो उस समय भाषीय एकता उस विपदा/आपदा से बचाती है।

अब हमलोग न्यायपालिका में राष्ट्रभाषा हिन्दी के सुगम प्रयोग की चर्चा करें। यह अफसोस की बात है कि अभी भी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी हावी है। यह भी साथ-साथ विदित हो कि अभी भी भारत की सभी अदालतों में पाँच करोड़ से अधिक मुकदमें अकारण लंबित हैं। भारत सरकार की इस पर कड़ी नजर है ! केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय को सुझाव दे रही है कि वर्चुअल मोड में सभी लंबित मुकदमों को निष्पादित कराया जाय। हिन्दी प्रदेशों में लंबित मुकदमों की संख्या अत्यधिक है। अंग्रेजी के मोह को छोड़कर हिन्दी भाषा के प्रायोगिक महत्व पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है।

हमलोग जानते हैं कि कानून का लगाव नैसर्गिक नियमों से है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार नैसर्गिक नियमों पर ही टिका है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस बात के लिए सजग है कि देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था भारतीय संविधान से निर्देशित होता है। अब सर्वोच्च न्यायालय को यह बात समझनी होगी कि इस देश की अधिकांश जनता हिन्दी भाषा को समझती है और बोलती है। जो तथाकथित लोग हैं, उन्हें मान-मनौअल करके हिन्दी भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

किसी भी सर्वहित कार्य में बल प्रयोग अहितकर एवं अलाभकारी होता है। समय की यथोचित मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्यों के भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालय से सलाह-मशविरा करके अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी भाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करे।

किसी व्यवस्था में बदलाव शीर्ष से शुरू होता है। अधीनस्थ कर्मी उस बदलाव को अनुसरण करने के लिए प्रेरित होते हैं। आज भारत की अदालतों में लंबित मुकदमें चिन्ता का मुख्य कारण है। वर्चुअल मोड एवं सरल हिन्दी के प्रयोग से लंबित मुकदमों का निष्पादन किया जाय, यह समय का संकेत है। कहा जाता है कि जब न्याय नहीं मिलता है तो वह कानून अंधा है।

हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। इसे अब राजभाषा का पूर्ण दर्जा देने के लिए सभी भारतीयों के लिए दिल को जीतने की जरूरत है। सरल भाषा का प्रवाह दिल से होता है, न कि दिमाग से। दक्षिण भारत के प्रदेशों में सरल हिन्दी के प्रयोग के लिए जन आन्दोलन चले। सबका साथ, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास निहायत जरूरी है। सरल हिन्दी में प्रयोग से ही न्यायालयों के कार्य में सुगमता आ सकती है। गैर-हिन्दी प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं के शब्द भी हिन्दी में प्रायोगिक स्तर पर समाहित किए जाएं।

हमें याद करना होगा कि हिन्दी को बढ़ावा देने में फिल्म उद्योग की अग्रणी भूमिका रही है। आज दक्षिण भारत के प्रदेशों में हिन्दी फिल्म को बड़े चाव के साथ देखे जाते हैं। वहाँ हिन्दी का विरोध राजनीति के स्तर पर है, स्थानीय स्तर पर नहीं है। वहाँ के राजनेता स्थानीय लोग को ब्लैकमेल करते हैं। भड़काते हैं।

अब हमलोग हिन्दी प्रदेशों की बात करते हैं। आज भी हिन्दी प्रदेशों

में स्थित उच्च न्यायालयों के कामकाज की भाषा अंग्रेजी है। इसका मुख्य यह है कि देश में अंग्रेजी शासनकाल से चली आ रही गुलामी संस्कृति की मानसिकता । परन्तु हमें अवश्य याद करना चाहिए कि कानून को जन तक पहुँचाने का सुगम माध्यम हिन्दी ही है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 'हिदीं है, वतन हिन्दुस्तां हमारा'। 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार किया था। आज हमलोग प्रति वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मानते हैं। केन्द्र सरकार के विभागों एवं कार्यालयों में कामकाज हिन्दी में सुचारू ढंग से हो, इसके लिए विशेष पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं। इस तरह के प्रोत्साहन राशि वितरण का कार्य गैर-हिन्दी- प्रदेशों में तिमाही स्तर पर हो तो ज्यादा कारगर होगा और हमारी राष्ट्रीय सोच स्वत: विकसित होगी।

राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता में 'करो या मरो', की नीति पूरी तरह स्वीकार है। उसी तरह से गैर-हिन्दी प्रदेशों में राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम भाव जगाने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों का दिल जीतना ही होगा। निरंतर मेल-मिलाप करने से हिन्दी अपने आप समृद्ध होती जायेगी। हमें केवल यही ध्यान देना होगा कि सरल हिन्दी का प्रयोग बढ़ता जाय।

यह खुशी बात है कि भारत सरकार का विधि मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालय के पाँच सदस्यीय कॉलेजियम के परामर्श एवं सिफारिश से भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की पदोन्नति एवं रूटीनल तबादला बराबर करता है। यह दुख की बात है कि हिन्दी प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश गैर - हिन्दी- प्रदेशों के उच्च न्यायालय में ट्रांसफर होकर वहाँ जाते हैं तो वे वहाँ हिन्दी को बढ़ावा न देकर अंग्रेजी भाषा में बहस करते हैं और आदेश एव जजमेन्ट अंग्रेजी में ही लिखाते हैं। उन्हें अंग्रेजी मानसिकता से मुक्त - विमुक्त करने के लिए राष्ट्रीय मुहिम चलाने की जरूरत है।

हिन्दी भाषी प्रदेशों में स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला गैर-हिन्दी-प्रदेशों के जिला एवं सत्र न्यायालयों में करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बने । इसके लिए अखिल भारतीय न्यायाधीश (अधीनस्थ) चयन समिति का गठन हो ।

गौर करने की बात है कि प्रकृतिवश जल पहाड़ से उतर कर समतल जीवन पर आता है और वह नदी का रूप लेकर बढ़ता हुआ हजारों मील की सहज यात्रा करते हुए समुद्र में समाहित हो जाता है। उसी तरह से मधुर एवं सरल हिन्दी भाषा को सर्वोच्च न्यायालय के पहल से राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों के मनोकूल सहयोग से भारत के विभिन्न जिला एवं सत्र न्यायालयों में असानी से प्रवाहित किया जाय तो इसके दूरगामी फल की प्राप्ति होगी। राष्ट्र के हित में जो फैसले लिए जाय, वह सर्वग्राही हो ।

कानूनवेत्ता अपनी कानूनी बात अंग्रेजी में बोल कर गौरव महसूस करते हैं, जबकि कानून का सम्बन्ध नैसर्गिक न्याय से है। यह गौर करने की बात है कि जहाँ पर नैसर्गिक न्याय नहीं है, वहाँ पर कानून का पाठ बेकार है।

हम कह सकते 'कानून चले, न्याय के पल्ले', जिसका माध्यम हिन्दी ही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मानसिक रूप से संकल्पित एवं दृढ़ हो, तभी ही हिन्दी को संतुलित प्रोत्साहन मिल सकता है। प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के समेकित योगदान को भी भारत की न्यायपालिका अपनी कार्य पद्धति में अमल कर सकती है। 'एक राष्ट्र एक सर्वमान्य भाषा'- यह समय की यथोचित मांग है।

न्यायतंत्र में बदलाव की जरूरत

प्रो. प्रेम कुमार
अध्यक्ष, न्यायार्थी प्रकोष्ठ
मो0- 9934085354

संविधान की समीक्षा की आवाज उठती रही है। अब हमारी आवाज को समर्थन मिलने लगा है। हैदराबाद की दिशा गुनाहगारों को जाने अनजाने में 10 दिन के अंदर मौत को भारतीय बहुसंख्यक समाज ने सर पर उठा लिया। देश की बहुचर्चित निर्भया कांड की याद ताजा हो गयी जिसे न्यायिक प्रक्रिया में वर्षों बाद न्याय मिली। सिर्फ घृणित रेप कांड के लाखों केस सड़ियल न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबित है देश मे रेप से जुड़े मामलों को फास्ट ट्रैक न्यायिक प्रक्रिया के तहत शीघ्र निर्णय की मांग जोड़ो पर है। अब तो मीडिया भी रेप मामलों को निर्धारित 6 माह के अंदर समाधान की आवाज उठाने लगी है, तो कुछ लोग ऐसे मामलों में नया कानून बनाने की वकालत की तो कुछ अधिवक्ताओं का भी मानना है कि कानूनी दाब पेच का इस्तेमाल कर अपराधी बचते रहे है न्याय प्रक्रिया एकाउंटेवल नही रह गया है।

तत्कालीन घृणित घटनाओं से विचलित होकर बहुसंख्यक समाज कानूनी प्रक्रिया में बदलाब चाहता है। हमारा मानना है कि बीएनएस के साथ साथ भारतीय संविधान नाकाम सावित हुआ है। सिर्फ जघन्य अपराध ही नही किसी भी मामले को सुलझाने में भारतीय न्यायिक प्रणाली नाकाम रहा है या तिल के ताड बनाते आया है। यह अपने मूल भूत उद्देश्य में भी अयोग्य के साथ भारतीय सामाजिक परंपरा के भी प्रतिकूल साबित हुआ है। परिणाम स्वरूप अपराध, चोरी, घूसखोरी, हत्या, अन्याय, असमानता रोकने के बजाए असीमित बृद्धि हुई है। एवं इसके सहयोग से नापाक नेता अपने हक में इस्तेमाल कर जन जन को चोर बेईमान बनाने में लगे है। अगर किसी भी मामले को देखा जाए तो भारतीय संविधान आधुनिक विज्ञापन की तरह उल्टा रिजल्ट देता पाया जाता है। फलतः देश के मंत्री, पदाधिकारी, जन प्रतिनिधि, किरानी, चपरासी तक सभी चोरी, घूसखोरी में आकंठ डूब गये है एवं चोरी जन जन में स्वीकारोक्ति की श्रेणी में है। चोर ही आदरणीय हो गया है क्योकि भारतीय संविधान उसका कुछ नही बिगाड़ सकता खूब होगा तो एक दो माह जेल फिर हाथी पर सवार होकर जीत का जुलूस करता पाया जाता है। जुलूस में शामिल सभी बड़े नेता चोर ही होते है तो आम जनता चोरी के गुर चीखने हेतु लालायित है।

लोकतांत्रिक देश की 75 प्रतिशत सम्पति मात्र 1 प्रतिशत लोगो के पास है और 99 प्रतिशत के लिए सब्सिडी और सबसिडी में भी लूट। आम जनता को संविधान पर चुप रहने को मजबूर। न्यायतंत्र में खामियां या भ्रष्टाचार के कारण लगभग 3 करोड़ मुकदमे वर्षों से लंबित जबकि 80 प्रतिशत मुकदमे झूठे, विरोधी को फंसाने के लिए दाखिल किया जाता है। झूठे मुकदमे के लिए कोई दंड का प्रावधान सीधा नही। किसी भी मुकदमे का कोई समय सीमा नही। देर से न्याय अन्याय है। न्यायालयों में फैसला के बदले सिर्फ तारीख पर तारीख मिलता है। न्यायार्थी को न्यायालय में बैठने की समुचित व्यवस्था हो। सभी मामलों का समय सीमा के अंदर निपटारा हो। झूठे मुकदमे पर कठोर कारवाई का प्रावधान हो।

अधिवक्ताओं के कल्याण के प्रति सरकारी रवैये में अपेक्षित संवेदनशीलता की कमी

श्वेता कुमारी
अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट / मो0- 9911288671, 9608663847

भारतीय कानूनी प्रणाली में अधिवक्ताओं की भूमिका न्याय प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी उनके कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकारों का रवैया अक्सर उदासीन या अपर्याप्त देखा जाता है। हालांकि केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने अधिवक्ता कल्याण के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन ये प्रयास कानूनी बिरादरी की व्यापक जरूरतों को पूरा करने में विफल रहे हैं, खासकर कनिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर वकीलों के लिए।

प्रमुख चुनौतियां और उपेक्षा के क्षेत्र

सामाजिक सुरक्षा का अभाव: अधिकांश अधिवक्ताओं, विशेषकर अपने करियर के शुरुआती चरण में, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और जीवन बीमा जैसी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। अपर्याप्त आय के कारण कई युवा वकील गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं।

आर्थिक अस्थिरता: वकालत का पेशा अक्सर अनिश्चित आय वाला होता है। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में कई साल लग जाते हैं। बिहार जैसी कुछ सरकारों ने नए अधिवक्ताओं को तीन साल तक ₹5000 प्रति माह का वजीफा देने की घोषणा की है, लेकिन यह एक व्यापक राष्ट्रीय नीति नहीं है

सुरक्षा के मुद्दे:

अपने पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान अधिवक्ताओं को अक्सर धमकियों, हमलो और हिंसा का सामना करना पड़ता है। "अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम" की मांग लंबे समय से लंबित है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में एक व्यापक कानून लाने में देरी हुई है, हालांकि राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने अपने स्वयं के अधिनियम पारित किए हैं।

बुनियादी ढांचे की कमी: कई अदालतों में अधिवक्ताओं के लिए चौंबर, पुस्तकालय और अन्य बुनियादी सुविधाओ की कमी है। ई-लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं कहीं-कहीं उपलब्ध कराई जा रही हैं, पर यह एक अपवाद है, नियम नहीं।

सरकारी प्रयास और उनकी सीमाएं

केन्द्र सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 लागू किया, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त वकीलों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस कोष में राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ताओं के वार्षिक शुल्क का एक हिस्सा जमा किया जाता है।

हालांकि, इस तरह के कोष से मिलने वाली सहायता अक्सर कम होती है और प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण समय पर नहीं मिल पाती। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में मृतक अधिवक्ता के आश्रितों को दी जाने वाली राशि को ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया है, जो एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।

निष्कर्ष

न्याय प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में, अधिवक्ताओं का कल्याण सीधे तौर पर न्याय तक पहुंच और कानून के शासन को बनाए रखने से जुड़ा हुआ है। सरकारों को इस पेशे की अनूठी चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और केवल प्रतीकात्मक योजनाओं के बजाय एक व्यापक और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अधिवक्ताओं के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु स्टाइपेंड योजनाएं, और एक प्रभावी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम समय की मांग है। सरकारों की ओर से अपेक्षित सक्रियता और संवेदनशीलता की कमी इस महत्वपूर्ण वर्ग की उपेक्षा को दर्शाती है।

सरकार की नीतिगत चुप्पी और बार काउंसिल की निष्क्रियता - 'न्याय के प्रहरी खुद न्याय से वंचित'

नीतीश कुमार सिंह
अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट

भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में न्यायपालिका को तीन स्तंभों में एक प्रमुख स्थान दिया गया है और अधिवक्ता उस स्तंभ के जीवन्त प्रहरी हैं। अदालतें तभी कार्य करती हैं जब अधिवक्ता उपस्थित रहते हैं। लेकिन दुखद यह है कि वही अधिवक्ता वर्ग, जो हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा में दिन-रात लगा रहता है, आज स्वयं अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए उपेक्षित है।

1. सरकारों की लगातार उपेक्षा:

चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें - किसी ने भी अधिवक्ता वर्ग को अपने नीतिगत एजेंडे या बजट में शामिल करना जरूरी नहीं समझा। केंद्रीय आम बजट में कभी भी अधिवक्ताओं के लिए कोई विशेष कल्याण निधि, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजना या प्रोफेशनल सुरक्षा नीति नहीं लाई गई। राज्य बजट में भी अधिवक्ताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु योजनाएँ केवल घोषणाओं तक सीमित रहीं।

चुनावी मैनिफेस्टो में किसी भी राजनीतिक दल ने अधिवक्ताओं के हित की कोई ठोस नीति शामिल नहीं की। यह स्थिति यह दर्शाती है कि अधिवक्ताओं को केवल ''न्याय की प्रक्रिया का हिस्सा'' माना गया, न्याय प्रणाली का अभिन्न अंग नहीं।

2. अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट - अब भी केवल छलावा:

वर्षों से अधिवक्ताओं की मांग रही है कि देश में "Advocate Protection Act" लागू किया जाए, जिससे अदालत परिसर में वकीलों की सुरक्षा, पेशेगत सम्मान और मनमानी कार्यवाहियों से बचाव सुनिश्चित हो।

कई राज्यों ने इस दिशा में पहल करने का दावा किया, परंतु अब तक कोई ठोस राष्ट्रीय कानून अस्तित्व में नहीं आया। हर बार केवल "कमेटी बनाएंगे", "मसौदा तैयार है", "जल्द लागू करेंगे" जैसे बयान सुनाई देते हैं, लेकिन धरातल पर शून्य परिणाम है।

3. बार काउंसिल ऑफ इंडिया की निष्क्रियता:

यह और भी पीड़ादायक है कि अधिवक्ताओं की अपनी सर्वोच्च संस्था - बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) - ने भी इस दिशा में कोई ठोस दबाव नहीं बनाया। अधिवक्ताओं की सुरक्षा, न्यूनतम मानदेय, स्वास्थ्य सहायता, या आकस्मिक फंड को लेकर कोई ठोस नीति BCI ने लागू नहीं की।

जब अधिवक्ताओं पर हमले होते हैं या फर्जी केस में फंसाया जाता है, तब भी BCI केवल ''निंदा प्रस्ताव'' तक सीमित रह जाती है। अधिवक्ता हितों के लिए संगठित राष्ट्रीय आंदोलन या ठोस कानूनी रणनीति का अभाव साफ दिखता है।

4. सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्देश- वकीलों के प्रति सम्मान की छोटी परंतु ऐतिहासिक पहल:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट Suo Moto Writ Petition No- 2/2025 में स्पष्ट किया कि "किसी भी अधिवक्ता को बिना पुख्ता कारण और बिना संबंधित पुलिस अधीक्षक (SP) की अनुमति के समन नहीं भेजा जा सकता।" यह आदेश अधिवक्ताओं की गरिमा और सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर है।

परंतु यह भी प्रश्न उठता है - क्या अधिवक्ताओं की सुरक्षा का

दायित्व केवल न्यायपालिका का होना चाहिए, या यह सरकार का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है?

5. अधिवक्ताओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति – एक अनदेखा सत्य:

देश के लाखों अधिवक्ता आज भी किसी नियमित आय स्रोत से वंचित हैं, कोई सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसे EPF या पेंशन) का लाभ नहीं पा रहे, और अदालत परिसरों में बुनियादी सुविधाओं (शौचालय, वाई-फाई, पुस्तकालय, बैठने की जगह) के लिए भी संघर्षरत हैं। इन सबके बावजूद अधिवक्ता ही वह वर्ग है जो समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए खड़ा रहता है।

6. अब आवश्यकता है सामूहिक चेतना की:

अब समय है कि अधिवक्ता वर्ग केवल अपने मुवक्किलों के लिए नहीं, स्वयं अपने अस्तित्व के लिए भी आवाज उठाए।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिल्स को एक सशक्त अधिवक्ता आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

Advocate Welfare Board और Protection Authority को विधायी मान्यता दिलाई जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य में अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक मानदेय, स्वास्थ्य बीमा एवं पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण – "Advocate Protection Act" को संसद के अगले सत्र में पारित कराने हेतु व्यापक अभियान चलाना चाहिए।

निष्कर्ष : अधिवक्ता वर्ग केवल कोर्टरूम में लड़ने वाला समुदाय नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ है। यदि यह रीढ़ कमजोर होगी, तो न्याय प्रणाली की पूरी इमारत हिल जाएगी।

सरकारों को अब इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि "न्यायपालिका के सम्मान का आरंभ अधिवक्ताओं के सम्मान से होता है।"

न्यायालय और न्याय में दूरी क्यों बढ़ रही है?

दीपरंजन कुमार
अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना एवं उच्चतम न्यायालय, दिल्ली
मो0- 9911288671

न्यायालय और न्याय में बढ़ती दूरी एक जटिल समस्या है जिसमें कई कारक शामिल हैं। भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था और कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि न्याय तक आम लोगों की पहुंच आसान हो सके

एक प्रमुख कारण यह है कि न्यायपालिका में मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। इससे मामलों की सुनवाई में देरी होती है और न्याय प्राप्त करने में लोगों को अधिक समय लग जाता है।

इसके अलावा, न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी भी एक बड़ी समस्या है। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है ताकि योग्य और निष्पक्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सके।

न्यायालय और न्याय में दूरी को कम करने के लिए सरकार और न्यायपालिका दोनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए न्यायपालिका में सुधार, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, और न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्टों के जजों की नियुक्तियों में आरक्षण, दलित एवं पिछड़े वर्गों का संवैधानिक हक है। हम इसे हासिल करके रहेंगे।

अरूण कुशवाहा
संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट
पटना हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
मो0.- 9905676251, 9431002499

'जब तक देश Supreme Court एवं High Courts में SC, ST, MBC, OBC & Minorities, समाज का इनकी 90% जनसंख्या के अनुसार 90% जज नहीं बनेगा ता तक गरीबों को भारतीय संविधान के Preamble में दिये गये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनैतिक न्याय मिलना असंभव ही नहीं नामुमकिन है। न्याय देने का एक मानक सिद्धांत है कि न्याय मिलना ही काफी नहीं है, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। देश की न्यायपालिका लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है और आजादी के 78 वर्ष बित जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्टो के जजों की नियुक्तियों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 एवं 16 (4) का अनुपालन नहीं किया जाता। जिसका परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्टो के जजों की नियुक्ति असंवैधानिक, लोकतांत्रिक एवं अपारदर्शी तरीके से एक असंवैधानिक कॉलेजियम बनाकर किया जा रहा है जो भारत जेसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए अति शर्मनाक बात है।

सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्टो के जजों की नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए मैनें "Supreme Court High Courts Judges Appointing Reservation Bill" का drafting किया है जिसे लोक सभा से पारित होने के बाद :-

(i) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो जाएगा।

(ii) असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक, Merit Killer Collegium समाप्त हो जाएगा।

(iii) देश के 21 लाख वकीलो को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों के जजों की नियुक्तियों में संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत भाग लेने का मौका मिलेगा।

(iv) सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टो के जजों की vacancy निकलेगी, Preliminary Test, Main Test, Interview एवं Medical Test के बाद ही सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्टों के जजों की नियुक्ति होगी।

(अ) उपरोक्त विधेयक को पारित होने से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियों में SC, ST, MBC, OBC एवं Minorities समाज के वकिलों के लिए आरक्षण भी लागू हो जाएगा।

अत: देश के SC, ST, MBC, OBC एवं Minorities समाज की जनता एवं अधिवक्तागण, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के कानून मंत्री एवं लोक सभा एवं राज्य सभा के सभी सांसदों से माँग करती है कि अतिशीघ्र "Supreme Court, High Court Judges Appointment Reservation Bill" को लोक सभा एवं राज्य सभा से पारित कराने की कृपा की जाए।

विधि व्यवसाय : एक पवित्र एवं आदर्श व्यवसाय है

शिवानंद गिरी
अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना
मो॰- 9308454485

अधिवक्ताओं को साधु, संत, विद्वान, क्षमा, दान, ध्यान, दया, त्याग एवं धैर्य का स्वरूप माना जाता है सुप्रीम कोर्ट भी अपने कई निर्णयों में अधिवक्ताओं को अफसर ऑफ द कोर्ट कहता है, तो जानते हैं आखिर ये वकील अर्थात् अधिवक्तागण कौन होते हैं तथा वे विधि व्यवसाय किस प्रकार करते हैं एवं विधि व्यवसाय क्या है तथा भारत में विधि व्यवसाय का क्या इतिहास रहा है?

विधि व्यवसाय एक कठिन विषय है। इसकी भाषा एवं उपबंध अत्यंत कलिस्ट माने जाते हैं। विधि का अध्ययन कर पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, योग्य अनुभवी एवं प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही इसे आसानी से समझ सकते हैं, यही कारण है कि विधि का अपना एक अलग ही अध्याय है। जो व्यक्ति इसका अध्ययन करता है, वह व्यक्ति अधिवक्ता कहलाता है।

विधि व्यवसाय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने पक्षकार के पक्ष को प्रस्तुत करना तथा उसकी ओर से पैरवी करना है, विधि व्यवसाय लीगल प्रोफेशन कहलाता है। क्योंकि अधिवक्ता का यह एक तरह से व्यवसाय होता है और इसके लिए वह अपने पक्षकार से शुल्क प्राप्त करता है। विधि व्यवसाई को अधिवक्ता, एडवोकेट, वकील, प्लीडर आदि के नामों से जाना जाता है। विधि व्यवसाय से अभिप्राय मात्र न्यायालय परिसर का भ्रमण करने से नहीं है अपितु न्यायालयों में नियमित रूप से पैरवी करने से है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बालाजी एआईआर 2018. 1982 के अनुसार न्यायालयों में नियमित रूप से पैरवी अथवा प्रैक्टिस करना ही अधिवक्ता का कार्य है।

भारत में विधिक व्यवसाय की जड़ें अतीत की गहराइयों में छिपी है सामान्यत: भारत में इसका श्रीगणेश ब्रिटिश काल में माना जाता है, इससे पूर्व विधिक व्यवसाय जैसी कोई बात भारत में नहीं थी। हिंदू काल में इसका अस्तित्व नहीं था। क्योंकि राजा ही न्यायाधीश हुआ करता था। वहां किसी प्रकार की विधिक औपचारिकताएं नहीं हुआ करती थीं।

भारत में विधि व्यवसाय का विकास

(1) मेयर कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट: भारत में विधि व्यवसाय का आरंभ 1926 के चार्टर द्वारा प्रथम बार मेयर न्यायालयों की स्थापना के साथ माना जा सकता है। इन न्यायालयों में न्याय प्रशासन का संचालन एक सुनिश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता था। न्यायालयों का गठन एवं प्रक्रिया इंग्लैंड के न्यायालयों के समान थी। सन् 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तथा सन् 1774 के चार्टर द्वारा विधि व्यवसाय को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया गया। इन्हीं के अंतर्गत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी।

(2) कंपनी न्यायालयों में विधि व्यवसाय मेयर कोर्ट की स्थापना के साथ विधि व्यवसाय की शुरुआत हो गयी थी। लेकिन नियमित एवं व्यवस्थित स्वरूप में नहीं होने के कारण 1793 में एक रेगुलेशन पारित किया गया, जिसमें बंगाल में सदर दीवानी अदालत के लिए वकीलों को प्रथम बार सूचीबद्ध किया गया, कालांतर में सन् 1814 के बंगाल

रेगुलेशन में विधिक व्यवसाय के संबंध में कतिपय उपबंध किए गए जिन्हें सन् 1833 के रेगुलेशन द्वारा परिष्कृत किया गया।

(3) भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अधीन विधि व्यवसाय सन् 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, इस अधिनियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट एवं सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया, इस अधिनियम तथा अन्य छात्रों द्वारा उच्च न्यायालयों को वकील, अटॉर्नी, एडवोकेट आदि को सूचीबद्ध करने तथा अनुमोदित करने की शक्तियां प्रदान की गई। इन न्यायालयों में सूचीबद्ध व्यक्तियों को ही वकालत करने का अधिकार था।

(4) लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के अधीन विधि व्यवसाय विधि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए समय समय पर लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट पारित किए गए, जैसे- लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1846, लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1853, लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1793, 1846 के एक्ट के अनुसार केवल सूचीबद्ध वकील ही न्यायालयों में प्रैक्टिस कर सकते थे 1853 के एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नों तथा बैरिस्टर को कंपनी की सदर न्यायालयों में पैरवी करने की इजाजत प्रदान की गई। लेकिन भारतीय वकील सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं कर सकते थे, इस एक्ट द्वारा विधि व्यवसायियों को दो वर्गों में रखा गया था–

(१) **एडवोकेट** - एडवोकेट आयरलैंड या इंग्लैंड का बैरिस्टर या स्कॉटलैंड के प्लीडर संकाय का सदस्य होता था।

(२) **वकील** - वकील भारतीय विश्वविद्यालयों के विदेश के नागरिक हुआ करते थे।

(5) इंडियन बार काउंसिल एक्ट, 1926 के अधीन विधि व्यवसाय :-

सन् 1923 में सर एडवर्ड चामियार की अध्यक्षता में एक इंडियन बार कमेटी का गठन किया गया, इस कमेटी को सुझाव देने का काम सौंपा गया– बार का गठन एवं हाईकोर्ट के लिए अखिल भारतीय स्तर पर बार काउंसिल की स्थापना।

इस कमेटी द्वारा अनेक सुझाव दिए गए, कमेटी के सुझावों को लागू करने के लिए 1926 में इंडियन बार काउंसिल एक्ट पारित किया गया। मुफस्सिल कोर्ट में कार्य करने वाले वकील एवं मुख्तार इस एक्ट की परिधि में नहीं आते थे।

(6) स्वतंत्र भारत में विधि व्यवसाय को संगठित एवं व्यवस्थित स्वरूप स्वतंत्र भारत में मिला। सन 1951 में न्यायमूर्ति एस आर दास की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय विधिक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए –

(1) भारतीय विधिक परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया)

(2) राज्य विधिक परिषद (स्टेट बार काउंसिल)

कमेटी ने इन परिषदों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने की सिफारिश की गयी। इसी अनुक्रम में सन 1961 में अधिवक्ता अधिनियम (एडवोकेट एक्ट, 1961) पारित किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं की आचार संहिता, पंजीयन भारतीय विधिक परिषद, राज्य विधिक परिषद के बारे में विस्तृत व्यवस्था की गई है।

विधि व्यवसाय करने का अधिकार किसको है?

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है की विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्तियों का एक ही वर्ग होगा अर्थात अधिवक्ता। इससे स्पष्ट है की विधि व्यवसाय करने का हक केवल अधिवक्ताओं, एडवोकेट्स को ही है, अन्य किसी को नहीं, अधिवक्ताओं का विधि व्यवसाय करने को अधिकार केवल मात्र एक सामान्य विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं।

विधि व्यवसाय के लिए दो बातें आवश्यक है–पहला विधि स्नातक

होना तथा दूसरा अधिवक्ताओं की नामावली में नाम दर्ज होना।

अधिनियम की धारा 30 में यह उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज है वह उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में तथा किसी न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल अथवा साक्ष्य लेने हेतु विधिक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष या ऐसे किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के समक्ष जहां कोई अधिवक्ता तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए अधिकृत हो में विधि व्यवसाय करने का हकदार है।

उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह अपने समक्ष वकालत करने तथा कार्य करने हेतु नियम बना सकता है तथा वह वकालत करने की शर्तें भी तय कर सकता है। बलराज सिंह मलिक बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (ए आई आर 2012 दिल्ली 79) अधिनियम की धारा 33 में प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा, जिसका नाम इस अधिनियम के अंतर्गत अधिवक्ता नामावली में दर्ज न किया गया हो। अधिनियम की धारा 45 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अंतर्गत है, विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं है। किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा विधि व्यवसाय करता है तो उसका यह कृत्य अवैधानिक माना जाएगा और उसे 6 माह तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकेगा।

केस- विधि व्यवसाय के संबंध में (नीलगिरी बार एसोसिएशन बनाम टी के महालिंगम 1998 क्रिमिनल लॉ रिवीजन 247 एस.सी) का प्रकरण है, इसमें प्रार्थी के पास ना तो विधि व्यवसाय की उपाधि थी और ना ही उसका नाम अधिवक्ता के नामावली में अंकित था। फिर भी वह लगातार 8 वर्षों तक न्यायालयों में वकालत करता रहा, जब उसे अभियोजित किया गया तो उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया।

विचारण न्यायालय ने उसे दोषी सिद्ध ठहराते हुए परिवीक्षा (प्रोबेशन) का लाभ दिया। उच्च न्यायालय द्वारा भी परिवीक्षा के आदेश को यथावत रखा गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने प्रत्याशी को 6 माह के कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना जमा नहीं कराए जाने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया।

माननीय न्यायालय ने कहा कि विधि-व्यवसाय एक पवित्र एवं आदर्श व्यवसाय है। अधिवक्ताओं का समाज में विशिष्ट स्थान भी है, जनसाधारण में अधिवक्ताओं को आदर की दृष्टि से देखा जाता है ,ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाला कोई कार्य करता है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं रह जाता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कठोर दंड ही उचित दंड है। ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता की नामावली में बतौर अधिवक्ता नाम दर्ज करवा सकते हैं, जो विधि स्नातक है तथा किसी विश्वविद्यालय में विधि अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं (लक्ष्मी नारायण बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एआईआर 1999 राजस्थान 325) इस प्रकार का प्रकरण (परमानंद शर्मा बनाम बार कौंसिल ऑफ राजस्थान एआईआर 1999 राजस्थान 171) का है जिसमें ऐसे व्यक्ति को विधिज्ञ परिषद की नामावली में ऐसे व्यक्ति को बार बेच संबंध एवं मूट कोर्ट में प्रविष्ट कराने का हकदार माना गया है, जो केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन विधि अधिकारी के रूप में कार्यरत रहा हो।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विधि व्यवसाय करने के लिए उसका विधि स्नातक होने के साथ-साथ उसका अधिवक्ताओं की नामावली में नाम अधिवक्ता के रूप में दर्ज होना

चाहिए। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यवसाय, व्यापार या कारोबार में संलग्न है, वह विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है।

केस- इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रकरण डॉक्टर हनीराज एल चुतानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एआईआर 1996 एस.सी 2076 का है। इस मामले में अपीलकर्ता एक चिकित्सक था और वह अपना नाम अधिवक्ताओं की नामावली में प्रविष्ट कराना चाहता था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि विधि व्यवसाय एक पूर्णकालिक व्यवसाय है। अधिवक्ताओं को अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित होकर कार्य करना होता है उन्हें अपने पक्षकारों को पूरा समय भी देना होता है।अत: यह आवश्यक है कि कोई अधिवक्ता विधि व्यवसाय के अलावा अन्य कोई व्यवसाय करता है तो वह अपने पक्षकारों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा।

ऐसा ही एक अन्य प्रकरण है, जिसमें पक्षकार जो एसटीडी बूथ चला रहा है, को तब तक विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं माना गया जब तक वह एसटीडी बूथ को छोड़ नहीं देता (डॉक्टर साई बाबा बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया ए आई आर 2003 एस.सी 25021)

वकालतनामा न्यायालय में पैरवी करने के लिए वकालतनामा को आवश्यक माना गया है। वकालतनामा के अभाव में अधिवक्ता केवल न्यायालय की अनुमति से ही पैरवी कर सकता है (को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चरल बैंक लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक एआईआर, 2003 कर्नाटक 30)

विधि व्यवसाय की विशेषताएं :

यह एक स्वतंत्र एवं पवित्र व्यवसाय है। इसका विस्तार एवं कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जो व्यक्ति विधि व्यवसाय करता है, वह अधिवक्ता कहलाता है। इस व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य सेवा भावना है। इस व्यवसाय को करने वाले व्यक्तियों के समूह को बार कहा जाता है, बार एवं बेंच के बीच मधुर संबंधों की परिकल्पना की जाती है। इसमें दलाली अथवा भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। विधि व्यवसाई न्यायालय के अधिकारी माने जाते हैं।

निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि विधि व्यवसाय करने का अधिकार केवल अधिवक्ता वर्ग को ही है। अन्य किसी वर्ग को नहीं। इसके लिए अधिवक्ता ऐसा हो, जिसके पास विधि स्नातक की उपाधि हो एवं जिसका नाम अधिवक्ता की नामावली में दर्ज हो, क्योंकि विधि व्यवसाय एक पवित्र एवं आदर्श व्यवसाय है।

बिहारी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के नौवां महाधिवेशन में आए हुए सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं दिल्ली की धरती पर अभिनंदन।

संजय भाई

राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहारी वेलफेयर सोसाइटी

बिहार में नए अधिवक्ताओं की हालत बद से बदतर - जिम्मेवार कौन ?

जितेन्द्र कुमार
अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट
मो॰- 9471852600

1. नए अधिवक्ताओं को बैठने के लिए का कोई जगह नहीं
2. नए अधिवक्ताओं को AIBE परीक्षा के स्थान पर अभ्यास (प्रेक्टिस) करने के लिए जगह दी जाय
3. नए अधिवक्ताओं को आय का कोई साधन नहीं
4. अधिवक्ताओं को कोर्ट के द्वारा सुचारु रूप से कार्य नहीं करने नहीं दिया जा रहा है इस पर बैदिक मंथन हो

1. नए अधिवक्ताओं को बैठने के लिए कोई जगह नहीं:- न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को बैठाने को लेकर सबसे बड़ी समस्या है। अगर अधिवक्ता बैठेंगे नहीं तो खड़े होकर ठीक ढंग से काम कैसे कर पायेंगे इसके लिए बीसीआई और सरकार को जल्द से जल्द व्यवस्था करनी चाहिए

2. नए अधिवक्ताओं को AIBE परीक्षा के स्थान पर अभ्यास (प्रेक्टिस) करने के लिए जगह दी जाय :- न्यायालय में नए अधिवक्ताओं को बीसीआई के द्वारा 2-3 वर्ष अभ्यास (प्रेक्टिस) करने का समुच्चित व्यवस्था की जाए ताकि नए अधिवक्ता आकर इसमे ज्ञान प्राप्त कर जिससे AIBE की परीक्षा की जगह अभ्यास (प्रेक्टिस) का प्रमाण पत्र पा सके ताकि वरिष्ठ अधिवक्ता के पीछे पांच से सात वर्ष समय बर्बाद न हो सके और वह दो से तीन वर्ष में सिख कर स्वतंत्र रूप से अपने ढंग से न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से कर सके

3. नए अधिवक्ताओं को आय का कोई साधन नहीं :- न्यायालय में जब तक नये अधिवक्ता को अभ्यास का प्रमाण पत्र ना दिया जाए जब तक उसे प्रतिदिन आय खर्च के रूप में सरकार को कम से कम ₹500/- प्रति दिन दीया जाए

4. अधिवक्ताओं को कोर्ट के द्वारा सुचारु रूप से कार्य नहीं करने नहीं दिया जा रहा है, इस पर गहन मंथन हो :- न्यायालय में अधिवक्ताओ को कोर्ट के द्वारा सुचारु रूप से कार्य नहीं करने के कारण दिन प्रतिदिन न्यायालय पर भरोसा उठता जा रहा है कोर्ट में कोई भी कम ठीक काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है यहाँ तक कि न्यायालय के आदेश का पालन न ही न्यायालय के कर्मचारीगण कर पते है और न ही उस आदेश का पालन उचित ढंग से प्रसाशन के पदाधिकारीगण कर पते है जिससे खास कर नए अधिवक्ताओं को काफी कठनाई का सामना करना पड़ता है।

अधिवक्ताओं की मुख्य समास्याएं

वकालत का पेशा जितनी प्रतिष्ठा और पहचान से जुड़ा है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है । लॉ कालेज से कानून में स्नातक करने के बाद वकालत करने के लिए कचहरी परिसर में प्रवेश करते ही नए अधिवक्ताओं को कदम-कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी सबसे बड़ी समस्या बैठने की जगह और सीनियर के चयन को लेकर रहती है। जिससे शुरू के

पांच-सात वर्ष वकालत के पेशे में टिके रहना बहुत बड़ी चुनौती पूर्ण होती है। कई तो घबराकर इस पेशे को छोड़ भी देते हैं। बैठने की व्यवस्थित जगह, आर्थिक मदद, मार्गदर्शन और समय-समय पर प्रशिक्षण मिले तो नए अधिवक्ता खुद को स्थापित कर सकें। जिला बार एसोसिएशन व हाईकोर्ट में लाखो से अधिक अधिवक्ता हैं। बिहार में अनेको लॉ कॉलेज हैं। इनमें से कम से कम तीन से चार हजार नए अधिवक्ता हर साल वकालत के पेशे में आते हैं। पहले से वकालत पेशे में आए अधिवक्ताओं के बैठने के लिए स्थान की समस्या है। तथा सभी वकालतखाना भरे पड़े हैं। बड़ी संख्या में अधिवक्ता शेड के नीचे बैठते हैं। इसके अलावा पॉलीथीन का घेरा बनाकर तथा पेड़ के नीचे भी उन्हें बैठना पड़ता है। नए अधिवक्ताओं का कहना है कि उनके लिए कहीं कोई स्थान खाली नहीं दिखता है। इसमें वे जैसे-तैसे अपने लिए जगह बनाने की कोशिश में ही जुटे रहते हैं। हमारा मानना है कि जिला बार एसोसिएशन की ओर से औपचारिक रूप से सीनियर की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिससे यह पता नहीं चल पता है कि उनके यहां जूनियर या प्रशिक्षु अधिवक्ताओं के लिए रिक्तियां हैं या नहीं। उन्हें यह मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता कि वे किस सीनियर के साथ काम करें। इसके लिए कई लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है। दूसरी तरफ सीनियर अधिवक्ताओं के समक्ष भी समस्याएं कम नहीं रहती हैं। उनके पास पहले से ही कई जूनियर काम करते रहते हैं। उनके कक्ष या बैठने के स्थान पर इतनी जगह नहीं होती कि नए व प्रशिक्षु अधिवक्ताओं को अपने साथ सहजता से जोड़ें। उनके बीच प्रोफेशनल नेटवर्किंग भी नहीं होता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि नए व प्रशिक्षु अधिवक्ता लंबे समय तक भटकते रहते हैं।

हमारा कहना कहना है कि उनके लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। कानून के क्षेत्र में हो रहे बदलावों की जानकारी को लेकर समय-समय पर वर्कशॉप का आयोजन नहीं किया जाता है। जो कुछ सीखना होता है, ये अपने सीनियर से सीखते हैं। इसके अलावा अपने बल पर ही कानूनों के संबंध में जानकारी हासिल कर पाते हैं। कचहरी में ई-लाइब्रेरी भी नहीं है, जहां से कानून की किताबों का आसानी से अध्ययन कर सकें। विभिन्न कोर्टों के निर्णयों व फैसले की जानकारी भी इन्हें आसानी से नहीं हो पाती है। कचहरी परिसर में वाई-फाई की सुविधा नहीं होने से हाईस्पीड इंटरनेट सेवा एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इन अधिवक्ताओं को देश में न्यायिक व्यवस्था व कानूनों में होने वाले बदलावों की जानकारी देने के लिए सेमिनारों का भी आयोजन नहीं होता है। इससे वे देश में न्यायिक व्यवस्था में हो रहे बदलावों को जल्द समझ नहीं पाते हैं। इससे इनके पेशेवर कौशल का समुचित विकास नहीं हो पाता है। अधिवक्ताओं ने बताया कि कचहरी परिसर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। स्वच्छ पेयजल और साफ-सुथरा शौचालय की कमी है। महिला अधिवक्ताओं के लिए कॉमन रूम नहीं है। कचहरी परिसर में नाले का गंदा पानी बहता रहता है, जिससे बदबू आती है। इसी बदबू के बीच अधिवक्ताओं को काम करना पड़ता है। कई स्थानों पर कूड़ा जमा रहता है। इसकी नियमित साफ-सफाई नहीं होती है। बारिश होने पर परिसर में जगह-जगह जलजमाव हो जाता है। इससे कोर्ट में जाने में परेशानी होती है। कचहरी परिसर की मुख्य सड़क पर वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से आवागमन में कठिनाइयां होती हैं।

कोशी प्रमंडल के अधिवक्ता सुविधाविहीन...

रामलखन प्रसाद यादव
एडवोकेट सदस्य सबडिविजनल बार एसोसिएशन निर्मली, सुपौल
मो॰- 9431834412, 9006114688

राज्य के कोसी प्रमंडल सहरसा अंतर्गत 3 जिले में सहरसा, मधेपुरा और सुपौल है। इस प्रमंडल अंतर्गत 8 अनुमंडल है। सभी जिले और अनुमंडल को मिलाकर करीब 6800 अधिवक्तागण नामांकित हैं जबकि अधिवक्ता को बैठने और कार्य करने हेतु आवश्यकतानुसार न तो कहीं भवन है न जमीन। सहरसा जिला 01 अप्रैल 1954 को भागलपुर से कटकर स्थापित हुआ फिर 1972 में सहरसा को प्रमंडल के रूप में तब्दील किया गया उस समय कटिहार भी सहरसा प्रमंडल से ही संबंध था जब पूर्णिया प्रमंडल बना तब कटिहार जिला पूर्णिया प्रमंडल से संबंध हो गया। इधर जब 14.03.1991 को सुपौल और 09.05.1981 को मधेपुरा को सबडिवीजन से जिला में तब्दील किया गया तब लगा कि सहरसा प्रमंडल के लोगों को अब सुलभ और सस्ता न्याय मिलेगा लेकिन आवागमन की कुव्यवस्थित व्यवस्था के कारण इस प्रमंडल के सदर सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, 09 मई 1845 को मधोपुरा, उदाकिशुनगंज, 1862 ईस्वी में सुपौल, निर्मली, त्रिवेणीगंज, 01/12/1972 को वीरपुर, अनुमंडल में से कई अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय संचालित नहीं हो पाया जिस कारण सुलभ और सस्ता न्याय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार केवल कागज पर संस्थाएं बनाती रही है किंतु धारातल पर उसे रुप नहीं दे पा रही है नतीजा यही दिख रहा है कि 01/04/1991 को सुपौल जिला अंतर्गत कोसी नदी के पश्चिमी भाग में स्थापित निर्मली अनुमंडल के लोगों को अपने कमिश्नरी, जिला एवं अनुमंडल स्तरीय व्यवहार न्यायालय जाने आने में 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है जबकि कोसी नदी के कारण इस प्रमंडल के लोगों को विशेष सुविधा देना चाहिए। निर्मली अनुमंडल के 34 वर्ष से अधिक बीतने के बाद जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद अनुमंडल स्तरीय व्यवहार न्यायालय स्थापित और संचालित होने पर निर्मली विधिज्ञ संघ के तत्कालीन अध्यक्ष अधिवक्ता रामलखन प्रसाद यादव वर्सेस दी स्टेट ऑफ बिहार माननीय हाई कोर्ट पटना में CWJC 16148/2016 फिर एमजेसी 1235/2022 माननीय हाईकोर्ट में दायर किया जिसमें माननीय कोर्ट द्वारा कड़े आदेश पारित करते हुए 18 महीने के अंदर कोर्ट बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सुपुर्द करने का आदेश 4 अप्रैल 2024 को पारित किया गया। जिसका फलाफल आज देखने को मिल रहा है कि करीब 55 करोड़ की लागत पर 15 कोर्ट भवन, 12 न्यायाधीशों के लिए सरकारी स्तर से आवास बनकर तैयार है किंतु अभी तक जजों के पद सृजीत होने के बावजूद न्यायालय का शुभारंभ नहीं कराया गया है। आगे बताना चाहेंगे की कोशी प्रमंडल के तीनों जिला अंतर्गत करीब 6800 अधिवक्ता नामांकित हैं जिन्हें विधि व्यवसाय करने हेतु आवश्यकतानुसार वकालत खाना उपलब्ध नहीं है कई ऐसे न्यायालय जिसके पास वकालत खाना के लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं है जहां तक अधिवक्ताओं के हित का सवाल है तो वेलफेयर स्कीम आदि अधिवक्ताओं के कल्याण से संबंधित सुविधाओं से अधिवक्ता ससमय लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। बीएसबीसी पटना, बीसीआई नई

दिल्ली, विधि विभाग से संबंधित कार्य विभिन्न अधिवक्ता संघों के आकस्मिक निधान होने वाले सदस्यों के परिवार को एडवोकेट एक्ट, काउंसिल के रूल्स के अनुसार समय पर लाभांश निष्पादित नहीं हो पाता है। प्रमंडल के कई अधिवक्ता संघों को कल्याण कोष के बिक्री की जाने वाली टिकट का लाभांश नहीं मिल पा रहा है। बीते दिन अधिवक्ताओं की हत्याएं, झूठे और बनावटी केश में फंसाने से बचने के लिए राज्य और राष्ट्रीय बार काउंसिल को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता सहित उनके परिजनों का इंश्योरेंस, ट्रेन और बस में सुविधा आदि विभिन्न तरह के लाभ के लिए जो करना चाहिए नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उनकी प्रतिष्ठित संस्थानों के नेतृत्व में जब तक आंदोलन नहीं किया जाएगा तब तक राज्य अथवा केंद्र सरकार की आंखें नहीं खुलेगी और अधिवक्तागण जो दूसरे के झगड़े को सुलझाने के लिए कानूनी तौर पर पक्ष रखते रहे उसमें घाटे के शिकार होने वाले पक्षकार ही प्राय: अधिवक्ताओं के साथ घटना कर बैठते हैं। कोसी प्रमंडल सहरसा के अधिवक्तागण अपने राज्य और केंद्रीय काउंसिल से मांग करते हैं कि एडवोकेट की सुरक्षा, संरक्षा, कल्याण और व्यवसाय के लिए वकालत खाना की व्यवस्थित व्यवस्था अवश्य कराई जाए।

कानून की शिक्षा क्यों जरूरी?

सत्यविजय सिंह
विधि छात्र, जी.डी. गोइन्का विश्वविद्यालय

जैसे ही हम कानून शब्द को सुनते हैं दिमाग में अनेक बातें आने लगती हैं। चाहे वह सकारात्मक पक्ष हो या नकारात्मक। तथाकथित लोग यह कहते हुए पाये जाते हैं कि कानून के लफड़े में कौन पड़े? ये बात वकीलों, अदालतों एवं इससे सम्बंधित लोगों के लिए है। आज देश में सीमित संख्या में ही विधि महाविद्यालय हैं। जिससे कम संख्या में ही छात्रों को शिक्षा दी जा रही है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक एवं प्रगतिशील राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि अधिक-से-अधिक लोगों को कानून की सामान्य जानकारी रहे, तभी वे अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्त्तव्यों को भी समझेंगे।

वकालत की पढ़ाई केवल कैरियर के नियत से नहीं, बल्कि स्थापित व्यवस्था पर आम जनता के भरोसा बहाली हेतु की जानी चाहिए। यदि आप इस प्रयास का हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो इस काले कोर्ट में बहुत सी तस्वीर छुपी हैं।

हमारे देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका अपना काम अपने-अपने क्षेत्रों में करती हैं। परन्तु न्यायपालिका ही है जो अन्त में इनके क्षेत्रों का निर्धारण का फैसला सुनाती है। अब वकालत के मायने बदल चुके हैं। दिन-प्रतिदिन इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। यदि हम सभी इसमें भरोसा कायम करने का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कानून की पढ़ाई करें।

जहाँ तक कानून की पढ़ाई करने के बाद कैरियर का सवाल है, अनेक क्षेत्रों में हम सभी रास्ता चुन सकते हैं- जैसे न्यायिक सेवा विधिक राईटिंग, लॉ फर्म, शिक्षा (अध्यापन), सरकारी अधिवक्ता या निजी तौर पर वकालत पेशे से जुड़कर हम अपने कैरियर को संवार सकते हैं।

The Evolving Essence of Litigation: Ethics, Discipline and Modern Advocacy

Shubhangi Pandey

Advocate | Mob.: 7070810011

Litigation in India has always been more than a profession; it is a discipline shaped by ethics, endurance and an unwavering commitment to justice. As Justice Vivian Bose once wrote, "The highest of all virtues is the love of justice." For young lawyers entering the courts today, this virtue remains the guiding light, but the path has transformed remarkably from traditional advocacy to a hybrid era of digital, strategic and ethically conscious litigation.

From Traditional Court craft to Contemporary Practice

Historically, the courtroom was a place where persuasion came from oratory, memory, and rigorous reading of precedents. Senior advocates trained juniors by reminding them:

"The court may forget your words, but it remembers your conduct."

Traditional litigation nurtured patience—waiting hours for mentions, learning through observation, drafting with precision, and mastering the etiquette of addressing the bench. The fundamentals remain unchanged: clarity in pleadings, respect for the court, punctuality and integrity.

However, today's legal world demands not only these classical skills but also adaptability. The modern litigator must be fluent with e-filing, virtual hearings, digital evidence, electronic contracts, and AI-driven research tools. The shift from paper to paperless courts has made litigation faster but more demanding, requiring lawyers to remain technologically updated without compromising ethical foundations.

Skills Young Litigators Must Have Today

1. Research Mastery

The quality of submissions depends on thorough research. As Justice Krishna Iyer reminded us, "Law is not a brooding omnipresence in the sky; it lives in facts."

Young lawyers must not only know 'what the law is' but understand 'why it is'—its evolution, constitutional purpose, and judicial trends.

2. Drafting with Purpose

Drafting is the soul of litigation. A crisp, clear and legally precise draft reduces half the argument. Every petition should reflect logic, chronology, and legal grounds supported by authorities.

3. Courtroom Ethics

Ethics is the backbone of advocacy. Do not misstate facts. Do not suppress documents. Do not mislead the court. A lawyer's credibility is their greatest asset: once lost, it is rarely regained.

4. Emotional and Professional Discipline

Young litigants must cultivate patience, humility, and resilience. Litigation is marathons, not sprints. Prepare even when your matter is last on the list; learn from every argument, every objection, every order.

5. Technology Integration

From online research platforms to video conferencing hearings, today's lawyer must be a digital advocate. Maintain organized electronic files, prepare e-briefs, and familiarize yourself with cyber laws as digital evidence now appears in almost every case.

Ethics: The Eternal Foundation

In an age where speed sometimes overtakes substance, young lawyers must remember the timeless warning: "A lawyer's duty is to the court first, client second, and self last. "

Ethics is not optional; it is a constitutional obligation under the Advocates Act and professional conduct rules. Never pursue frivolous litigation. Do not exploit procedural loopholes. Justice must not only be sought—but dignified.

A Vision for Young Lawyers

Litigation today requires a blend of tradition and modernity. The ideal young lawyer is one who carries the discipline of the old courts and the skillsets of the new era. Learn continuously, argue fearlessly, prepare thoroughly, and maintain integrity always. In the words of Nani Palkhivala: "The greatest glory of the legal profession is that it helps translate the ideals of justice into the living law of the land." As young lawyers, we inherit this responsibility. Our generation must ensure that litigation does not merely resolve disputes—it must uphold justice, preserve constitutional values, and strengthen public faith in the judiciary.

इटावा हिन्दी सेवा निधि

संस्थापक - न्यायमूर्ति स्व० प्रेमशंकर गुप्त

संस्थापित : वर्ष 1993

दिनाँक : ....

संरक्षक
न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल

अध्यक्ष
डा० प्रेमशंकर त्रिपाठी (कोलकता)
मो० 9830613313

उपाध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार
अध्यक्ष-श्री बाँके बिहारी मन्दिर प्रबन्धन समिति, वृन्दावन, मथुरा,

महासचिव
प्रदीप कुमार
वरिष्ठ अधिवक्ता,
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
मो० 9415344125

अध्यक्ष - आयोजन समिति
दिलीप कुमार
वरिष्ठ अधिवक्ता,
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
मो० 9839052930
ई-मेल :
jaiprakashhighcourt@yahoo.com

संयोजक - आयोजन समिति
राज कुमार गुप्त
अधिवक्ता (इटावा)
मो० 9412184603
ई-मेल :
advrajk@gmail.com

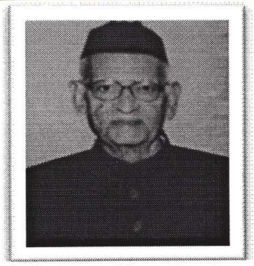

'हिन्दी गौरव' न्यायमूर्ति स्व० प्रेम शंकर गुप्त
न्यायाधीश के रूप में सेवाकाल
नवंबर,१९७७ — जुलाई,१९९२
वरिष्ठतम् न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में विशेष योगदान

पटना सत्र न्यायालय में आनन्दमूर्ति के अभियोजन के समय सी०बाई०आई०, विशेष अधिवक्ता के रूप में शासन का पक्ष केवल हिन्दी में प्रस्तुत किया था।

इटावा हिन्दी सेवा निधि की स्थापना हिन्दी गौरव सम्मान प्राप्त न्यायमूर्ति स्व० प्रेम शंकर गुप्त (अ०प्रा०) वरिष्ठतम न्यायाधीश ने वर्ष १९९३ में अपने जन्म स्थल, इटावा के नाम को जोड़ कर हिन्दी व भारतीय भाषाओं के उन्नयन व विकास के लिए की थी।

न्यायमूर्ति स्व० प्रेम शंकर गुप्त ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के न्यायाधीश के रूप में अपने सभी निर्णय जनभाषा हिन्दी—देवनागरी में समर्पण व संकल्प के साथ दिये थे। निधि ने वर्ष १९९३ से अब तक ३२ सारस्वत सम्मान समारोह के आयोजन हिन्दी व भारतीय भाषाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से किया है और समारोह का आयोजन इटावा शहर के इस्लामिया इण्टर कालेज के प्रांगण में किया जाता है। इस सामारोह में हिन्दी के शीर्ष साहित्य मनीषी व अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों द्वारा सामारोह में स्वयं उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया जाता है।

न्यायमूर्ति स्व० प्रेम शंकर गुप्त जनवाणी सम्मान के साथ **'गंगदेव सम्मान'** के अतिरिक्त **'डॉ० दुक्खन राम चिकित्सा—विज्ञान सम्मान'** व इसके साथ एक दर्जन से अधिक साहित्य से इतर हिन्दी व भारतीय भाषाओं को विकसित करने के लिए, विभिन्न सम्मानों से प्रतिवर्ष अलंकृत किया जाता है।

इस आयोजन में अब तक की बनी रही अनुसार, किसी राज्य के **महामहिम राज्यपाल** व **उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश** क्रमशः **मुख्य—अतिथि** व **समारोह—अध्यक्ष** के रूप में सामान्यतः पधारते है और उनके कर कमलों द्वारा साहित्य मनीषियों को सम्मान प्रदान किये जाते है।

इस वर्ष के **३३वें सारस्वत सम्मान—अलंकरण समारोह** में **मुख्य—अतिथि** के रूप में **मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायायल, भारत, न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी** ने **दिसम्बर,२०२५** के इटावा हिन्दी सेवा निधि के आगामी आयोजित होने वाले कार्यक्रम **में** पधारने की अपनी कृपा पूर्ण सहमति प्रदान की है। इसके लिए हिन्दी सेवा निधि उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करती है।

'इटावा हिन्दी सेवा निधि', 'अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के नई दिल्ली अधिवेशन' में पधारे सभी प्रतिनिधियों व अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करती है।

महासचिव निवास/न्यास कार्यालय : 'राप्रेम निलय' 17/1, न्याय मार्ग, अशोक नगर, प्रयागराज-211001
मो० : 9415344125, 7906934447 | ई-मेल : pradeephindiprem@gmail.com

प्रमुख कार्यक्रमों की मधुर स्मृति

प्रमुख कार्यक्रमों की मधुर स्मृति

BISHWANATH SINGH INSTITUTE OF LEGAL STUDIES

(A PREMIER LAW COLLEGE)

Affiliated to B.C.I., Delhi as well as Govt. of Bihar

Recognised under Munger University, Munger, Bihar

Laldarwaja, Munger-811201

(Estd. 1983)

Dr. Rajendra Prasad Gupta
President

Smt. Gita Rani
Secretary

Dr. Rajesh Kr. Mishra
Principal
(LL.M., Ph.D.)
Mob: 09431422586
Email: drrkmlbtb@gmail.com

"We share your dream to shape your future"
An Institute of reputed Legal field

B.S.I.L.S., Munger has been imparting legal Education and Training for the last 42 years.

Special features (3 Year LL.B. Course)

- Qualified and experienced teachers.
- Time to time visits of legal experts.
- Moot Court training.
- Seminars.
- Free legal advice.
- Debate and competitions.

"Be Guided By Those Who Got Through It"

CHANAKYA CLAT CLASSES

(Run & Managed by National Law Alumni)

CHANAKYA CLAT CLASSES PATNA SINCE-2010

CHANAKYA CLAT CLASSES VARANASI SINCE-2010

12 Years of trust

CLAT / AILET

OTHER LAW ENTRANCE

KANKARBAGH: B-26, Sachiwalaya Colony Kendriya Vidhyalaya Road Infront of Janki Hospital, Patna

BORING ROAD: 3rd Floor, Kumar Tower, Boring Road, Chauraha Near V-Mart, Patna

S.P. VERMA ROAD: 1st Floor, Sukirti Complex S.P. Verma Road, Patna

VARANASI: 3rd Floor, Shiva Complex Rathyatra Crossing Varanasi

Call Now: 9471055055, 9716104530, 7766050268, 9570417710

Web.: www.chanakyaclatclasses.com

NAWADA VIDHI MAHAVIDYALAYA

NAWADA (BIHAR)

ACCREDITED WITH GRADE B NAAC

An ISO Certified Institution 21001:2018

Recognized by BCI New Delhi, Permanently Affiliated to Magadh University, Bodh-Gaya, Approved by Govt. of Bihar, Patna.

ADMISSION NOTICE 2025-26

Application for admission in Part 1st B.A. LL.B (5 Years), B.B.A LL.B (5 Years), LL.B (3 Years) & LL.B (Hons) for the session 2025-26 are invited on few vacant & reserved seats as per the norms of BCI. New Delhi & Govt. Of Bihar (Patna)

Proposed Courses

LL.M, B.B.A & B.Lis

Two days international seminar Topic on "The Legal Landscape of Artificial Intelligance in Global South" going to be organised on 7th & 8th Dec-25 at Campus-II (Sanokhara)

Running Courses

B.A. LL.B (5 Years), B.B.A LL.B (5 Years) LL.B & LL.B (Hons) (3 Years)

Bus facility available in Town service, equipped by CCTV & Wi-Fi facility.

Contact us on Email: nvmnawada@gmail.com, or visit our website: www.nawadavidhi.ac.in

Phone No-06324 212205, 212206, 295054, 295055,

Mob No : 9939447474, 7667204644, 8083880786, 9065457964, 8340686180

Dr. D.N. Mishra, Principal | Mob No: 9431224775

मीडिया की नजरों में

BREAKING NEWS

दैनिक भास्कर | 18-Nov-2019 Page 4

अधिकार के लिए एकजुट • राजगीर में सम्पन्न हुआ अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का तीसरा राष्ट्रीय महाधिवेशन

संसद और राज्य विधानमंडलों में अन्य वर्गों की तरह अधिवक्ता निर्वाचन क्षेत्र का गठन करने की मांग उठी

सम्मेलन में जोर-शोर से उठा ज्यूडिशियल अकादमी की तरह एडवोकेट अकादमी बनाने की मांग

वकीलों का काम है अपनी बातों को मजबूती से रखना, बेल देना या नहीं देना जज पर निर्भरः राजनीति प्रसाद

पटना के बापू सभागार में होगा बड़ा सम्मेलन

सम्मानित किये गये वकील

आयोजन • अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की विचार गोष्ठी में जुटे राज्य के बड़े कानूनविद्

न्यायिक व्यवस्था में कई सुधार की जरूरत ताकि न्याय पाने से वंचित नहीं हो सकें लोग

न्याय पाने वाले, दिलाने वाले व देने वाले की समस्या पर चर्चा

सेमिनार में शामिल अधिवक्ता।

15 सूत्री मांगों पर काम कर रही समिति

कई का किया गया मनोनयन

अभियान चला अधिवक्ता कल्याण समिति ने बनाये सदस्य

बिहारशरीफ (एसएनबी)। हिलसा कोर्ट में प्रदेश महामंत्री रणविजय सिंह एंव नालन्दा शखा सचिव संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का सदस्यता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता व प्रदेश महामंत्री रणविजय सिंह ने बताया कि सम्पूर्ण भारत में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं को एक सूत्र में बांधना है। संगठन को मजबुत कर अधिवक्ताओ के समस्याओ के साथ समाज व देश के समस्याओं का भी समाधान करना है। इस अवसर पर हिलसा कोर्ट में कई अधिवक्ताओ ने समिति का सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालो मे वरीय अधिवक्ता नगिना यादव, राकेश शैशन, प्रवीण कुमार, कलिन्द्र यादव, अमरदीप भारती, ब्रज लाला, रविन्द्र कुमार व अन्य मौजुद थे। मौके पर नालन्दा जिला सचिव संतोष कुमार सिंह ने कहा होली के वाद हिलसा कोर्ट में बैठक कर समिति का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व कार्यकारिणी समिति के सदस्दयो का चुनाव करा दी जायेगी।

सदस्यता ग्रहण कराते समिति के प्रदेश महामंत्री रणविजय सिंह व अन्य।

गोपालगंज के अधिवक्ता की हत्या की निंदा

पटना | अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के महामंत्री रणविजय सिंह ने गोपालगंज के अधिवक्ता राजेश पांडेय के न्यायालय आने वक्त गोली मारकर की गई निर्मम हत्या की तीव्र भर्त्सना करते हुए हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी, त्वरित जांच एवं स्पीडी ट्रायल कर हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने दिवंगत अधिवक्ता के आश्रितों को पचास लाख रुपए का मुआवजा, एक को सरकारी नौकरी एवं शेष की प्रतिष्ठापूर्वक आजीविका की व्यवस्था करने भी मांग की है। समिति ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम अविलंब लागू करने की भी मांग की है।

स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश शुक्ला को मिला 'अधिवक्ता रत्न' सम्मान

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के महामंत्री को सम्मानित करते धर्मनाथ यादव व अन्य।

सिटी रिपोर्टर • जमशेदपुर

बिष्टुपुर स्थित गुजराती सनातन समाज सभागार में सोमवार को अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति ने स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन व अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के महामंत्री राजेश कुमार शुक्ल को अधिवक्ता रत्न से सम्मानित किया। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन धर्मनाथ प्रसाद यादव ने यह सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अनिल कुमार महतो, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पूर्व सदस्य प्रकाश कुमार झा सहित उत्तरप्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल, और ओडिशा की काउंसिल के सदस्य उपस्थित थे। मालूम हो कि राजेश शुक्ल को झारखंड और बिहार के अधिवक्ताओं के लिए किए गए कल्याणकारी कार्य के लिए अधिवक्ता रत्न से सम्मानित किया गया है।

8 | www.newispatmail.com | न्यू इस्पात मेल | सिटी | आदित्यपुर-जमशेदपुर, रविवार, 27 नवंबर, 2022

भारतीय संविधान के मूल तत्वों को समझने और अनुपालन की जरूरत : अनिल मिश्र

संविधान दिवस पर जयप्रकाश ने पढ़ी प्रस्तावना

संविधान हमारी आस्था की पुस्तक के समान : जयप्रकाश

वकीलों के बीच बांटा गया सेनेटाइजर

बिहारशरीफ। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति द्वारा नालंदा जिला अधिवक्ता संघ परिसर में सेनेटाइजर का वितरण किया गया। कार्यक्रम में समिति के प्रांतीय महामंत्री रणविजय सिंह की देखरेख में हुआ।

मीडिया की नजरों में

BREAKING NEWS

सजग हो भूमिका निभायें वकील, देश स्तर पर बने अधिवक्ताओ की समन्वय समिति : धर्मराज प्रसाद यादव

वकील सजगता से निभाएं भूमिका : जिला जज

महाधिवेशन

राजगीर | निज संवाददाता

अधिवक्ताओं को समाज के प्रति अपनी भूमिका सजग होकर निभानी होगी। न्याय हित के लिए काम करना होगा। न्याय व्यवस्था को बनाये रखना होगा। ये बातें जिला सत्र न्यायाधीश श्याम किशोर झा ने रविवार को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के तीसरे महाधिवेशन में कहीं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का समाज के प्रति काफी दायित्व होता है। वे न्याय दिलाने में अहम रोल निभाते हैं।

समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मराज प्रसाद यादव ने कहा कि पूरे भारत में अधिवक्ताओं की समन्वय समिति बने। इससे सभी एक होकर अपने हित के लिए बात कर सकेंगे। आजादी के बाद भी भारत का अपना स्वतंत्र कानून नहीं बन सका है। अंग्रेजों के बनाये कानून को ही हम मानते आ रहे हैं। मौजूदा व्यवस्था में कानून एक महज ट्रांसफर ऑफ पावर बनकर रह गया है। अधिवक्ताओं को इसके लिए पहल करनी होगी।

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के तीसरे महाधिवेशन में कार्यक्रम प्रस्तुत करती बच्ची। • हिन्दुस्तान

मौके पर महाधिवेशन के संयोजक सह अखिल भारतीय कल्याण समिति के प्रांतीय महामंत्री रणविजय सिंह, वीरायतन की संस्थापिका आचार्य चंदना जी महाराज, पूर्व सांसद राजनीति प्रसाद, बार काउंसिल के सदस्य मुरारी कुमार हिमांशु, योगेश चन्द्र वर्मा, शेखपुरा जिला विधिक संघ के संयुक्त सचिव मनोज कुमार मन्नू, महासचिव विनोद कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष चन्द्रमौली प्रसाद, प्रदेश संगठन मंत्री दीपक कुमार सिन्हा, जिला महामंत्री संतोष कुमार, इंदिरा गुप्ता, छात्र स्मिता कुमारी, विश्वनाथ प्रसाद, अमित कुमार पासवान सहित अन्य मौजूद थे। इससे पहले समारोह का उद्घाटन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मराज प्रसाद यादव, वीरायतन की साध्वी आचार्य चंदना जी, जिला सत्र न्यायाधीश श्याम किशोर झा ने संयुक्त रूप से किया।

सोशल इंजीनियर की पहचान है वकीलों की

श्री यादव ने कहा कि अधिवक्ता चौतरफा घिरा होता है। समिति 26 नवम्बर को स्थापना दिवस मनाती है। इसी दिन देश पर आतंकी हमला हुआ था। इसे हटाने में काफी परेशानी हुई थी। उसके बाद ही समिति इस दिन को समाज में पनप रही कुरीतियों व गलत मंशा रखने वाले लोगों को हटाने के लिए स्थापना दिवस मनाने लगी है। अधिवक्ता प्रजातंत्र की रीढ़ है। समाज में इनकी सोशल इंजीनियर की पहचान है। हालांकि, अभी तक अधिवक्ता इन बातों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं।

क्या हो हमारी भूमिका

समाज में अधिवक्ताओं की भूमिका क्या हो यही सम्मेलन का उद्देश्य है। सरकार व न्यायपालिका की उदासीनता के कारण अधिवक्ताओं का अधिकार छिनता जा रहा है। सरकार अधिवक्ताओं की वजूद समाप्त करने में लगी है। इससे पहले आवासीय मगध पब्लिक स्कूल की छात्रा आकांक्षा, शबनम, ज्योति, स्नेहा, सपना ने आओ-आओ हे प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है... गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया।

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के तीसरे महाधिवेशन में उपस्थित लोग।

कमजोर लोगों की आवाज बनें वकील : आचार्य चंदनाजी

राजगीर | निज संवाददाता

अखिल भारतीय कल्याण समिति के महाधिवेशन में समाज में अधिवक्ताओं की भूमिका पर चर्चा हुई। लोगों ने कहा कि अधिवक्ता कमजोरों की आवाज बनें। समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए आगे आयें। वीरायतन की संस्थापिका आचार्य चंदना जी महाराज ने कहा कि संसार का परमात्मा ईश्वर है।

उसी तरह धरती का परमात्मा अधिवक्ता होते हैं। ये अगर सच्चा न्याय कराने में गरीबों को मदद करें तो ये समाज के प्रति उनकी सबसे बेहतर दायित्व होगा। समाज के प्रति उनका यही काम होना चाहिए। इनसे यही अपेक्षा लोगों को रहती है। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के प्रांतीय महामंत्री सह अधिवेशन के संयोजक रणविजय सिंह ने कहा कि न्याय दिलाने में जिस तरह से अधिवक्ता का योगदान होता है उसी तरह पत्रकारों का भी अहम रोल होता है। पत्रकारिता जगत में बेहतर काम करने वाले पत्रकारों के साथ 50 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले, 25 वर्ष तक बार काउंसिल में सेवा देने वाले अधिवक्ताओं को समिति सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा कि अगले साल वर्ष 2020 में पटना के बापू सभागार में अधिवेशन होगा। समिति ने यह निर्णय लिया है कि लगातार सेवा देने वाले अधिवक्ताओं को अधिवक्ता रत्न से नवाजा जायेगा। इसके लिए अधिवेशन के दौरान 12 अधिवक्ताओं का नाम चयन किया गया। इसमें सीताराम सिंह, गणपति मंडल, उपेन्द्र प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद, उपेन्द्र जायसवाल, रामकुमार शर्मा, ललितेश कुमार सिंह, इन्दु बिहारी दत्ता, श्रीचन प्रसाद सहित अन्य शामिल हैं।

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के तीसरे महाधिवेशन में भाग लेते आचार्य चंदना जी, जिला सत्र न्यायाधीश श्याम किशोर झा, समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मराज प्रसाद यादव व अन्य।

एडवोकेट एकेडमी की हो स्थापना

पूर्व सांसद राजनीति प्रसाद ने कहा कि जिस तरह से न्यायाधीशों के लिए जुडिशियल कमेटी बनी है उसी तरह अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट कमेटी का गठन होना चाहिए। अधिवक्ता अधिकारिक रूप से बोलने वाले को कहा जाता है। वकील ठेकेदार की तरह काम न करें। धीरज से काम लें।

अधिवक्ता गेस्ट हाउस

स्टेट बार काउंसिल के सदस्य मुरारी कुमार हिमांशु ने कहा कि गया में जल्द ही अधिवक्ताओं के लिए गेस्ट हाउस बनेगा। इसी तरह से पूरे देश में जिलास्तर पर गेस्ट हाउस होना चाहिए।

संविधान की रक्षा करनी होगी

बार काउंसिल के सदस्य योगेश चन्द्र वर्मा ने कहा कि समाज के लीडर के रूप में वकील जाने जाते हैं। उनके कल्याण के लिए जो स्कीम चलायी जाती है या उन्हें मेडिकल स्कीम दी जाती है वह कम है। संविधान खंडित किया जा रहा है। एक खास पक्ष के ऊपर बोलने पर लोगों के ऊपर केस कर दिया जाता है। लोगों से स्वतंत्रता पर चोट की जा रही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। इन लोगों के खिलाफ अधिवक्ताओं को एक होकर आगे आना होगा। मौके पर रामचरित्र प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद, अमित कुमार पासवान, मनोज कुमार मन्नू, चन्द्रमौली प्रसाद, विनोद कुमार सिंह, उपेन्द्र प्रसाद सहित अन्य मौजूद थे।

रणविजय सिंह को मिली अधिवक्ता रत्न की उपाधि

अधिवक्ता रत्न की उपाधि के साथ बसवन बिगहा के रणविजय सिंह।।

गौरव

मान बढ़ाया

- बसवन बिगहा के रणविजय को मिली अधिवक्ता रत्न की उपाधि
- पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता रहते विधि विमर्श

बिहारशरीफ | निज संवाददाता

बिहारशरीफ प्रखंड के बसवन बिगहा निवासी रणविजय सिंह को अधिवक्ता रत्न की उपाधि मिली है। वे लंबे समय से पटना हाईकोर्ट में बतौर अधिवक्ता कार्यरत हैं। इस दौरान उन्होंने विधि विमर्श पत्रिका का संपादन भी किया है। वे समाजसेवा से जुड़े रहे हैं। इसके लिए उन्हें यह उपाधि दी गयी है।

अधिवक्ताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन में न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा, बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन रामाकांत शर्मा, पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा, बिहार के विधि और न्याय मंत्री प्रमोद कुमार, बिहार स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव व झारखंड बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल समेत कई प्रांतों से फिजिकल व वर्चुअल तरीके से सैकड़ों अधिवक्ता इसमे उपस्थित थे।

रणविजय अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के महामंत्री रहकर पांच वर्षों से संगठन को मजबूती देने मे लगे हैं। इस उपाधि के लिए नालंदावासियों ने उन्हें बधाई दी है। इनके पिता सिकंदर यादव भी समाजसेवा से जुड़े रहते हैं।

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की बैठक

मुंगेर | नगर संवाददाता

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम चरित्र प्रसाद की अध्यक्षता में मुंगेर शाखा की बैठक होटल राजहंस में सम्पन्न हुई। इसमें समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार स्टेट बार कॉउंसिल के उपाध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव के आलावा प्रांतीय महामंत्री रणविजय सिंह, संगठन प्रांतीय मंत्री दीपक प्रसाद सिन्हा तथा राष्ट्रीय विधि छात्रा कोषांग के अध्यक्ष स्वाति कुमारी ने भाग लिया

समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समिति के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि न्याय पाने वाले, न्याय देने वाला एवं न्याय दिलाने वाले की समस्याओं के समाधान के लिए समिति सकारात्मक पहल कर रही है। समिति ने अपने 25 सुत्रीय मांगो को चरणबद्ध तरीका से मनवाने के लिए कि गई संघर्ष के संबंध में चर्चा की। जिसमें महत्वपूर्ण मांग में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, अधिवक्ता वर्ग के लिए बजटीय प्रबंधन आदि लागू करवाने की दिशा में पहल करनें एवं उसके लिए वकीलों को संगठित होने का आह्वान किया है। मौके पर मुंगेर जिला समिति के संयोजक पद पर अनील भूषण को मनोयान किया गया। बैठक में विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष व वरीय अधिवक्ता भागवत प्रसाद महतो, महासचिव अमित कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष चन्द्रभानु साहू, बार कॉउंसिल के सदस्य रामचरित्र प्रसाद में मौजूद थे।

बैठक में मौजूद अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व अन्य। • हिन्दुस्तान

जेल जाने वाले अधिवक्ता सम्मानित

औरंगाबाद | हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

अधिवक्ताओं के लिए हुए आंदोलन में जेल जाने वाले जिले के अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र, शॉल और माला देकर सम्मानित किया गया। अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह, नरेंद्र कुमार, अरविंद कुमार, बृजा प्रसाद सिंह, सूर्यमल शर्मा, देवेंद्र कुमार धक्कड़, सत्येंद्र कुमार सिंह, प्रयाग प्रसाद, तिलक यादव, कृष्ण विजय प्रसाद सिंह, हीरा प्रसाद सिंह, इंद्रदेव सिंह, हरिनाथ उपाध्याय, परशुराम सिंह, राम किशोर सिंह, अरुण कुमार सिंह, सरयू प्रसाद सिंह को सम्मानित किया गया। बतौर अधिवक्ता 50 वर्ष पूर्ण कर चुके विष्णु प्रसाद शर्मा, रवींद्र कुमार, राजनंदन सिंह, बागेश्वरी प्रसाद, नागेश्वर प्रसाद सिंह, कुमार योगेंद्र नारायण सिंह, सूर्य नारायण सिंह, उदय कुमार सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, शिवनंदन प्रसाद सिंह, रामनरेश प्रसाद, त्रिभुवन सिंह, रामकिशोर सिंह और अधिवक्ता रामेश्वर प्रसाद सिंह को सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिप अध्यक्ष नीतू देवी, अध्यक्ष प्रतिनिधि डा. संजय कुमार यादव, राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू, कन्हैया लाल जैन, सिद्धेश्वर विद्यार्थी को सम्मानित किया गया। विभिन्न लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों को यहां सम्मानित किया गया।

कई लोगों को मिली बड़ी जिम्मेवारी

मगध प्रमंडलीय सम्मेलन में कई लोगों को जिम्मेवारी सौंपी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव ने इसकी घोषणा की। अरवल अध्यक्ष के रूप में भिखारी सिंह को मनोनीत किया गया। अरवल जिला के संघर्ष समिति संयोजक विद्यासागर बनाए गए। दाउदनगर संघर्ष समिति संयोजक रामदेव यादव और अध्यक्ष देवनंदन सिंह बनाए गए। औरंगाबाद में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के युवा अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह बनाए गए जबकि संघर्ष समिति के संयोजक विनय कुमार श्रीवास्तव बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब कभी आंदोलन की रणनीति बनेगी तो संघर्ष समिति के संयोजक उस पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चंपारण सत्याग्रह की तरह औरंगाबाद से अधिवक्ताओं के हित में संघर्ष शुरू किया जा रहा है।

अधिवक्ताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन राजगीर में होगा

बिहारशरीफ। वकीलों की समस्या व उसके विकास को लेकर 17 नवंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन होगा।

सम्मेलन राजगीर के कन्वेंशन हॉल में होगी। अधिवक्ता कल्याण समिति इस सम्मेलन में अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याओं व उसके निदान के साथ ही विकास की रणनीति तय करेगी। समिति के प्रदेश महामंत्री रणविजय सिंह ने अधिवक्ता संघ भवन में बैठक में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के पहले 12 अगस्त को झारखंड के टाटा व्यवहार न्यायालय में वकीलों का राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। राष्ट्रीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित बार काउंसिल ऑफ इंडिया व स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन और कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे। बैठक में समिति के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन से वकीलों के विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

आयोजन • 20 दिसम्बर को पटना में होगा अधिवक्ता कल्याण समिति का महाअधिवेशन

अधिवक्ताओं की समस्याओं पर होगी चर्चा

लीगल रिपोर्टर | बिहारशरीफ

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का चौथा महाधिवेशन पटना में होगा। महाधिवेशन की तैयारी को लेकर शनिवार को बिहारशरीफ कोर्ट परिसर स्थित अधिवक्ता संघ भवन में समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने की। समिति के सदस्यों ने आयोजन की सफलता व अधिक से अधिक अधिवक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। बैठक में पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता व समिति के प्रांतीय महामंत्री रणविजय सिंह ने बताया कि समिति का चर्तुथ महाधिवेशन 20 दिसम्बर को बिहार स्टेट बार काउंसिल सभागार, पटना में आयोजित की गई है। जिसमें बिहार सहित आस-पास के राज्यो से भी प्रतिनिधि भाग लेगें। इसके पूर्व राजगीर में महाधिवेशन हुआ था। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव एवं राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कुमार शुक्ला के निर्देश पर सभी पदाधिकारीगण महाधिवेशन की तैयारी मे जुट गये है। प्रांतीय महामंत्री ने नालंदा से ज्यादा से ज्यादा अधिवक्ताओ को कार्यक्रम में शिरकत करने की अपील की। उन्होंने बताया कि महाधिवेशन में अधिवक्ताओं की ज्वलंत समस्याओं के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका पर भी चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय मे सूबे के अधिवक्ताओं को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

जिले से 300 अधिवक्ता होंगे शामिल

जिला महामंत्री सतोष कुमार सिंह ने नालंदा से 300 अधिवक्ताओं के महाधिवेशन में शामिल होने की बात कही। उन्होंने कहा कि महाधिवेशन को ऐतिहासिक बनाने के लिए जिले के अधिवक्ता बढ़चढ़ कर सहयोग करेंगे। बैठक में कार्यक्रम की सफलता के लिए एक कमिटी का गठन किया गया। कमिटी में शामिल सभी लोगों को आयोजन से सम्बंधित जिम्मेवारी दी गई। । बैठक में कृष्णा प्रसाद, अमरदीप भारती, झुलन यादव, धंनजय कुमार, शंभू कुमार करयप, रवि कुमार, कंचना भारती, विजय दास, विनोद कुमार, कन्हैया कुमार, सुनील कुमार, साधना सिन्हा, नेहा कुमारी, जगदीश प्रसाद सहित समिति के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने विचार व सुझाव दिए।

बार काउंसिल में स्टाफ और वकीलों को मास्क दिया गया

पटना | अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति ने बिहार स्टेट बार काउंसिल में स्टाफ व वकीलों के बीच मास्क और सेनेटाइजर का वितरण किया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव व प्रांतीय महामंत्री रणविजय सिंह ने इसे बांटा। उन्होंने सबको कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। इसमें नागेंद्र प्रसाद यादव, राजकुमार राजेश, डॉ. मधुसूदन राय, श्वेता कुमारी, राजीव रंजन, दीपक प्रसाद सिन्हा, शंभु शरण शर्मा, रामकिंकर चौबे, शिवानंद गिरी आदि की भी हिस्सेदारी रही।

BREAKING NEWS

آل انڈیا ایڈوکیٹس ویلفیئر کمیٹی کا ایک روزہ اجلاس

مظفر پور، آصف رضا: مظفر پور، وکلاء، ججوں اور موکلوں کے مسائل اور ان کے حل کے سلسلے میں آل انڈیا ایڈوکیٹس ویلفیئر کمیٹی کا آٹھواں سالانہ کنونشن مظفر پور ڈسٹرکٹ آڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔ معززین میں پٹنہ ہائی کورٹ کے جسٹس انیل کمار سنہا، کمیٹی کے قومی صدر اور سابق نائب صدر بہار اسٹیٹ بار کونسل دھرماناتھ پرساد یادو، سینئر وکیل وندھیا کشری کمار، یوگیش چندر ورما، ججز سیل کے قومی صدر، پٹنہ کے سابق جسٹس شامل ہیں۔ ضلع دامودر پرساد، جوڈیشری ریزرویشن موومنٹ کے قومی صدر اور پٹنہ ہائی کورٹ کے آئینی ماہر ایڈوکیٹ ارون کشواہا، کمیٹی کے سینئر لیڈر۔ رنو جے سنگھ، مدھوسودن پرساد، خزانچی سویتا کماری، اسٹینڈنگ کونسل ناگیندر پرساد یادو، ترہوت ڈویژن یوتھ فنڈ کے صدر ایڈوکیٹ رجنی کانت، مہیلا فنڈ کی صدر ڈاکٹر سنگیتا شاہی، یوتھ فنڈ جنرل سکریٹری دنیش راوت، ترہوت ڈویژن کے جنرل سکریٹری مہیندر پرساد سنگھ، ترہوت ڈویژن خزانچی سدھیر کمار اوجھا، سینئر ایڈوکیٹ رام شرن سنگھ سمیت تمام وکلاء، نکاتی مطالبات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسی پروگرام کے لیے شکریہ کا ووٹ کمیٹی کے ڈویژنل چیئرمین امیش پرساد سنگھ نے دیا۔ ملک کی کئی ریاستوں کے لوگوں نے ورچوئل موڈ میں کانفرنس میں حصہ لیا۔ جس میں متفقہ طور پر قرارداد منظور کرتے ہوئے درج ذیل 26 نکاتی مطالبات کی بھرپور حمایت کی گئی۔ یہ ان کا مطالبہ ہے 1. ایڈووکیٹ پروٹیکشن ایکٹ کا نفاذ 2. بار کونسل کا آڈٹ کرایا جائے۔ 3. وکلاء کی پنشن سکیم کو نافذ کریں۔ 4. پنشن کے امیدواروں کی 10 ہزار درخواستیں نمٹائی جائیں۔ 5. کالجیم سسٹم کو ختم کیا جائے اور آل انڈیا جوڈیشل سروس کمیشن بنایا جائے۔ 6. عدالت میں وکلاء کے لیے میڈیکل انشورنس اور آیوشمان کارڈ لاگو کیا جائے۔ 7. وکالت کی موت کے فائدہ کی حد کم از کم 25 لاکھ روپے کی جانی چاہیے۔

'अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो'

अधिवेशन

शनिवार को मुजफ्फरपुर जिला सभागार अधिवक्ता कल्याण समिति के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करते न्यायाधीश व अन्य।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। 'वकील, जज एवं मुव्वकिलों की समस्या एवं समाधान' को लेकर अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का 8वां वार्षिक अधिवेशन शनिवार को मुजफ्फरपुर जिला सभागार में हुआ। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा भी शामिल हुए।

सम्मेलन में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, बार कांसिल का ऑडिट, वकीलों की पेंशन योजना, पेंशन अभ्यर्थियो के 10 हजार आवेदनों का निपटरा, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का निर्माण, वकीलों के लिए मेडिकल बीमा एवं आयुष्मान कार्ड लागू करने और अधिवक्ताओं के मृत्यु लाभ की सीमा कम से कम 25 लाख करने के अलावा 26 सूत्री की मांगें उठाई गई। अधिवेषण में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव, वरीय अधिवक्ता विन्ध्यकेशरी कुमार, योगेश चन्द्र वर्मा, न्यायाधीश प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना जिला के पूर्व न्यायाधीश दामोदर प्रसाद, न्याय पालिका आरक्षण आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पटना उच्च न्यायालय के संविधान विशेषज्ञ अधिवक्ता अरूण कुशवाहा सहित अन्य थे।

भारत संघ की राजभाषा हिंदी की सर्वोच्च विजय — सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी हिंदी में तैयार सिविल दाखिला स्वीकार किया

मेरी विनम्र अपील- यह संघर्ष किसी एक अधिवक्ता का नहीं, बल्कि भारत की लगभग 150 करोड़ जनता के भाषिक सम्मान का संघर्ष है। मैं चाहता हूँ कि यह संदेश पूरे राष्ट्र तक पहुँचे कि अब हिंदी न्यायपालिका के दरवाजे पर नहीं रुकेगी। अब हिंदी न्यायालय में प्रवेश कर चुकी है। अभी तक मैं 22 बार विभिन्न मामलों में हिंदी में ही मैंने दाखिल किया है।

इंद्रदेव प्रसाद
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
सदस्य, एडवोकेट्स एसोसिएशन

अधिवक्ता इंद्रदेव प्रसाद के संवैधानिक संघर्ष ने न्यायपालिका में हिन्दी को दिया ऐतिहासिक दर्जा

यह मामला बीसीआई परिवाद पत्र संख्या 1/2025 - महाधिवक्ता कार्यालय बिहार बनाम इंद्रदेव प्रसाद से जुड़ा है। इस आदेश के विरुद्ध मैंने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 38 के अंतर्गत अपील पूरी तरह भारत संघ की राजभाषा हिंदी में तैयार की।

सुप्रीम कोर्ट ने इसे तीन बार यह कहकर डिसएप्रूव्ड किया–

The language of the Supreme Court is English.

लेकिन इन्होंने इसे हिंदी का अपमान,
और करोड़ों भारतीयों की मातृभाषा को न्यायालय के दरवाजे पर रोकने का प्रयास माना।
इसी भावना से इन्होंने– बार-बार आवेदन हिंदी में दाखिल किए।फं
अंग्रेजी अनुवाद देने से साफ इनकार किया हिंदी विरोधी नियमों की संवैधानिक आलोचना की और संघर्ष जारी रखा।
अंततः सुप्रीम कोर्ट को इनकी हिंदी अपील स्वीकार करनी पड़ी।
इस मामले का डायरी नंबर है: 64475/2025।
इंद्रदेव प्रसाद के अनुसार- यह निर्णय न केवल मेरे लिए, बल्कि पूरे हिंदी समाज के लिए ऐतिहासिक विजय है।
बार कौंसिल ऑफ इंडिया (इउक) अनुशासन समिति भी सहमत हुई – हिंदी आवेदन का अंग्रेजी अनुवाद अब आवश्यक नहीं
इसी मामले में इन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 (घ)
और अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35(3) एवं 36(3) के अंतर्गत
एक विस्तृत आवेदन भारत संघ की राजभाषा हिंदी में दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान अनुशासन समिति ने कहा–
इस न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है, हम हिंदी रोक नहीं रहे, केवल नियम के सम्मान में अनुवाद चाहते हैं।
यह सुनते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा– मैं अपने हिंदी आवेदन का अंग्रेजी अनुवाद देने से सविनय इनकार करता हूँ।

ऐसा इनकार इन्होंने पटना उच्च न्यायालय में भी किया था, सुप्रीम कोर्ट में भी किया है, और यहाँ भी किया। साथ हीं इन्होंने यह भी कहा किअनुवाद की ज़िम्मेदारी यदि किसी पर है, तो वह न्यायालय की है, अधिवक्ता की नहीं।
उनके इस तर्क को स्वीकार करते हुए– इउक अनुशासन समिति भी मेरे हिंदी आवेदन का अंग्रेजी अनुवाद लिए बिना ही गुण-दोष पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। इस मामले की अगली सुनवाई तिथिः 1 दिसंबर 2025 को है।
यह संघर्ष क्यों अनूठा है?
भाषा नहीं, न्याय की पहुँच का सवालहै। भारत में न्याय की भाषा अंग्रेजी हो जाने से:-
1. आम जनता न्यायालय से दूर रह गई।
2. करोड़ों हिंदीभाषी नागरिक न्याय को अपनी भाषा में समझ ही नहीं पा रहे हैं।
3. न्यायपालिका और जनता के बीच एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो गई है।
मेरी यह लड़ाई उस दीवार को हटाने, न्याय सबके लिए के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने और भारत संघ की राजभाषा से आगे ले जाकर संपूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करके हिंदी की गरिमा उसका स्थान तथा हिंदी के महत्व को उसके संवैधानिक सम्मान तक पहुँचाने का प्रयासनषं है।
ऐतिहासिक समर्थन – देश-विदेश की हिंदी संस्थाओं ने बधाई दी तथा मेरे इस संघर्ष से प्रसन्न होकर निम्न संगठनों ने शुभकामनाएँ भेजी हैं–
वैश्विक हिंदी सम्मेलन(मुंबई), अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन(दिल्ली), भारतीय भाषा अभियान(बिहार प्रदेश), हिंदी सेवा निधि(इटावा), हिंदी साहित्य सम्मेलन, बिहार, केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति(भारत सरकार), हिंदी शिक्षा संघ(ऑस्ट्रेलिया), अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति।
सभी मानते हैं कि यह कदम हिंदी की न्यायिक प्रतिष्ठा की बहाली का प्रारंभ है।

विशाल लोकतंत्र की सफलता में न्यायपालिका की भूमिका अहम : मंत्री

बिहारशरीफ टाउन हॉल में रविवार को विधि विमर्श पत्रिका के छठे वार्षिकोत्सव में शामिल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार व अन्य।

बिहारशरीफ, निज संवाददाता। टाउन हॉल में रविवार को 'विधि विमर्श' पत्रिका का छठा वार्षिकोत्सव मना। इसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि किसी भी विशाल लोकतंत्र की सफलता में न्यायपालिका की भूमिका अहम होती है। कानून हमें जहां अधिकार देता है, वहीं हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। यह हमें शोषित होने से बचाता है। गलत होने पर न्याय दिलाता है। लोकतंत्र व समाज के निर्माण में आम जन सहयोगी बनेंगे, तभी देश व राज्य का तेजी से विकास होगा।

विधि विमर्श सरल भाषा में लोगों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जागरूक कर रही है। यह पत्रिका विधिक अधिकारों की रक्षा के उपायों की जानकारी देकर नागरिकों को समाज और लोकतंत्र के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित करती है।

उन्होंने कार्यक्रम के बहाने विरोधियों पर भी निशाना साधा। कहा कि कभी बिहार की पहचान गड्ढों, अंधेरों, आतंक, अपहरण, बलात्कार, सामूहिक नरसंहार और 'लाठी में तेल पिलावन' जैसी कहावतों से होती थी। हमारी एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की तस्वीर बदल दी है। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि लोगों को कानून की जानकारी होनी चाहिए। तभी हम अपने हक के लिए लड़ सकेंगे। इस मुहिम के लिए यह पत्रिका काफी कारगर साबित होगी। पत्रिका के संपादक अधिवक्ता रणविजय सिंह ने बताया कि छह वर्ष पहले इस पत्रिका की शुरुआत अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान और आम लोगों में कानून के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए की गयी थी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक एवं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, अरविंद कुमार, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी अवधेश कुमार पांडेय, समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद प्रसाद यादव, डॉ. आशुतोष कुमार मानव, डॉ. आनंद कुमार, शैलेंद्र कुमार सिंह, आरके राजेश, अरुण कुशवाहा, इंद्रदेव प्रसाद, संतोष कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार, विवेकानंद प्रसाद, शंभू प्रसाद कश्यप, श्वेता कुमारी, दीपक कुमार सिंह, रजनीकांत, शिवानंद गिरि, दीपक कुमार व अन्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

अधिवक्ता संवाद में समस्याओं पर हुई चर्चा

संवाद में अधिवक्ताओं ने विचार गोष्ठी के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखा। संपादक रणविजय कुमार यादव व मंच संचालक शुभांगी पांडेय ने कहा कि अधिवक्ताओ को कागजी भरपूर सम्मान दिया गया। लेकिन, धरातल पर वह सम्मान नहीं दिखा। बल्कि अधिवक्ता कल्याण के प्रति सरकारों की उदासीन रवैया है। समिति अपनी 25 सूत्री मांगो को लेकर वर्षों से संघर्ष कर रही है। यह वर्ग दूसरे को न्याय दिलाने में अपने जीवन खफा देने वाला स्वयं को ही न्याय नहीं दिला पा रहा है। 25 सूत्री मांगों में से अति आवश्यक 7 सूत्री की सूची बनाई गई है। आज के संवाद के बाद आए विचार के बाद यह मांग पत्र सरकार को सौंपा जाएगा। इन मांगो में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में वकीलों के लिए 20 फीसद पद सुरक्षित करवाना है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाया जाय। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो।

मीडिया की नजरों में

BREAKING NEWS

दैनिक भास्कर बिहार के गौरव

विधि विमर्श से समाज में बदलाव की अलख जगा रहें हैं युवा अधिवक्ता- रणविजय सिंह

रणविजय सिंह
अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट
प्रकाशक/संपादक, विधि विमर्श

15 वर्षों से श्री सिंह वकालत कर रहे हैं। इस दौरान इन्होंने पूरी निर्भीकता से काम कर अपनी पहचान बनाई है। कई ऐसे मौके आए जब इन्हें प्रशासन या बाहुबलियों द्वारा दबाव में लेने की कोशिश की गई। लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे और पीड़ित को न्याय दिलाकर ही माने। समाज के लिए इनका हमेशा से यही संदेश रहा है कि जहां भी और जिसके भी साथ रहें। विश्वसनीय बने रहें। चुगली करने से बचें।

जन्मतिथि- 24.12.1981, जन्मस्थल- बसवन बिगहा, बिहारशरीफ, नालंदा।
माता - श्रीमति कमलता देवी
पिता - श्री सिकंदर यादव
पारिवारिक विवरण- इनका जन्म मध्यमवर्गीय किसान परिवार में हुआ। इनके छोटे दादाजी राजो मुखिया का राजनीतिक प्रभाव और पिताजी का सामाजिक कार्यों में लगाव के कारण परिवार को राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में काफी प्रतिष्ठा मिली है। जिसका इनपर भी काफी प्रभाव रहा है। **भाई**:- ई. दिग्विजय सिंह, बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत **बहन**:- किरण देवी जिनका विवाह राजेश कुमार यादव से हुआ, जो कस्टम में सुप्रीटेन्डेट अभी Central GST में कार्यरत हैं। **शैक्षणिक योग्यता**- स्नातक (2002- मगध विवि) **विधि स्नातक**- 2006 (मगध विवि) **वैवाहिक विवरण**- नूरसराय (सैदी), नालन्दा निवासी रामखेलावन प्रसाद की पुत्री **अवंतिका सिंह यादव** से वर्ष 2001 में बिना दहेज के आदर्श विवाह संत आश्रम राजाकुआं में हुआ। **पुत्री**- विजयलक्ष्मी (मेडिकल प्रिपरेशन) **पुत्र**- सत्यविजय (क्लैट प्रिपरेशन)।

विधि विमर्श मासिक पत्रिका के लोकार्पण पर संबोधन करते हुए

आदर्श - भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर, देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, माता-पिता और गुरु हैं।

भविष्य की योजनाएं -
एक पुस्तक **"बस इतना सा ख्वाब"** शीघ्र प्रकाशित होने वाली है। जिसमें इन्होंने विस्तार से अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की है।

राज्य के लिए दो कार्य करना है
- एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान की स्थापना।
- एक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना।

कानून के क्षेत्र में अपना परचम लहराने वाले एडवोकेट रणविजय सिंह अपने टीम के साथ विधिक जागरूकता (Legal Awareness) की ज्योति जलाने में लगे हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर इन्होंने विधि के साथ -साथ राजनीति और समाजसेवा के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग मुकाम बनाई है। बिहार की पत्रकारिता में भी इनकी एक अलग पहचान है। बड़ी हस्तियों के हाथों ये कई सम्मान से नवाजे भी गए है। पटना हाई कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता रणविजय सिंह ने बहुत ही कम समय में सफलता का परचम लहराया है। वकालत के साथ साथ समाजसेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने अनेकों उपलब्धियों को प्राप्त किया है। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें दर्जनों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा स्थापित 'विधि विमर्श' कानूनी पत्रिका देश-प्रदेश में काफी चर्चित हो चुकी है। इनका मुख्य उद्देश्य आम लोगों में विधिक जागरूकता फैलाना है। इनका मानना है कि कानूनी रूप से जागरूक व्यक्ति ही बेहतर देश और समाज का निर्माण कर सकता है। इसलिए आमजनो की विधिक जागरूकता हेतु 'विधि विमर्श' पत्रिका को घर-घर पहुंचाने का लक्ष्य है।

प्रमुख सम्मान
•सुदामा परमेश्वर साहित्य सम्मान (2010) •राजगीर महोत्सव सम्मान (2011) • जिला स्थापना दिवस पर सम्मान (2012) • नारद जयंती पर विश्व संवाद केन्द्र द्वारा सम्मानित (2013) • केवल सच सम्मान (2013). • महामहिम राज्यपाल डॉ. डीवाई पाटिल के द्वारा बिहार गौरव सम्मान (2014) • पत्रकार संघ की ओर से सम्मान (2015) • ग्रेट अचीवमेंट अवार्ड (2016) • संकट हरण सेवा सम्मान (2017) • नेशनल सोशल प्राइड अवार्ड (2018) •दिव्य रश्मि सम्मान (2019) • चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य सम्मान (2019) • देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद अचीवमेंट अवार्ड (2020) • कोरोना योद्धा सम्मान (2020) • यूथ आईकॉन अवार्ड (2021).

कॅरियर संबंधित विवरण

2007 से पटना उच्च न्यायालय में वकालत की शुरूआत की-

निर्दोष लोगों को परेशान होते देखकर एवं उन्हें न्याय दिलाने के उद्देश्य से वकालत पेशे में आये। फिल्मों में या टीवी पर एक वकील को असहायों के प्रति आवाज उठाते देख इन्हें प्रेरणा मिली तथा वकील के प्रति लोगों में आदर और सम्मान देखकर कानून के क्षेत्र में रुचि बढ़ी। चूंकि इस क्षेत्र में इनके परिवार का कोई सदस्य नहीं था। जिसके कारण इन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये कभी चुनौतियों का सामना करने से पीछे नहीं हटे और आज एक चर्चित वकील के रूप में पूरे बिहार में एक पहचान बना ली। इसमें इनके गुरु वरीय अधिवक्ता धर्मनाथ प्रसाद यादव जी (वाईस चेयरमैन, बिहार स्टेट बार कौंसिल) का भी भरपूर सहयोग रहा।

सामाजिक कार्यों में रुचि

अपनी माँ के नाम से कमलता जन कल्याण संस्थान की स्थापना कर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाकर लोगों को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करना।

- उच्च न्यायालय में जनहित याचिका फाइल कर कई महत्वपूर्ण कार्यों को कराना (लगभग 500 एकड़ जलमग्न भूमि को कृषि युक्त बनाना, दबंगों से सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराना एवं आम जनों के अधिकार के लिए P.I.L फाईल करते रहना)।
- बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति, पटना उच्च न्यायालय का अध्यक्ष रहकर कई महत्वपूर्ण कार्यों को कराना।
- वर्तमान में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति, बिहार के महामंत्री है और अधिवक्ताओं के हितों के लिए मुखर आवाज उठाते रहते है।
- विजय एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना।
- कोरोना काल में क्षेत्र के जरूरतमंद एवं अधिवक्ता साथियों की मदद। सेनेटाइजर, मास्क एवं राशन का वितरण

तत्कालीन राज्यपाल, डी.वाई. पाटिल से सम्मान ग्रहण करते

राज्य सभा सांसद, राकेश सिन्हा व अन्य द्वारा सम्मानित

राजनीति में रुचि

पूर्व सांसद पप्पू यादव के युवा शक्ति से छात्र राजनीतिक जीवन की शुरूआत। • 2015 में बसपा से बिहार विधानसभा चुनाव लड़कर सक्रिय राजनीति में प्रवेश। • चुनाव के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के कहने पर पूर्व सांसद राजनीति प्रसाद द्वारा राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ में बड़ी जिम्मेवारी, प्रधान महासचिव व मीडिया प्रभारी जैसे दायित्व का निर्वहन। • पुनः राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी। इस दौरान पूरे बिहार के अधिवक्ताओं को राजद प्रदेश कार्यालय में बुला एक बड़ा कार्यक्रम करा विधानसभा चुनाव में अधिवक्ता प्रकोष्ठ के साथियों को भी चुनाव में टिकट देने की माँग • 2020 विधानसभा चुनाव में राजद से टिकट की माँग, नहीं देने पे बख्तियारपुर विधानसभा से पत्नी को चुनाव लड़ाया। • भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक तारकेश्वर नाथ ठाकुर विधि मंत्री के साथ अभिनन्दन समारोह कर भाजपा में शामिल कराये। •2021 में बिहार भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य के रूप में कार्यरत एवं अभी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में योगदान दे रहे है।

सफलता का श्रेय माता-पिता व गुरु को

माता-पिता के साथ

जीवन संगिनी एवं बच्चों के साथ

माता पिता से बड़ा और सुंदर कोई दूसरा शब्द नहीं है। यह इनके प्रेम और अनुशासन का ही परिणाम है कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंच सका हूं। मां ने घर के अंदर की पूरी जिम्मेवारी खुबसूरती से संभाली तो पिता जी ने बाहर की दुनियादारी। उनकी सामाजिकता, कर्मठता, परिश्रम और ईमानदारी का ही परिणाम है कि आज मेरा छोटा भाई मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। छोटी बहन एक खुशहाल परिवार की बहू है। किसी भी पिता के लिए संतान की सफलता और खुशहाली ही जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। संघर्ष के दिनों में जीवन संगिनी के सहयोग की चर्चा नहीं करूं तो शायद यह गलत होगा। थोड़ी बहुत शिकायतों के बीच भी उन्होंने मुझे समझा और हर समय साथ खड़ा रहकर हमारी संघर्ष की राह को आसान बना दी। साथ ही बच्चों को सही परवरिश कर एक मजबूत नींव रखी। भविष्य में मेरे दोनों संतान एक नेक इंसान बने प्रभु से यही कामना है।

यह है इनकी जीवन शैली

ये सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांतों का पालन करते हैं। अपने निजी जीवन में शाकाहारी भोजन करने वाले धार्मिक एवं आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। जीवन में सफलता के लिए अनुशासन एवं समय की पाबन्दी को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुये लोगों को चुगली, निंदा और बहानेबाजी से दूर रहने की हमेशा सलाह देते हैं।

युवाओं के लिए संदेश

अपनी क्षमता को पहचाने और अपने अंदर छुपे कौशल का विकास कर आत्मनिर्भर बने तथा जातपात से ऊपर उठकर एक अच्छा इंसान बनकर देश व समाज की सेवा करें। किसी भी तरह की नशा व बुरी लत से दूर रहकर अपने कॅरियर के साथ देश और समाज के लिए भी सोचें। माता-पिता सहित सभी का सम्मान करें। निश्चित सफलता के लिए लक्ष्य तय कर पूरी कर्मठता के साथ बिना फल की चिंता किये ईमानदारी से कर्म करें-

Law Firm

आप सबो का स्नेह और समर्थन पिछले 15 वर्षों से नियमित रूप से मिलता रहा है। आपकी समस्याओं के निष्पादन में अहम कड़ी बनकर 'विधि विमर्श' आपकी आवाज को शासन प्रशासन के बीच न सिर्फ पहुंचाता है बल्कि उसके समाधान होने तक आपसे जुड़ा हुआ भी रहता है।

VIDHI VIMARSH
A Complete Legal Solution

किसी भी कानूनी सहायता या अपने जिले में पत्रिका प्रतिनिधि बनने व विधिक सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए संपर्क करें-
चैम्बर न०-165,
बिहार स्टेट बार कांउसिल भवन, पटना-1
पटना हाईकोर्ट कैम्पस।

HELPLINE No.-
9801111138
9334612716
ई-मेल- vidhivimarsh@gmail.com
वेबसाईट- www.vidhivimarsh.com

नामांकन सूचना

स्थापित : 1990

अपने क्षेत्र में देश का प्रथम मान्यता प्राप्त संस्थान

इंडियन इंस्टिच्युट ऑफ हेल्थ एडुकेशन एण्ड रिसर्च

Health Institute Road, Beur, Patna-2

(Recoginised by the Govt. of Bihar, RCI,IAP & ISPO)

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बंधन प्राप्त

Cont. :- 9264459295, 7070096603, 9709999603/ www.iiher.com

Admission going on into following courses in Academic Session 2025–26

Name of Courses	Eligibility	Name of Courses	Eligibility	Name of Courses	Eligibility
MPT	BPT	BMLT	I.Sc. (Bio)	BMLT (LE)	DMLT
BPT	I.Sc. (Bio)	BRIT	I.Sc.	B.OPHTH (LE)	D.OPHTH
B.OPHTH	I.Sc. (Bio)	ABPT	DPT	BRIT (LE)	D. X-Ray
BASLP	I.Sc.	D.Ed.	10+2		

PATLIPUTRA VIDYAPEETH

Health Institute Road Near Central Jail & SBI, Anishabad, Beur, Patna-800 002

Affiliated to C.B.S.E. (10+2), New Delhi

ONE OF THE BEST LEADING SCHOOLS IN BIHAR

Our Greatest Natural Resourse is the Minds of Our Children

Online Registration & Admission open

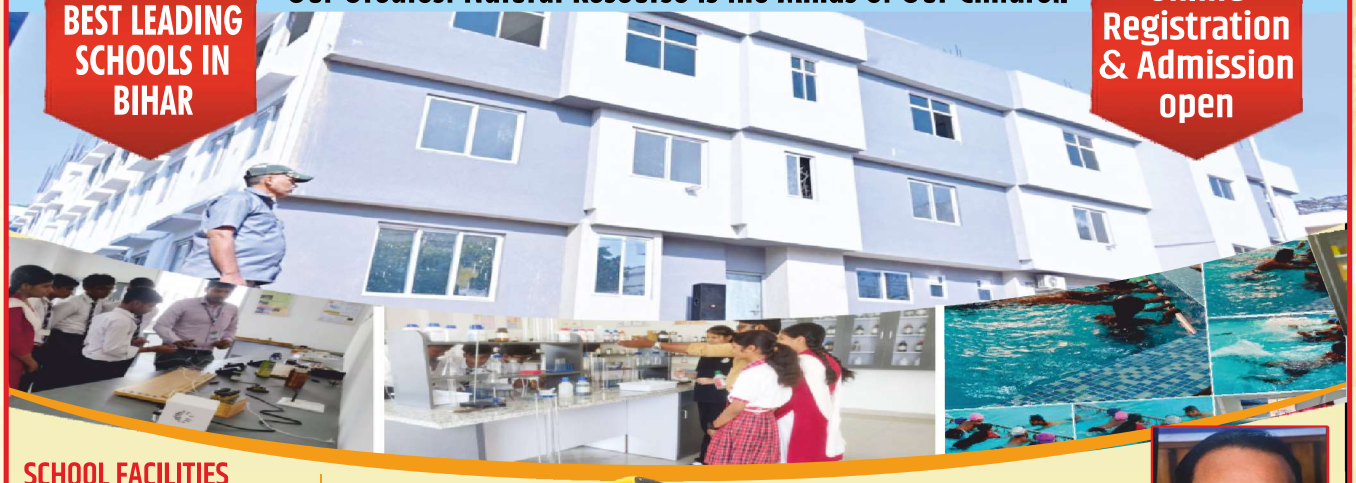

SCHOOL FACILITIES

- Smart Classes
- Wi-Fi Campus
- Indoor & Outdoor Games
- Disciplined Environment
- Hostel & Day Boarding
- Swimming Pool
- Separate Labs
- Yoga Classes
- Music & Dance
- Infirmary & Girls Common Room
- Campus under CCTV Surveillance
- Transport Facility (All over Patna)
- Remedial Classes for Slow Learner
- Preparation for NEET, JEE & other competitive exams

डॉ. अनिल सुलभ

अध्यक्ष सह-निदेशक प्रमुख

ADMISSION OPEN: Rs. 15000/- only for Nursery to IX, Rs. 25000/- for Class XI including 1 month Fee

CONTACT US FOR ENQUIRY & REGISTRATION 7488412808, 9241939993, 9264459295 | www.patliputravidyapeeth.com

न्याय की आवाज बुला रही हैं- दिल्ली चले!

न्याय की आवाज बुला रही हैं- दिल्ली चले!

स्थापना वर्ष : 2016

पं. संख्या : 519/17-18

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति

उद्देश्य

न्याय पाने वाले, न्याय देने वाले एवं न्याय दिलाने वाले की समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल

फिजीकल एवं वर्चुअल मोड में कार्यक्रम

दो दिवसीय 9 वां राष्ट्रीय महाधिवेशन

संगोष्ठीः- अधिवक्ताओं के कल्याण के प्रति सरकारों की उदासीनता एवं हमारी शीर्ष संस्था की चुप्पी

दिनांकः 29-30 नवम्बर, 2025 समयः दोपहर 2 बजे से

स्थानः कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, रफी मार्ग, नई दिल्ली

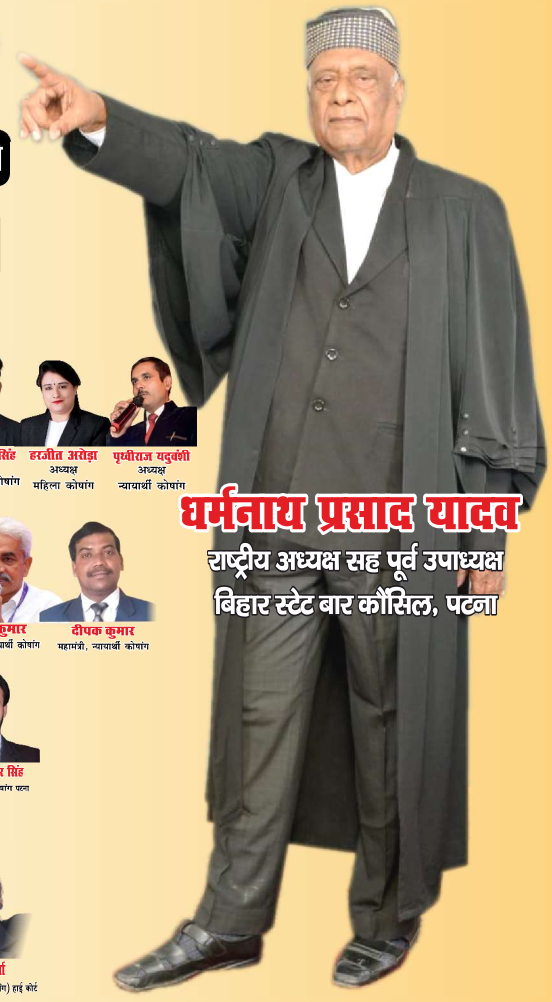

धर्मनाथ प्रसाद यादव

राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व उपाध्यक्ष

बिहार स्टेट बार कौंसिल, पटना

राष्ट्रीय पदाधिकारीगण

रणविजय सिंह – कार्यकारी अध्यक्ष
रशिक बिहारी – उपाध्यक्ष
अविनाश कु. शर्मा – उपाध्यक्ष
समरेन्द्र कुमार झा – उपाध्यक्ष
सत्यप्रकाश तिवारी – महामंत्री
इन्द्रदेव प्रसाद – संयुक्त महामंत्री
राज कु. राजेश – संगठन मंत्री
शुभांगी पांडेय – सहायक मंत्री
विमल कु. विमल – कोषाध्यक्ष
शिवनारायण सिंह – अध्यक्ष न्यायाधीश कोषांग
पंकज कुमार – अध्यक्ष युवा कोषांग
सत्यविजय सिंह – अध्यक्ष विधि छात्र कोषांग
हरजीत अरोड़ा – अध्यक्ष महिला कोषांग
पृथ्वीराज यदुवंशी – अध्यक्ष न्यायार्थी कोषांग

प्रदेश पदाधिकारीगण

अरुण कुशवाहा – उपाध्यक्ष
राम संदेश राय – उपाध्यक्ष
कुलदीप नारायण दूबे – उपाध्यक्ष
शम्भु शरण शर्मा – उपाध्यक्ष
डॉ० मधुसूदन राय – महामंत्री
गणेश राम – संयुक्त सचिव
श्वेता कुमारी – कोषाध्यक्ष
कुमार रुपेश – सहायक सचिव
जितेन्द्र कुमार – सहायक सचिव
दामोदर प्रसाद – अध्यक्ष न्यायाधीश कोषांग
प्रेम कुमार – अध्यक्ष, न्यायार्थी कोषांग
दीपक कुमार – महामंत्री, न्यायार्थी कोषांग

शिवानंद गिरी – संगठन मंत्री
मो० नवीन अख्तर खान – सह संगठन मंत्री
डॉ० ओमप्रकाश जमुआर – सह संगठन मंत्री
तेजस्विता राधा – सहायक सचिव
दीपक प्र० सिन्हा – सह संगठन मंत्री
अन्नापूर्णा कुमारी – अध्यक्ष, महिला कोषांग
स्मिता श्रीयश – महामंत्री, महिला कोषांग
रंजीत कुमार – अध्यक्ष, युवा कोषांग
विकाश कुमार सिंह – महामंत्री, युवा कोषांग पटना

हाईकोर्ट पदाधिकारीगण

सतेन्दर राय – अध्यक्ष, हाई कोर्ट पटना
अनिश चन्द्रा – महामंत्री, हाईकोर्ट पटना
प्रमोद कुमार यादव – संयुक्त सचिव, हाईकोर्ट पटना
हरिमोहन मिश्रा – कोषाध्यक्ष, हाई कोर्ट पटना
निरज कुमार – अध्यक्ष, (युवा कोषांग) हाई कोर्ट पटना
साकेत कुमार झा – महामंत्री, (युवा कोषांग) हाई कोर्ट पटना
मो0 तौकिर अजहर – अध्यक्ष, (अल्पसंख्यक कोषांग)
पूजा अर्या – अध्यक्ष, (महिला कोषांग) हाई कोर्ट

दिल्ली प्रदेश पदाधिकारीगण

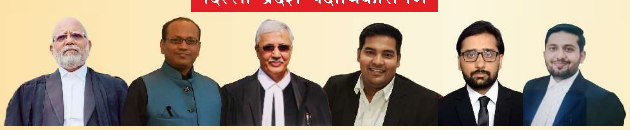

रामनारायण सिंह – अध्यक्ष
रवि कुमार – महामंत्री
उमेश शर्मा – संयुक्त महामंत्री
राजीव कुमार – अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ
दीपरंजन कुमार – महामंत्री युवा प्रकोष्ठ
शनि कुमार – कोषाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ

निवेदक : अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति, दिल्ली

9576293206/ 9334612716/ 8252473443 / 9911288671